क्रम-संख्या–67(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 9 अप्रैल, 2025

चैत्र 19, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना संख्या उ0प्र0वि0नि0आ0 / सचिव / उत्पादन / विनियमावली, 2025–010

लखनऊ, 9 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के साथ पठित धारा 61 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थकारी समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात; :–

अध्याय–1

सामान्य

1–संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रयोज्यता एवं प्रारंभ–

(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन प्रशुल्क के निबन्धन और शर्तें) विनियमावली, 2024 कही जायेगी।

(2) यह विनियमावली 01.04.2024 से 31.3.2029 तक प्रवृत्त होगी।

(3) इस विनियमावली में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो कि इस अधिनियम के अधीन उन्हें दिए गए हैं।

(4) यह विनियमावली अंग्रेजी में बनाई गई है और हिन्दी में उसका अनुवाद किया गया है, किसी शंका की स्थिति में, अंग्रेजी प्रति अधिभावी होगी।

(5) दिनांक 11.09.2019 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन प्रशुल्क के निर्धारण के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2019 उसके सभी संशोधनों के साथ जो इस विनियमावली पर लागू रहे, एतद्द्वारा अतिक्रमित की जाती है।

(6) यह विनियमावली किसी उत्पादन कंपनी या उसकी किसी इकाई, जहाँ विद्युत अधिनियम की धारा 62 सपठित धारा 86 के अन्तर्गत आयोग को यह सूची निर्धारित करनी हो, के सभी मामलों में लागू होगी।

(7) यह विनियमावली प्रशुल्क निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगी :–

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत अंगीकृत, विद्युत गृहों जिनके प्रशुल्क प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा अन्वेषित किये गये हों;

(ख) ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोतों पर आधारित विद्युत गृह, जिनकी दरें उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वशवर्ती एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयत्र) अधिनियम, 2024 की अधिसूचना जारी होने पर और समय–समय पर संशोधित या किसी भी परवर्ती अधिनियम के तहत।

(8) उत्पादन कंपनी दिनांक 1 अप्रैल 2024 या उसके पश्चात् अनुमोदित एवं कार्यदिष्ट विद्युत गृहों के लिए स्वच्छ विकास क्रियाविधि अपना सकती है एवं अनुमोदित स्वच्छ विकास क्रियाविधि परियोजना से कार्बन जमा (कार्बन क्रेडिट) की आय को निम्नलिखित रीति से बांटा जायेगा, अर्थात्ः :–

(क) विद्युत गृह के व्यावसायिक परिचालन के दिनांक के बाद के प्रथम वर्ष में स्वच्छ विकास क्रियाविधि से सकल प्राप्ति का 100 प्रतिशत अंश परियोजना विकासकर्ता द्वारा अपने पास रखा जायेगा;

(ख) दूसरे वर्ष में लाभार्थियों का अंश 10 प्रतिशत होगा जो 50 प्रतिशत होने तक प्रत्येक वर्ष उत्तरोत्तर 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जायेगा। इसके पश्चात प्राप्तियों को बराबर अनुपात में ,उत्पादन कम्पनियों एवं लाभार्थियों के मध्य बांट लिया जायेगा।

(9) इन विनियमावली के प्रावधानों एवं उत्पादन कम्पनी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी/ लाभार्थी(गण) के मध्य हस्ताक्षरित किसी विद्युत क्रय अनुबंध में किसी असहमति की दशा में, इस विनियमावली के प्रावधान लागू होंगे।

(10) उन परियोजनाओं पर जिनका प्रशुल्क आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, विनियमावली के विनियम–40 के अनुसार 'उपलब्धता आधारित प्रशुल्क' लागू किया जायेगा।

(11) विद्युत गृहों के लिए परिभाषित प्रत्येक उत्पादन इकाई के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 61 (सी) सपठित ऊर्जा सरंक्षण अधिनियम, 2001 के परिशिष्ट, राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं उत्तर प्रदेश शासन की ऊर्जा नीति, 2009, समय–समय पर संशोधित अनुसार, वार्षिक ऊर्जा लेखा परीक्षा अनिवार्य होगी। ऊर्जा लेखा परीक्षा के परिणाम ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा उपभोग एवं प्रत्यापित ऊर्जा सम्परिक्षक की संस्तुतियों पर कार्यवाही की सूचना के लिये प्रारूप, पद्धति एवं समय) नियमावली, 2008 द्वारा निर्धारित पद्धति के अन्तर्गत घोषित किये जाएंगे।

(12) उत्पादन कंपनी अधिनियम की धारा 10(3) (क) के अनुसार निष्पादन रिपोर्ट इस अधिनियम के परिशिष्ट–1 में दिये गये प्रारूप के अनुसार समयानुकूल आयोग को प्रस्तुत करेगी।

(13) उत्पादन केन्द्र, अधिनियम की धारा 10(3)(ख) के अन्तर्गत, इसके द्वारा उत्पादित विद्युत को ग्रिड संहिता के प्रावधानों ं के अनुसार पारेषण हेतु राज्य पारेषण जन उपयोगी सेवाप्रदाता से समन्वय करेगा।

(14) उत्पादन संयंत्र/कंपनी अधिनियम नियमावली, संहिताओं ,विनिमावली, आदेशों और समुचित प्राधिकरण/आयोग के निदेशो जो उत्पादन और विद्युत के निष्क्रमण के संबंध में समय–समय पर जारी किये जाएं, का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

2–परिभाषाएं

(1) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्याय के प्रयोजन के लिए समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 तथा उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999, जहाँ तक विद्युत अधिनियम, 2003 से असंगत न हो, से है;

(2) 'अतिरिक्त पूंजी' का तात्पर्य परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के दिनाँक के पश्चात किया गया व्यय या होने वाले व्यय से है और जो विवेकपूर्ण जाँच के बाद इस विनियमावली के उपबंधों के अनुसार आयोग द्वारा मान्य हो;

(3) 'स्वीकृत पूंजी लागत' का तात्पर्य उस लागत से है जो विवेकपूर्ण जांच के बाद, इस विनियमावली के अनुबंधों के अनुसार, आयोग द्वारा प्रशुल्क के माध्यम से शोधन के लिये मान्य है।

(4) 'संपरीक्षक' का तात्पर्य, समय–समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) की धारा 224, 233 (ख) और 619 या कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) के अध्याय दस या कोई अन्य नियम जो उस समय लागू हो, के उपबंधों के अनुसार उत्पादन कंपनी द्वारा नियुक्त संपरीक्षक से है;

(5) 'प्राधिकरण' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 70 में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से है;

(6) 'सहायक ऊर्जा उपभोग' या 'ए.यू.एक्स' का तात्पर्य किसी उत्पादन–गृह के मामले में अवधि के संबंध में उत्पादन गृह के सहायक उपकरणों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की प्रमात्रा से है, जैसे कि परिचालन संयंत्र के प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जा रहे उपकरण, अपजल, तृतीयक उपचार संयंत्र, शोधन संयंत्र, कोयला प्रबंधन संयंत्र और उत्पादन गृह के स्विचयार्ड तथा मशीनरी के प्रयोग और उत्पादन–गृह के अंदर ट्रांसफार्मर हानियां, जो उत्पादन गृह की सभी इकाइयों के उत्पादन टर्मिनलों पर उत्पादित कुल ऊर्जा की मात्रा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त है:

परंतुक यह कि सहायक ऊर्जा उपभोग में आवास कॉलोनी को विद्युत की आपूर्ति और उत्पादन–गृह में अन्य सुविधाओं में उपभोग की गई ऊर्जा और उत्पादन–गृह में निर्माण कार्यों में उपभोग की गई विद्युत सम्मिलित नहीं की जाएगी:

परंतुक यह भी कि संशोधित उत्सर्जन मानकों के अनुपालन हेतु सहायक ऊर्जा खपत पर अलग से विचार किया जाएगा।

(7) 'उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली हेतु सहायक ऊर्जा खपत (AUXe): कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय उत्पादन स्टेशन के मामले में किसी अवधि के संदर्भ में, इसका तात्पर्य उस ऊर्जा की प्रमात्रा से है जो कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय उत्पादन स्टेशन की उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के सहायक उपकरण द्वारा इस विनियम के खंड (6) के तहत सहायक ऊर्जा खपत के अतिरिक्त खपत की जाती है।

(8) 'उपलब्धता' का अर्थ किसी अवधि के दौरान तापीय उत्पादन स्टेशन के संदर्भ में, उस अवधि के सभी दिनों के लिए दैनिक औसत घोषित क्षमताओं (DC) के औसत को उत्पादन स्टेशन की अनुबंधित क्षमता (CC) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, जिसकी मेगावाट में सामान्यीकृत सहायक खपत और इन विनियमों के अनुसार उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिए सहायक ऊर्जा खपत को घटाकर गणना की जाएगी और इसकी निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना की जाएगी:

$$\text{उपलब्धता } (\%) = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} DCi \,/\, \{N \times CC \times (100 - AUXn - AUXen\}\%$$

जहाँ,

संविदाकृत क्षमता = उत्पादन–गृह में संविदाकृत क्षमता,

औसत घोषित क्षमता (विशिष्ट दिन के लिए)= उस अवधि के विशिष्ट दिन के लिए औसत घोषित क्षमता, (मेगा वाट में)

संख्या = उस अवधि के दौरान दिनों की संख्या, एवं

AUXn = सकल उत्पादन का प्रतिशत के रूप में सामान्यीकृत सहायक ऊर्जा खपत

AUXen = सकल उत्पादन का प्रतिशत के रूप में उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिए सामान्यीकृत सहायक ऊर्जा खपत

(9) 'बैंक दर' का तात्पर्य समय–समय पर जारी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उधार देने की दर के एक वर्ष की सीमान्त लागत (एमसीएलआर) से है, या यथा समय लागू उसके प्रतिस्थापन से है. जिसमें 350 बेसिस अंक को जोड़ा जाएगा;

(10) 'लाभार्थी' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 86 की उपधारा 1 के खंड (क) और (ख) के अधीन आच्छादित उत्पादन–गृह के संबंध में ऐसे वितरण लाइसेंसधारी से है जो ऐसे उत्पादन–गृह से उत्पादित विद्युत का क्रय कर रहा है और यह विद्युत क्रय अनुबंध के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से या व्यापारी अनुज्ञाप्तिधारी के माध्यम से परोक्ष रूप से नियत प्रभारों का भुगतान करके ग्रिड संहिता के अनुसार समय–सारिणी के अनुरूप करता है:

परंतुक यह कि जहाँ वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्राप्त कर रहा है तो इस व्यवस्था में विद्युत क्रय अनुबंध और विद्युत विक्रय अनुबंध दोनों ही माध्यम से सुरक्षित होनी चाहिए।

(11) 'पूंजी लागत' का अर्थ उन विनियमों के तहत निर्धारित पूंजी लागत से है जो उत्पादन स्टेशन से संबंधित हैं।

(12) 'विधि में परिवर्तन' का तात्पर्य निम्नलिखित स्थितियों में से किसी भी एक के घटित होने से है :–

(क) किसी नई भारतीय विधि या अधिनियम का प्रभावी होना या उसका प्रख्यापन;

(ख) किसी विद्यमान भारतीय विधि का अपनाया जाना, उसमें संशोधन उसका उपान्तरण, उसका निरासन या पुनः अधिनियमितिकरण;

(ग) सक्षम न्यायालय, अधिकरण या भारत सरकार अभिकरण द्वारा किसी भारतीय विधि के निर्वचन या लागू करने में परिवर्तन, जो ऐसे निर्वचन या लागू करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है;

(घ) किसी भी शर्त या किसी सहमति की प्रसंविदा या अनापत्तियाँ या अनुमोदन में या परियोजना के लिए उपलब्ध या प्राप्त लाईसेंस किसी सक्षम सांविधिक प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन;

(ङ) भारत सरकार और किसी अन्य संप्रभुता संपन्न सरकार के मध्य किसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अनुबंध संधि का लागू होना या उसमें परिवर्तन होना जिसका इस विनियमावली के अधीन विनियमित किए गए उत्पादन–गृह के साथ निहितार्थ हो;

(13) 'आयोग' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 82 के अनुसार उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है;

(14) 'प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने' का तात्पर्य उपकरणों, सेवाओं और कार्यों के अर्जन करने की पारदर्शी प्रक्रिया है जिसमें बोली लगाने वाले को खुले विज्ञापनों से परियोजना विकासकर्ता द्वारा आमंत्रित किया जाता है जिसमें परियोजना के लिए अपेक्षित उपकरण, सेवाओं और कार्यों का क्षेत्र और विशिष्टता और प्रस्तावित संविदा के निबंधन और शर्त और मानक जिससे बोलियों का मूल्याकंन किया जाएगा और जिसमें घरेलू प्रतिस्पर्धात्मक बोली और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली सम्मिलित होगी;

(15) 'संविदाकृत क्षमता' या 'सी.सी.' का तात्पर्य विद्युत क्रय अनुबंध में यथा–व्यवस्थित विक्रेता एवं अर्जनकर्ता के मध्य संविदाकृत (मिलियन वाट में) विद्युत की क्षमता से है;

(16) 'निर्दिष्ट तिथि' का तात्पर्य परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की वास्तविक तिथि या आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से छत्तीस महीने के बाद कैलेंडर माह के अंतिम दिन से है, जो भी पहले हो;

(17) 'वाणिज्यिक परिचालन की तिथि' या 'सीओडी', का तापीय उत्पादन स्टेशन या जलविद्युत उत्पादन स्टेशन के संदर्भ में, वही अर्थ होगा जैसाकि ग्रिड संहिता में परिभाषित है;

(18) 'परिचालन तिथि' या 'ODe': उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संदर्भ में इसका अर्थ है सभी लागू तकनीकी और पर्यावरण मानकों (MOEF & CC) को पूरा करने के बाद उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली का उपयोग में लाया जाना, जिसकी पुष्टि और अपेक्षित प्रमाणीकरण (ओं), के माध्यम से और प्रमाणित प्रबंधन प्रमाणपत्र के माध्यम से की गई हो और जिस पर उत्पादन कंपनी के निदेशक स्तर से नीचे के नहीं अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों;

(19) 'दिन' का तात्पर्य 00:00 घंटे से प्रारंभ होने वाली 24 घंटे की अवधि वाले एक कैलेंडर दिन से है;

(20) 'पूंजीकरण का हटाना' का इस विनियमावली के अधीन प्रशुल्क के प्रयोजन के लिए तात्पर्य परियोजना की सकल नियत परिसंपत्ति में कमी से है जिसे परिसंपत्तियों के अंतःइकाई अंतरण या सेवा से निकाली गई परिसंपत्तियों के रूप में आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया हो;

(21) 'निष्क्रियकरण' का अर्थ है किसी उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई को सेवा से हटाना, जब इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण या किसी अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा, स्वप्रेरणा से या परियोजना विकासकर्ता, लाभार्थियों या दोनों द्वारा किए गए आवेदन पर प्रमाणित किया गया हो कि परिसंपत्तियों के तकनीकी अप्रचलन, अलाभकारी संचालन, पर्यावरणीय चिंताओं, सुरक्षा संबंधी मुद्दों या इन कारकों के संयोजन के कारण परियोजना का संचालन संभव नहीं है;

(22) 'घोषित क्षमता' या 'डीसी' का तात्पर्य यथास्थिति ईंधन या जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, जैसा भी मामला हो, ग्रिड संहिता के अनुसार संपूर्ण दिन या दिन के किसी भाग के संबंध में ऐसे उत्पादन–गृह द्वारा मेगावॉट में घोषित एक्स–बस विद्युत प्रेषण के लिए उत्पादन–गृह की क्षमता से है;

(23) 'डिजाइन ऊर्जा' का अर्थ उस ऊर्जा की प्रमात्रा से है जो 90% विश्वसनीय वर्ष में जल विद्युत उत्पादन स्टेशन की 95% स्थापित क्षमता के साथ उत्पन्न की जा सकती है;

(24) 'उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली' का अर्थ कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई में संशोधित उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरणों या यंत्रों के सेट से है।

(25) 'विद्यमान परियोजना' का तात्पर्य दिनाँक 01.04.2024 के पूर्व की तिथि से वाणिज्यिक परिचालन के अंतर्गत घोषित परियोजना से है;

(26) 'विस्तार परियोजना' का अर्थ किसी विद्मान उत्पादन स्टेशन में यूपीईआरसी (प्रषुल्क निर्धारण की प्रक्रियाएं) विनियम, 2023 में समय–समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार नई क्षमता जोड़ने से है;

(27) 'व्यय उपगत' का तात्पर्य उपयोगी परिसंपत्ति के निर्माण या अर्जन के लिए निधि से है, चाहे वह अंश पूँजी या ऋण या दोनों, के रूप में हो, जिसे वास्तव में नकदी या नकदी के समतुल्य के रूप में लगाया और भुगतान किया गया हो और इसमें प्रतिबद्धता या देयता सम्मलित नहीं है जिसके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है;

(28) 'विस्तारित अवधि' का तात्पर्य उपयोगी अवधि के पश्चात उत्पादन–गृह या उसकी इकाई की अवधि से है जिसे आयोग द्वारा मामले के आधार पर निर्धारित किया जाए;

(29) इस विनियमावली के प्रयोजन के लिए 'अप्रयाशित घटना' का तात्पर्य दुर्घटना या परिस्थिति या दुर्घटनाओं या परिस्थितियों के संयोजन है, जिसमें नीचे लिए हुए सम्मिलित हैं, जो विनिधान अनुमोदन में विनिर्दिष्ट समय के भीतर परियोजना को पूरा करने के लिए उत्पादन कंपनी को आंशिक या पूर्ण रूप से रोकती हो और मात्र तभी जब इस तरह की दुर्घटनाएं या परिस्थितियां उत्पादन कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं और ये अनिवारणीय थीं यदि उत्पादन कंपनी ने तर्कसंगत कदम उठाए होते या बुद्धिमत्तापूर्ण जनोपयोगी सेवाप्रदाता के व्यवहार का अनुपालन किया होता तो भी :–

(क) दैवीय आपदा जिसमें बिजली गिरना, अकाल पड़ना, आगजनी और विस्फोट, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, चक्रवात, प्रचण्ड तूफान, भूगर्भीय आपदा या आपवादिक रूप से विपरीत मौसम की परिस्थितियाँ जो पिछले सौ सालों से सांख्यकीय मानकों से अधिक हैं।

(ख) कोई भी युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु की गतिविधि, मार्ग अवरोधन, व्यापार प्रतिरोध, क्रांति, दंगा, विद्रोह, आतंकवादी या सैनिक कार्यवाही या;

(ग) उद्योग जगत में हड़ताल और श्रमिक आन्दोलन जिसका पूरे भारत में राष्ट्रीयव्यापी प्रभाव हो;

(घ) परियोजना के लिए सांविधिक अनुमोदन की प्राप्ति में विलंब सिवाय जहां विलम्ब परियोजना विकासकर्ता उसके संविदाकार, आपूर्तिकर्ता, अभिकर्ता पर आरोपणीय हैं;

(30) 'उत्पादन–गृह' का वही अर्थ होगा जैसे अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 30 के अंतर्गत पारिभाषित है और इस विनियमावली के प्रयोजन के लिए उत्पादन गृह के प्रक्रमों या खंडों या इकाइयाँ भी सम्मिलित होंगी।

(31) तापीय उत्पादन गृह (संयुक्त चक्र तापीय उत्पादन गृह से भिन्न) के संबंध में 'उत्पादन इकाई' या इकाई का तात्पर्य वाष्प जनरेटर, टरबाईन जनरेटर और सहायक उपकरणों से है या संयुक्त चक्र तापीय उत्पादन स्टेशन के संबंध में इसका तात्पर्य टरबाईन जनरेटर और सहायक उपकरणों या दहन टरबाईन जनरेटर, सम्बद्ध उष्मा हीट रिकवरी वाष्पित्र संयोजित टरबाईन जनरेटर और सहायक उपकरण, और जलीय उत्पादन–गृह के संबंध में इसका तात्पर्य टरबाईन जनरेटर और उसके सहायक उपकरणों से है;

(32) 'ग्रिड कोड' का अर्थ उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड, 2007 और भारतीय विद्युत ग्रिड कोड विनियम, 2023 से है, जिसमें समय–समय पर किए गए संशोधन या उसके पश्चात के पुनः–प्रवर्तन भी शामिल हैं।

(33) तापीय विद्युत उत्पादन स्टेशन के संबंध में 'सकल क्लोरिफिक वैल्यू' या 'जीसीवी' का तात्पर्य किसी तापीय विद्युत गृह के संबंध में, जैसी स्थिति हो, एक किलोग्राम ठोस ईंधन या एक लीटर द्रव ईंधन के जलाए जाने पर (पूर्णतया दग्ध होने पर) उत्पन्न उष्मा से है जिसे किलो केलोरीज में मापा जाएगा;

(34) 'यथाप्राप्त सकल कैलोरिफिक वैल्यू' का तात्पर्य आई एस 436 (भाग 1/सेक्शन 1) 1964 के अनुसार भारयुक्त वैगनों, ट्रकों, रोपवे, मैरी–गो–राऊंड (एमजीआर), बेल्ट कनवेयर्स और जहाजों से संग्रह, संपाक और नमूनों के परीक्षण के माध्यम से तापीय विद्युत गृह के अनलोडिंग बिंदु पर यथा माप की गई कोयले की जीसीबी से है :

परंतुक यह कि कोयले का मापन केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार उत्पादन कंपनियों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीसरे पक्ष द्वारा नमूना–चयन के माध्यम द्वारा किया जाएगाः

परंतुक यह और कि कोयले के नमूने या तो हाथ से या हाईड्रोलिक फावडे से या किसी अन्य रीति से संगृहीत किए जाएंगे जिसे कार्मिकों और उपकरणों की सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उचित समझा जाएः

परंतुक यह और कि उत्पादन कंपनियां किसी नवीनतम तकनीक से नमूनों का संग्रह, संपाक और परीक्षण उचित और पारदर्शी रीति से जीसीवी के मापन के लिए अपना सकती है;

(35) 'सकल स्टेशन ऊष्मा दर' (Gross Station Heat Rate) या 'GSHR' का अर्थ थर्मल उत्पादन स्टेशन के जनरेटर टर्मिनलों पर एक किलोवाट–घंटा (kWh) विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक किलो–कैलोरी (kCal) में ऊष्मा ऊर्जा इनपुट से है;

(36) 'भारतीय सरकारी अभिकरण' का तात्पर्य भारत सरकार या राज्य सरकार(रों) या दोनो का उपयुक्त आयोग (गों) या न्यायाधिकरण या न्यायिक या अर्धन्यायिक निकाय के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण के आधीन किसी मंत्रालय, विभाग, बोर्ड, प्राधिकरण, एजेन्सी, निगम और आयोग से है;

(37) 'इनफर्म पावर' का तात्पर्य उत्पादन गृह की इकाई के वाणिज्यिक परिचालन के पूर्व ग्रिड में प्रक्षेपण के लिए उत्पादित विद्युत से है;

(38) 'स्थापित क्षमता' या 'आई सी' का तात्पर्य उत्पादन–गृह की सभी इकाइयों की नाम–पट्टिकाओं की क्षमताओं या उत्पादन–गृह की क्षमता (जनरेटर टर्मिनलों पर गणना की गई) के योग से है जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया गया;

(39) 'अंतः संयोजन बिंदु' का तात्पर्य यूपीईआरसी (संयोजन विनियम), 2009 और समय–समय पर किए गए उसके संशोधनों के अनुसार अंतः संयोजन बिंदु से है;

(40) 'निवेश अनुमोदन' का तात्पर्य उत्पादन कंपनी के बोर्ड या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन से है जो परियोजना के लिए प्रशासनिक संस्तुति प्रदान करे जिसमें परियोजना की निधि और उसके कार्यान्वयन की समय सीमा सम्मिलित होः

परंतुक यह कि निवेश अनुमोदन की तिथि की गणना उत्पादन कंपनी के बोर्ड के प्रस्ताव की तिथि से होगी जहाँ बोर्ड यह अनुमोदन देने के लिए सक्षम है और अन्य मामलों में सक्षम प्राधिकारी के संस्तुति पत्र की तिथि से की जाएगी;

(41) 'किलोवाट–घंटा' या 'के डब्ल्यू एच' का तात्पर्य विद्युत ऊर्जा की इकाई से है जिसका माप एक घण्टे की अवधि में उत्पन्न या उपभोग की गई विद्युत के एक किलोवाट या एक हजार वाट है;

(42) 'प्राप्त ईधन लागत' का तात्पर्य कोयले की कुल लागत (जिसमें सहप्रज्वलन के मामले में बायोमास सम्मिलित है), उत्पादन–गृह के अनलोडिंग बिन्दु पर प्राप्त भूरा कोयला या गैस से है और जिसमें मूल लागत, प्रक्षालन प्रभार जहाँ लागू हो, परिवहन लागत (विदेश या देश या दोनों) और संचालन लागत, तीसरे पक्ष द्वारा लिये गए नमूने का प्रभार और लागू सांविधिक प्रभार सम्मिलित होंगे;

(43) तापीय विद्युत उत्पादन गृह की इकाई के संबंध में 'अधिकतम अनवरत दर' या 'एम सी आर' का तात्पर्य जनरेटर टर्मिनलों पर अधिकतम अनवरत प्रवाह से है, जिसमें निर्धारित मानकों पर विनिर्माता द्वारा गारंटी दी गई हो, और संयुक्त चक्र तापीय विद्युत उत्पादन–गृह की इकाई या खंड के संबंध में इसका तात्पर्य जनरेटर टर्मिनलों पर अधिकतम अनवरत प्रवाह से है, विनिर्माता द्वारा जल/वाष्प प्रक्षेपण (यदि लागू हो) के साथ गारंटी दी गई हो और 50 हर्ट्ज ग्रिड फ्रिक्वेंसी और विनिर्दिष्ट स्थल दशाओं तक परिष्कृत हों;

(44) 'नई परियोजना' का तात्पर्य दिनाँक 01.04.2024 से या उसके पश्चात परियोजना का परिचालन तक पहुँचना या पहुँचने के लिए अनुमानित तिथि से है;

(45) 'संचालन और रखरखाव व्यय' (Operation and Maintenance Expenses) या 'O&M व्यय' का अर्थ उत्पादन स्टेशन, परियोजना या उसके किसी भाग के संचालन और रखरखाव पर किए गए व्यय से है, जिसमें मानव संसाधन, मरम्मत और रखरखाव, रखरखाव कल–पुर्जे, पूंजीगत प्रकृति के अन्य कल–पुर्जे जिनकी लागत ₹10 लाख तक हो, ₹50 लाख से कम लागत वाली किसी एकल परिसंपत्ति पर अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, उपभोग्य सामग्री, बीमा, ओवरहेड्स और विद्युत उत्पादन के अलावा प्रयुक्त ईंधन पर किया गया व्यय शामिल है;

(46) 'मौलिक परियोजना व्यय' का तात्पर्य उत्पादन कम्पनी द्वारा पूंजीगत व्यय से है, जो परियोजना के मौलिक कार्यक्षेत्र में विनिर्दिष्ट तिथि तक किया गया हो और जिसे आयोग ने स्वीकार किया हो;

(47) 'प्लांट/स्टेशन/उद्भार गुणक' या पी0एल0एफ किसी दिये समय में कुल निसृत ऊर्जा से है, जो इसी समय में तदनुरूप सारिणीबद्ध उत्पादन के अनुरूप हो और जिसे निसृत गयी ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया है और जो उस अवधि में अनुबंधित क्षमता(CC) के अनुरूप हो तथा जिसे निम्न फार्मूले के अनुसार आगणित किया जायेगाः

$$\text{पीएलफ } (\%) = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} SSGi \,/\, \{N \times CC \times (100 - AUXn - AUXen)\}\%$$

जहाँ

सी सी = विद्युत गृह की अनुबंधित क्षमता

एस जी = शिड्यूल्ड उत्पादन मे0वा0 में अवधि के विशिष्ट ब्लाक के लिए

एन= अवधि में टाइम ब्लाकों की संख्या, और

AUXn= मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग – सकल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में

AUXen= सामान्यीकृत सहायक ऊर्जा खपत जो उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिए सकल ऊर्जा उत्पादन का प्रतिशत है, जहां भी लागू हो।

(48) 'विद्युत क्रय अनुबंध' या 'पीपीए' का तात्पर्य प्राप्तिकर्ता (ओं) और विक्रेता के मध्य में होने वाले अनुबंध से है जिसके अन्तर्गत विक्रेता उसमें विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अनुसार प्राप्तिकर्ता (ओं) को विद्युत की आपूर्ति करेगा।

(49) 'परियोजना' का तात्पर्य

(क) तापीय उत्पादन स्टेशन के मामले में, इसमें तापीय उत्पादन स्टेशन के सभी घटक शामिल होते हैं, लेकिन इसमें खनन (यदि यह एक खदान मुख्यालय परियोजना है) और समर्पित निजी कोयला खदान शामिल नहीं होते, हालांकि, आवश्यकता अनुसार इसमें बायोमास पेलेट प्रबंधन प्रणाली और अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र शामिल होते हैं;

(ख) जलीय उत्पादन गृह के संबंध में जलीय उत्पादन गृह के सभी घटक सहित, और इसमें बांध, जल शोधी कंडक्टर प्रणाली, विद्युत उत्पादन गृह, जैसा विद्युत उत्पादन के लिए संविभाजित हो।

(50) 'विवेकपूर्ण जांच' का तात्पर्य किये गये पूंजीगत व्यय, वित्तीय योजना, दक्षतापूर्ण प्रौद्योगिकी का प्रयोग, लागत एवं कार्य की अवधि तथा अन्य कारक, जो प्रशुल्क निर्धारण के लिए आयोग द्वारा उचित विचारित हो सकते हैं, से है। विवेकपूर्ण जांच सम्पादन के दौरान आयोग देखेगा कि क्या उत्पादन कम्पनी, परियोजना के निष्पादन के लिए अपने निर्णय एवं फैसले में अथवा परियोजना के निष्पादन में सावधान एवं सतर्क है;

(51) पम्प स्टोरेज जलविद्युत उत्पादन स्टेशन का अर्थ ऐसा जलविद्युत उत्पादन स्टेशन है जो निम्न ऊंचाई वाले जलाशय से उच्च ऊंचाई वाले जलाशय में पानी पंप करके संग्रहीत जल ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करता है;

(52) 'प्रवाह रहित सरोवर विद्युत–गृह' का तात्पर्य जलीय विद्युत उत्पादन गृह से है जिसमें कोई उर्ध्व प्रवाह जल संग्रहण न हो;

(53) 'जल संगृहण युक्त प्रवाह रहित विद्युत–गृह' का तात्पर्य जलीय विद्युत उत्पादन–गृह से है जिसमें विद्युत मांग के द्वितरफा विकल्प को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल संग्रहण हो;

(54) 'अनुसूचीबद्ध वाणिज्यिक परिचालन दिनांक या 'एस0सी0ओ0डी0' का तात्पर्य किसी विद्युत गृह के या उत्पादन इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन के दिनांक से है, जैसा कि निवेश अनुमोदन में इंगित हो या विद्युत क्रय अनुबंध में जिस पर सहमति हो, जो भी पहले हो;

(55) 'सूचीबद्ध उत्पादन' या 'एस0जी0' का तात्पर्य किसी भी समय या समय के किसी समूह के लिए स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर द्वारा निर्धारित सूचीबद्ध उत्पादन से है जो संवाहक तारों पर मेगावाट में हो;

(56) 'प्रारंभ तिथि या शून्य तिथि' का तात्पर्य परियोजना के कार्यान्वयन के आरम्भ करने हेतु निवेश अनुमोदन में दर्शाये गयी तिथि से है और जहाँ कोई तिथि इंगित नहीं है, निवेश अनुमोदन की तिथि ही प्रारंभ तिथि या तिथि मानी जायेगी;

(57) 'तापीय विद्युत गृह' से आशय विद्युत गृह या उसकी इकाई जो जीवाश्म ईंधन, जैसे कि कोयला, गैस या तरल ईंधन, बायो–पेलेट्स या इन पदार्थों के सम्मिश्रण को ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में प्रयोग करके विद्युत का उत्पादन करता हो;

(58) 'परीक्षण चालन' या 'परीक्षण परिचालन' किसी विद्युत गृह के सन्दर्भ में इसका आशय वही होगा जो ग्रिड संहिता में विनिर्दिष्ट है;

(59) 'माल को उतारने के स्थान' का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहाँ कोयला या भूरे कोयले पर आधारित तापीय विद्युत गृह का परिसर हो और जहाँ कोयला या भूले कोयले का रेक या ट्रक या परिवहन के किसी अन्य माध्यम से उतारा जाता हो;

(60) 'उपयोगी अवधि' कोयला/लिग्नाइट आधारित विद्युत गृहों की इकाई के लिए सी0ओ0डी से 25 वर्ष होगी और जलीय उत्पादन गृह की इकाई के लिए सी0ओ0डी0 से 40 वर्ष होगीः

परंतुक यह कि कोयला/लिग्नाइट आधारित तापीय उत्पादन स्टेशनों और जलविद्युत उत्पादन स्टेशनों के मामले में, संचालन अवधि क्रमशः 35 वर्ष और 50 वर्ष तक हो सकती है;

(61) 'वर्ष' का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है, जो उस वर्ष की 1 अप्रैल से आरम्भ होकर अगले वर्ष की 31वीं मार्च तक होगी।

3—परिचालन मानक अधिकतम सीमा मानक होंगेः

इस विनियमावली के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परिचालन मानक अधिकतम सीमा मानक है, और इसमें, जैसी स्थिति हो, उत्पादन कंपनी और वितरण लाइसेंस धारी या किसी अन्य व्यक्ति को परिचालन के उन्नत मानकों को स्वीकार करना प्रतिबंधित नहीं है अगर उन्नत मानकों को स्वीकार किया जाता है तो ऐसे मानक प्रशुल्क के निर्धारण के लिए लागू किये जाएंगे।

4—प्रशुल्क की उच्चतम सीमा से विचलनः

उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत बिक्री के लिए प्रशुल्क का निर्धारण आयोग द्वारा इन विनियमों में निर्दिष्ट मानकों से विचलन के आधार पर भी किया जा सकता है, बशर्ते कि :—

(क) मानकों में विचलन के आधार पर गणना की गई परियोजना की उपयोगी अवधि के लिए विद्युत के एक समान प्रशुल्क प्रति यूनिट, प्रशुल्क से अधिक नहीं हो सकते जिसकी गणना इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर होगी और उत्पादनकर्ता के प्रस्तुतीकरण द्वारा विधिवत पुष्टि की गई है, जिसमें शामिल है, प्रशुल्क याचिका जमा करने के समय अनुमानों के साथ पूर्ण कार्यशैली का प्रस्तुतिकरण;

(ख) ऐसा कोई विचलन तभी प्रभावी होगा जब आयोग उसे अनुमोदित करेगा।

स्पष्टीकरणः उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट एक समान प्रशुल्क की गणना के प्रयोजन के लिए छूट घटक को समय समय पर (CERC) सी.ई.आर.सी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

5—मूल व्यवसायः

इस विनियमावली के प्रयोजन के लिए, मूल व्यवसाय का तात्पर्य केवल विद्युत के उत्पादन से है, जिसमें कंपनी का कोई अन्य व्यवसाय या गतिविधि सम्मिलित नहीं है।

6—आय पर करः

(1) आयोग द्वारा इन विनियमों के विनियम 25(3)(1) के तहत अनुमत लाभांश पर प्रतिफल की दर को संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर (इसके बाद इसे 't' कहा जाएगा) के साथ सकलित किया जाएगा। प्रभावी कर दर की गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में की जाएगी, जो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए लागू प्रासंगिक वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संबंधित उत्पादन कंपनी के अनुमानित लाभ और देय कर के आधार पर होगी, जिसमें मुख्य व्यवसाय से इतर आय और उस पर देय कर को छोड़ दिया जाएगा :

परंतु यह कि यदि कोई उत्पादन कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115JB के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) का भुगतान कर रही है, तो प्रभावी कर दर में अधिभार और उपकर सहित MAT दर होगी;

परंतु यह और कि लाभार्थियों को आवंटित आय—कर तापीय उत्पादन—गृह के संबंध में वार्षिक नियत प्रभारों के अनुपात में और जलीय उत्पादन—गृह के मामले में वार्षिक क्षमता प्रभारों के अनुपात में वसूल किया जायेगाः

परंतु यह और कि यदि किसी उत्पादन कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA का विकल्प चुना है, तो प्रभावी कर दर धारा 115BAA के तहत निर्दिष्ट अधिभार और उपकर सहित कर दर होगी।

(2) लाभांष पर प्रतिफल की दर को तीन दशमलव स्थान तक पूर्णांकित किया जाएगा और इसकी निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना की जाएगीः

पूर्व—कर लाभांष पर प्रतिफल की दर = आधार दर /(1—t)

(3) उत्पादन कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रभावी कर दर को ट्रू—अप करना होगा, जो वास्तविक सकल आय के आधार पर भुगतान किए गए वास्तविक कर और किसी भी अतिरिक्त कर मांग (सहित ब्याज) को समायोजित करते हुए, आयकर प्राधिकरण से प्राप्त कर वापसी (सहित ब्याज) के साथ 2024—29 की प्रशुल्क अवधि के संबंध में किया जाएगा;

परंतुक यह कि, कर राशि के जमा में देरी या कम जमा होने के कारण उत्पन्न किसी भी दंड को उत्पादन कंपनी के लिए भुगतान किए गए वास्तविक कर की गणना करते समय नहीं माना जाएगाः

परंतुक यह भी कि यदि कोई उत्पादन कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115JB के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) का भुगतान कर रही है, तो उत्पादन कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अधिभार और उपकर सहित लागू MAT दर के साथ लाभांश पर सकल प्रतिफल दर को ट्रू–अप करना होगाः

परंतु यह और कि यदि कोई उत्पादन कंपनी धारा 115BAA के तहत कर का भुगतान कर रही है, तो उत्पादन कंपनी को और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में धारा 115BAA के तहत निर्दिष्ट अधिभार और उपकर सहित कर दर के साथ लाभांश पर सकल प्रतिफल दर को ट्रू–अप करना होगाः

परंतु यह भी कि लाभांश पर सकल प्रतिफल दर के ट्रू–अप करने के बाद किसी भी कम या अधिक वसूली को, आवश्यकता अनुसार, वर्ष दर वर्ष लाभार्थियों से वसूला जायेगा या उन्हें लौटाया जाएगा।

7–कर एस्क्रो खाताः

लाइसेंसधारी या किसी व्यक्ति जिसने उत्पादन–गृह से क्षमता का क्रय किया है, जिसे आगे लाभार्थी कहा गया है, द्वारा अनुरक्षित किये जाने वाला कर एसक्रो लेखा किसी अनुसूचित बैंक में खोला जाएगा। ऐसा लाइसेंसधारी इस खाते में दो मास के आयकर दायित्व के समतुल्य निक्षेप बनाए रखेगा। जैसा उसे वर्ष के प्रारंभ के पूर्व उत्पादन कंपनी द्वारा सूचित किया जाए।

उत्पादन कंपनी, कंपनी सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाण–पत्र के आधार पर एस्क्रो खाते से कर दायित्व का निपटारा करने के लिए उतनी धनराशि का आहरण करने के लिए प्राधिकृत होगी, जितनी धनराशि का भुगतान कर प्राधिकारियों को किया जाना है। ऐसी उत्पादन कंपनी कर प्राधिकारी से प्राप्त कर वापसी को ऐसे कर एस्क्रो खाते में जमा करेगा।

8–विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के लिए प्रतिरक्षा (एफईआरवी):

उत्पादन कंपनी विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज के संबंध में और उत्पादन गृह के लिए प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा ऋण की वापसी के लिए विदेशी विनिमय की प्रतिरक्षा का सहारा ले सकती है;

9–आयकर और प्रतिरक्षा लागत की वसूली (एफईआरवी):

उत्पादन कंपनी आयकर और एफईआरवी के संबंध में प्रतिरक्षा लागत को लाभार्थियों से आयोग के समक्ष बिना किसी आवेदन के वसूल सकती हैः

परंतु आयकर या एफईआरवी के संबंध में प्रतिरक्षा लागत के संबंध में दावा की गई किसी धनराशि पर किसी आपत्ति की स्थिति में, उत्पादन कंपनी आयोग के समक्ष उसके निर्णय के लिए समुचित आवेदन दे सकती है।

10–कठिनाई निवारण की शक्तिः

यदि इस विनियमावली को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो आयोग स्वेच्छा से या अन्यथा कोई आदेश दे सकता है लेकिन आदेश देने के पूर्व ऐसे आदेश से प्रभावित होने वाले पक्षों को आयोग युक्तियुक्त संगत अवसर देगा और ऐसी व्यवस्था करेगा जो इस विनियमावली से असंगत न हो और कठिनाई निवारण के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

11–शिथिलीकरण की शक्तिः

आयोग, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस विनियमावली के किन्हीं उपबंधों से भिन्न कदम भी स्वयं उठा सकता है या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आयोग के समक्ष आवेदन दिये जाने पर आदेश दे सकता है।

अध्याय–2

वाणिज्यिक परिचालन

12–वाणिज्यिक परिचालन का दिनाँकः

(1) निम्नलिखित मामलों में वाणिज्यिक परिचालन की तिथिः

(क) उत्पादन इकाई या तापीय उत्पादन–गृह के समूह का तात्पर्य अधिकतम अनवरत दर–निर्धारण (एमसीआर) या स्थापित क्षमता के प्रदर्शन के पश्चात् उत्पादन कंपनी द्वारा घोषित तिथि से होगा;

संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (आर एल डी सी) या राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) से अनापत्ति प्राप्ति के पश्चात् सफलतापूर्वक परीक्षण के माध्यम से, उत्पादन–गृह की आखिरी इकाई के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि, जैसी स्थिति हो,

(ख) जलीय उत्पादन–गृह की उत्पादन इकाई जिसमें पंप के जल संग्रह से जलीय उत्पादन–गृह सम्मिलित है, का तात्पर्य उत्पादन–गृह की स्थापित क्षमता के तत्समान उच्चतम समर्थता के प्रदर्शन के पश्चात् उत्पादन कंपनी द्वारा घोषित तिथि से होगा और किसी संपूर्ण उत्पादन गृह के मामले में;

संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (आर एल डी सी) या राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) से अनापत्ति प्राप्ति के पश्चात् सफलतापूर्वक परीक्षण के माध्यम से, उत्पादन–गृह की आखिरी इकाई के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि, जैसी स्थिति हो:

परंतुक यह कि;

(एक) जहाँ लाभार्थियों/दीर्घ अवधि ग्राहकों को उत्पादन–गृह से विद्युत की खरीदारी के लिए जोड़ा गया है, लाभार्थियों/दीर्घ अवधि ग्राहकों और संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आर एल डी सी) या राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल जी सी) को उत्पादन कंपनी द्वारा एक माह की सूचना के पश्चात् परीक्षण प्रारंभ होगा और परीक्षण के पूर्ण होने के पश्चात् अनुसूची 00:00 घण्टे से शुरू होगी जैसी स्थिति हो;

(दो) जहाँ लाभार्थियों/दीर्घ अवधि ग्राहकों को उत्पादन–गृह से विद्युत की खरीदारी के लिए जोड़ा नहीं गया है, संबंधित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आर एल डी सी) या राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) को उत्पादन कंपनी द्वारा सात दिन की सूचना के पश्चात् परीक्षण प्रारंभ होगा और परीक्षण के पूर्ण होने के पश्चात् अनुसूची 00:00 घण्टे से शुरू होगी जैसी स्थिति हो;

(तीन) उत्पादन कंपनी प्रमाणित करेगी कि:

(क) उत्पादन स्टेशन प्रासंगिक आवश्यकताओं और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत स्टेशनों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2010, यथासमय संशोधित, तथा ग्रिड कोड के प्रावधानों को पूरा करता है;

(ख) तापीय उत्पादन गृह के मामलें में, मुख्य संयंत्र उपकरण और सहायिकी प्रणाली, जिसमें संयंत्र का संतुलन जैसे कि ईंधन तेल प्रणाली, कोयला रख–रखाव प्रणाली, डी एम संयंत्र, पूर्व–शोधन शमन प्रणाली, राख निस्तारण प्रणाली सम्मिलित हैं और कोई अन्य स्थल विशिष्ट प्रणाली को स्थापित किया गया है; और अनवरत आधार पर उत्पादन गृह की इकाई के पूर्ण भार परिचालन में समर्थ है और जलीय उत्पादन गृह के मामलें में, मुख्य संयंत्र उपकरण और सहायिकी प्रणाली जिसमें जल निःसरण प्रणाली, प्राथमिक और द्वितीयक शीतन प्रणाली, एल पी और एच पी वायु संपीड़क, अग्नि शमन प्रणाली आदि स्थापित कर दिए गए हैं और अनवरत आधार पर इकाई के पूर्ण भार परिचालन में समर्थ हैं।

(ग) स्थायी विद्युत आपूर्ति प्रणाली, जिसमें आपातकालीन आपूर्ति और सभी आवश्यक साधन विनियोग, नियंत्रण और रक्षा प्रणाली और स्वचलित लूप सम्मिलित हैं, इकाई के पूर्ण भार परिचालन के लिए स्थापित कर दिया गया है।

(चार) ऊपर खंड (तीन) के अधीन यथा अपेक्षित प्रमाणपत्रों पर उत्पादन कंपनी के सी.एम.डी/सी.ई.ओ/एम.डी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और बाद में निदेशक मंडल द्वारा उसका अनुमोदन किया जाएगा और प्रमाण–पत्र की एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समिति के सदस्य सचिव और आर एल.डी.सी./एस.एल.डी.सी. को प्रस्तुत की जायेगी तत्पश्चात् उसके सी.ओ.डी. की घोषणा की जायेगी।

(पाँच) पूर्व परीक्षण इस विनियमावली के विनियम 12(2) के अनुसार किया जायेगा।

(छः) जलीय उत्पादन–गृह जहाँ उत्पादन स्टेशन तालाब में जल भराव या जल संग्रह के मामले यह प्रदर्शित न कर सके कि यह इकाई स्थापित क्षमता के बराबर उच्चतम क्षमता रखती है और इसका कारण अपर्याप्त जल संग्रह या तालाब के जल स्तर को समझा जाए, तो उत्पादन–गृह की अन्तिम इकाई के वाणिज्यिक परिचालन का दिन को संपूर्ण उत्पादन गृह के वाणिज्यिक परिचालन का दिन समझा जाएगा और ऐसे जलीय उत्पादन–गृह के लिये यह आवश्यक होगा कि वह, जैसे ही और जब ऐसे जल संग्रह/तालाब का स्तर पूर्ण हो, जैसा भी मामला हो, उत्पादन–गृह या उसकी इकाई की स्थापित क्षमता के समान उच्चतम क्षमता प्रदर्शित करें। पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करने में विफलता की स्थिति में, इकाई क्षमता को सीओडी से प्रदर्शित क्षमता तक घटा दिया जाएगा।

(सात) यदि सरोवर पर स्थित जलीय उत्पादन–गृह या उसकी इकाई को कम जल प्रवाह अवधि के दौरान वाणिज्यिक परिचालन के अंतर्गत घोषित किया जाए तो जब भी उच्चतम क्षमता के प्रदर्शन के लिए जल का प्रवाह अपर्याप्त हो तो ऐसे जलीय उत्पादन–गृह या उसकी इकाई के लिये यह आवश्यक होगा कि वह जब कभी भी पर्याप्त जल का प्रवाह उपलब्ध हो स्थापित क्षमता के बराबर उच्चतम क्षमता का प्रदर्शन करे, उच्चतम क्षमता का

प्रदर्शन करने में विफल रहने की दशा में इकाई की क्षमता को उसकी प्रदर्शित क्षमता तक घटा दिया जाएगा और इसे सीओडी के दिन से समझा जाएगा।

(2) पूर्व परीक्षण कार्य या पूर्व परीक्षण परिचालनः

तापीय उत्पादन–गृह या उसकी इकाई के संबंध में पूर्व परीक्षण कार्य या पूर्व परीक्षण परिचालन का तात्पर्य उत्पादन–गृह या उसकी इकाई के भली–भांति कार्य करने से होगा और यह कार्य 72 घण्टे की अनवरत अवधि के लिए अधिकतम अनवरत दर निर्धारण या स्थापित क्षमता पर निर्धारित ईंधन पर होगा और जलीय केंद्रीय उत्पादन–गृह या उसकी इकाई की दशा में 12 घंटे की अनवरत अवधि के लिए होगाः

परंतु तापीय और जलीय उत्पादन–गृहों की इकाइयां उस क्षमता का भी प्रदर्शन करेंगी जिससे इनकी अधिकतम अनवरत दर निर्धारण या स्थापित क्षमता को 105 प्रतिशत या 110 प्रतिशत तक भार में वृद्धि की जा सकेगी।

अध्याय–3

प्रशुल्क का निर्धारण

13–प्रशुल्क निर्धारणः

(1) इस विनियमावली के अधीन उत्पादन–गृह के सम्बंध में प्रशुल्क निर्धारण यथास्थिति प्रक्रम के अनुसार, इकाई के अनुसार या सम्पूर्ण उत्पादन–गृह के लिये किया जाएगा। तथापि परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने पर प्रशुल्क का निर्धारण सम्पूर्ण गृह के लिए किया जाएगा।

(2) प्रशुल्क के प्रयोजन के लिये, परियोजना की पूंजीगत लागत को अलग–अलग भागों में और स्पष्ट इकाइयों में बांट दिया जाएगा (यदि इकाइयों के कुछ भाग कार्यशील हैं) जो उत्पादन–गृह का अंश है। जहाँ पूँजीगत लागत का प्रक्रम के अनुसार, इकाई के अनुसार बंटवारा उपलब्ध नहीं और कार्याधीन परियोजनाओं की दशा में, सामान्य सुविधाओं को इकाइयों की स्थापित क्षमता के आधार पर समविभाजित किया जाएगा। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत घटकों के साथ बहुउद्देशीय जलीय विद्युत घटकों पर प्रभार्य पूंजीगत लागत को केवल प्रशुल्क के निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा।

(3) वर्तमान उत्पादन स्टेशन के विस्तार के मामले में, विस्तारित क्षमता के लिए प्रशुल्क निर्धारण इन विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

(4) बहु–उद्देश्यीय जलविद्युत उत्पादन स्टेशनों के संदर्भ में, जिनमें सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत घटक शामिल हैं, प्रशुल्क निर्धारण के लिए केवल उत्पादन स्टेशन के विद्युत घटक पर आरोपित पूंजी लागत को ही विचार में लिया जाएगा।

(5) संशोधित उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन के लिए स्थापित परिसंपत्तियां वर्तमान उत्पादन परियोजना का हिस्सा होंगी, और उनका प्रशुल्क इन विनियमों के विनियम 14 की धारा (5) के तहत दायर याचिका के अनुसार अलग से निर्धारित किया जाएगा।

14–प्रशुल्क निर्धारण के लिए आवेदनः

(क) नई परियोजनाओं के लिए–

(1) विद्युत गृहों की पूर्ण हो गयी इकाइयों के सम्बंध में प्रशुल्क निर्धारण हेतु उत्पादन कम्पनी ऐसे प्रपत्रों में और ऐसे ढ़ंग से आवेदन करेगी, जैसी कि इस विनियमावली तथा जैसा समय–समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (व्यापार का संचालन) विनियमावली, 2019 में व्यवस्थित है या उसके बाद अन्य कोई संवैधानिक पुनरधिनियमनः

परंतुक यह कि प्रशुल्क के अवधारणार्थ आवेदन उस अवधि को आच्छादित करते हुए प्रस्तुत किया जाएगा जिस अवधि के लिए प्रशुल्क की नियम एवं शर्तें प्रचालित होंगी।

(2) किसी उत्पादन स्टेशन के मामले में, जिसे इन विनियमों के लागू होने की तिथि या उसके बाद वाणिज्यिक संचालन के तहत घोषित किया गया हो, प्रशुल्क निर्धारण के लिए आवेदन इन विनियमों के परिशिष्ट–II के अनुसार, वाणिज्यिक संचालन की संभावित तिथि से 180 दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा। यह आवेदन वास्तविक रूप से किए गए पूंजीगत व्यय के आधार पर, आवेदन की तिथि तक या उससे पूर्व की किसी तिथि तक, जो वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखा–परीक्षित और प्रमाणित हो, अंतरिम प्रशुल्क निर्धारण के लिए प्रस्तुत

किया जाएगा, और अंतरिम प्रशुल्क संबंधित उत्पादन स्टेशन की इकाई के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से लागू किया जाएगाः

परंतुक या, जहां किसी नई परियोजना के लिए अंतरिम प्रशुल्क निर्धारण हेतु आवेदन इन विनियमों के धारा 14(2) के अनुसार आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, वहां आयोग आवेदन में दावा की गई परियोजना की वार्षिक स्थिर लागत का 90% तक का अंतरिम प्रशुल्क प्रदान करने पर विचार कर सकता है, जिसे इन विनियमों की धारा 14(2) के उपवाक्य के अनुसार अंतिम प्रशुल्क आदेश जारी होने के बाद समायोजित किया जाएगा।

(3) उत्पादन कंपनी को परियोजना की COD के वर्ष के लेखा–परीक्षित खातों की तिथि से 90 दिनों के भीतर या आयोग द्वारा उसकी परियोजना की पूंजी लागत के निर्धारण की तिथि से 180 दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, इन विनियमों के परिशिष्ट–II के अनुसार अंतिम प्रशुल्क के लिए एक नया आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। यदि कंपनी ऐसा करने में विफल होती है तो लाभांश पर प्रतिफल की दर को 0.25% प्रति माह या उसके भाग की दर से घटा दिया जाएगा। जब तक आयोग द्वारा छूट न दी जाए या उसे कम न कर दिया जाए, यदि परिस्थितियां ऐसी देरी की मांग करती हैं, तो ऐसा विलम्ब आवेदक के नियंत्रण से परे कारणों पर आधारित होगा और पर्याप्त सामग्री/दस्तावेजों के साथ उचित होगा, जो इक्विटी पर न्यूनतम 10% रिटर्न के अधीन होगाः

परंतुक यह कि उत्पादन कंपनी को कोयला आधारित तापीय उत्पादन स्टेशन में स्थापित उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिए पूरक प्रशुल्क निर्धारण हेतु आवेदन, ऐसे उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संचालन शुरू होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर, इन विनियमों के अनुसार प्रस्तुत करना होगाः

परंतुक यह कि उत्पादन कंपनी द्वारा अंतरिम प्रशुल्क के कारण किसी भी प्रकार की अधिक या कम वसूली को आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम प्रशुल्क के आधार पर पिछली अवधि के लिए समायोजित किया जाएगा। उत्पादन कंपनी, ऐसे अंतिम प्रशुल्क के आधार पर, अधिक वसूली की गई या कम वसूली की गई राशि की गणना करेगी और उस राशि को लाभार्थी(यों) से वसूल करेगी या उन्हें लौटाएगी। यह समायोजन अंतिम प्रशुल्क के निर्धारण की तिथि से छह महीने के भीतर, संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को लागू बैंक दर के बराबर साधारण ब्याज के साथ किया जाएगाः

परंतुक यह भी प्रावधान है कि इस विनियमन के खंड (3) के दूसरे परंतुक के अनुसार निर्धारित ब्याज आदेश जारी होने की तारीख तक देय होगा और छह–मासिक किस्तों की अवधि के दौरान कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा या लगाया नहीं जाएगा।

(4) जहां किसी नई परियोजना के लिए अंतरिम प्रशुल्क निर्धारण हेतु आवेदन इन विनियमों के धारा 14(2) के अनुसार आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, वहां आयोग आवेदन में दावा की गई परियोजना की वार्षिक स्थिर लागत का 90% तक का अंतरिम प्रशुल्क प्रदान करने पर विचार कर सकता है, जिसे इन विनियमों की धारा 14(2) के उपवाक्य के अनुसार अंतिम प्रशुल्क आदेश जारी होने के बाद समायोजित किया जाएगा।

(ख) विद्यमान परियोजनाओं के लिए–

(5) किसी विद्यमान उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई के मामले में, अगली प्रशुल्क नियंत्रण अवधि के लिए आवेदन इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से 3 महीने के भीतर उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। यह आवेदन 31.03.2024 तक की स्वीकृत पूंजी लागत के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 31.03.2024 तक किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय और 2024–29 की प्रशुल्क अवधि के संबंधित वर्षों के लिए अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय शामिल होगा। 31.03.2024 तक की स्वीकृत पूंजी लागत, सत्यापन (truing up) के आधार पर, 01.04.2024 को आरंभिक पूंजी लागत के रूप में मानी जाएगी और 2024–29 की अवधि के लिए प्रशुल्क निर्धारण का आधार बनेगी।

(6) यदि संशोधित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने के लिए विद्यमान उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई में उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई हो, तो ऐसे उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संचालन की प्रारंभ तिथि से 90 दिनों के भीतर, वास्तविक पूंजीगत व्यय, जो लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित हो, के आधार पर पूरक प्रशुल्क (क्षमता शुल्क या ऊर्जा शुल्क या दोनों) के निर्धारण के लिए आवेदन इन विनियमों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) इस विनियमन के खंड (3), (4) और (6) में निर्दिष्ट समय–सीमा के अनुसार हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में पूर्ण आवेदन दाखिल करने में उत्पादन कंपनियों द्वारा देरी के मामले में, नीचे दिए अनुसार अनुमति दी जाएगीः

	क्रम संख्या	विशिष्ट मामला	वहन लागत की अनुमति दिनांक से दी जायेगी	लागू दर
नई परियोजनाएं	1	अंतिम प्रशुल्क भरना	नियत तिथि से पहले आवेदन दाखिल किया गया	COD से बैंक दर
			नियत तिथि के बाद आवेदन दाखिल किया गया	आवेदन भरने की तिथि से बैंक कर
नई परियोजनाएं और मौजूदा परियोजनाएं	2	संशोधित उत्सर्जन मानक	नियत तिथि से पहले आवेदन दाखिल किया गया	SBI MCLR+100 आधार अंक COD से
			नियत तिथि के बाद आवेदन दाखिल किया गया	SBI MCLR+100 आवेदन भरने की तिथि से आधार अंक

परंतुक यह कि इस विनियम की धारा (1) से (6) में निर्दिष्ट कोई भी परिणाम, जो समयसीमा का पालन न करने से संबंधित है, किसी भी अन्य जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, जिसके लिए उत्पादनकर्ता विद्युत अधिनियम, 2003 और आयोग के किसी भी अन्य विनियमन के तहत उत्तरदायी हो सकता है, जिसमें समय–समय पर संशोधित UPERC (शुल्क और जुर्माना) विनियमन, 2010 भी शामिल है, परंतु उस तक सीमित नहीं है।

15–विशेष परिस्थितियों में सैद्धांतिक स्वीकृतिः

यदि कोई उत्पादन कंपनी, कानून में बदलाव या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण या विनियम 21(4) में निर्दिष्ट कार्य की मूल परिधि से परे किसी अतिरिक्त पूंजीकरण को लागू कर रही हो, तो वह ऐसी योजना(योजनाओं) पर होने वाले व्यय के लिए लाभार्थियों को पूर्व सूचना देकर, सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु याचिका दायर कर सकती है। यह याचिका अंतर्निहित धारणाओं, अनुमानों और ऐसे व्यय के औचित्य सहित प्रस्तुत की जाएगी, यदि कुल अनुमानित व्यय परियोजना की स्वीकृत पूंजी लागत का 20% या ₹300 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक हो।

16–2024–29 की अवधि के लिए प्रशुल्क का सत्यापनः

(1) 2024–29 की अवधि के लिए सत्यापन (Truing Up) याचिका, UPERC (उत्पादन प्रशुल्क की शर्तें और परिस्थितियां) विनियम, 2024 के अनुसार, 2029–34 की अवधि के लिए प्रशुल्क याचिका के साथ दायर की जाएगी। सत्यापन के आधार पर 31.03.2029 तक स्वीकृत पूंजी लागत, 01.04.2029 को आरंभिक पूंजी लागत का आधार बनेगी और 2029–34 की अवधि के लिए प्रशुल्क निर्धारण के लिए प्रयुक्त होगी।

(2) आयोग 2024–29 की अवधि के लिए सत्यापन (Truing Up) प्रक्रिया को, अगले प्रशुल्क कार्यकाल की प्रशुल्क याचिका के साथ, निम्नलिखित बिंदुओं के लिए करेगाः–

(क) 31.03.2029 तक किए गए पूंजीगत व्यय सहित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जिसे विवेकपूर्ण जांच के पश्चात आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया हो;

(ख) 31.03.2029 तक अप्रत्याशित घटनाओं और कानून में बदलाव (Change in Law) के कारण किए गए पूंजीगत व्यय सहित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जिसे आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया हो;

(ग) 31.03.2029 तक उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के कारण किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जिसे आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया होः

परंतुक यह कि यदि सत्यापन (Truing Up) आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज निर्दिष्ट समय सीमा, यानी 30.11.2029 तक प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो सत्यापन अवधि के दौरान, विलम्ब की अवधि के लिये कम वसूली गई राशि पर उत्पादन कंपनी को कोई वहन लागत/ब्याज की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, सत्यापन अवधि के दौरान अधिक वसूली गई राशि के मामले में और सत्यापन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की विलम्ब से प्रस्तुति की स्थिति में, अधिशेष राशि को वहन लागत/ब्याज सहित विनियम 16(e) के अनुसार अधिशेष राशि के साथ वसूल किया जाएगा;

परंतुक यह भी कि उपरोक्त परंतुक विद्युत अधिनियम, 2003 और आयोग के अन्य किसी भी विनियम, जिसमें, परंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, UPERC (शुल्क और जुर्माना) विनियम, 2010, जो समय–समय पर संशोधित किए गए हों, के तहत लगने वाले किसी अन्य दंड या जुर्माने से अप्रभावित रहेंगे।

(घ) उत्पादन कंपनी संपरीक्षकों द्वारा सम्यक संपरीक्षित और प्रमाणित उपगत पूंजीगत व्यय और अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के विवरणों को सत्यापन कार्य के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत करेगीः

परंतुक आयोग एक पृथक स्वतंत्र संपरीक्षक को नियुक्त कर सकता है जो आयोग के पर्यवेक्षण में किसी भी समय उत्पादन गृह की तकनीकी और वित्तीय संपरीक्षा करेगा।

(ङ) जहां सत्यापन कार्य के पश्चात, वसूल किये गए प्रशुल्क इस विनियमावली के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क से अधिक हों, तो उत्पादन कंपनी सुसंगत वर्ष की 1 अप्रैल को प्रचलित बैंक दर की समान दर पर साधारण ब्याज के साथ इस प्रकार वसूल की गई अधिक धनराशि को लाभार्थियों को वापस करेगी।

(च) जहां सत्यापन कार्य के पश्चात आयोग द्वारा इस विनियमावली के अधीन अनुमोदित प्रशुल्क की तुलना में वसूल किए गए प्रशुल्क कम हैं, तो उत्पादन कंपनी सुसंगत वर्ष की 1 अप्रैल को प्रचलित बैंक दर के समान दर पर साधारण ब्याज के साथ कम वसूल की गई धनराशि को लाभार्थियों से वसूल करेगी।

(छ) कम वसूल की गई या अधिक वसूल की गई धनराशि सुसंगत वर्ष की 1 अप्रैल को प्रचलित बैंक दर के बराबर दर पर साधारण ब्याज के साथ उत्पादन कंपनी द्वारा वसूली या वापस की जाएगी। यह कार्य 6 समान मासिक किश्तों में, आयोग द्वारा सत्यापन कार्य करने के पश्चात जारी प्रशुल्क आदेश की तिथि से तीन मास के भीतर होगाः

परंतुक यह भी प्रावधान है कि इस विनियमन के खंड (3) के दूसरे परंतुक के अनुसार निर्धारित ब्याज आदेश जारी होने की तारीख तक देय होगा और छह–मासिक किस्तों की अवधि के दौरान कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा या लगाया नहीं जाएगा।

अध्याय–4

पूंजीगत लागत और ढांचा

17–पूंजीगत लागत–

(1) आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अधीन, परियोजना की पूर्णता पर किये गये वास्तविक व्यय नयी तथा विद्यमान परियोजना के लिए अंतिम रूप से प्रशुल्क के निर्धारण का आधार बनेंगे।

(2) नयी परियोजना, विस्तार परियोजना सहित के लिए अंतिम प्रशुल्क निर्धारण स्वीकृत पूँजीगत लागत पर आधारित होगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे–

(क) परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन के दिन तक किये गये वास्तविक व्यय;

(ख) निर्माण काल में ऋणों पर ब्याज एवं वित्तीय पोषण प्रभार (i) परिनियोजित निधियों के 70% के बराबर ऋण पर होंगे, 30% से अधिक वास्तविक लाभांश के मामले में अधिक लाभांश को मानक ऋण माना जाएगा, अथवा (ii) वास्तविक लाभांश परिनियोजित निधियों के 30% से कम होने की स्थिति में ऋण की राशि वास्तविक ऋण के बराबर होगी।

(ग) अनुबंध पैकजों की लागत में वृद्धि जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित हों।

(घ) निर्माण अवधि में ब्याज तथा आनुषंगिक व्यय इस विनियमावली के अनुसार आगणित किये गये हों।

(ङ) सीमान्त तिथि तक (आई0डी0सी0, आई0ई0डी0सी0, भूमि लागत तथा निर्माण कार्यों की लागत को छोड़कर) 4% की सीमा मानक (संयंत्र एवं मशीनरी की लागत के प्रतिशत के रूप में) के अधीन प्रारंभिक कल पुर्जों का पूंजीकरणः

परंतुक कि जहां प्रारंभिक कल पुर्जों के लिए चिन्हित मानक केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा पूंजीगत लागत के संबंध में लागू चिन्हित मानकों के भाग के रूप में प्रकाशित किये गये हों तथा विवेकपूर्ण जांच के लिए आयोग द्वारा अंगीकृत किये गये हों, तो ऐसे मानक उपर्युक्त विनिर्दिष्ट मानकों के अपवर्जन के लिए लागू किये जायेंगे;

परंतुक जहां विद्युत गृह के पास पारेषण उपकरण उत्पादन परियोजना के अंश के रूप में हैं ऐसे उपकरण के लिए ऐसे कल पुर्जों की सीमांत लागत समय–समय पर आयोग द्वारा पारेषण प्रणाली के लिए विनिर्दिष्ट सीमांत लागत होगी।

(च) इस विनियमावली के अनुसार अतिरिक्त पूंजीकरण और अपूंजीकरण के कारण व्यय;

(छ) इस विनियमावली के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सी0ओ0डी0 के पूर्व ईंधन लागत से अधिक अस्थिर विद्युत की बिक्री के कारण राजस्व का समायोजन;

(ज) राख निस्तारण और उपयोग के कारण पूंजीगत व व्यय जिसमें रखरखाव और परिवहन सुविधा सम्मिलित है।

(झ) समर्पित पारेषण लाइन के विकास हेतु किया गया पूंजीगत व्ययः

परंतुक यह कि ऐसी समर्पित पारेषण लाइन के संबंध में प्रशुल्क का निर्धारण यू0पी0ई0आर0सी0 (पारेषण हेतु बहुवर्षिय प्रशुल्क) विनियम, 2025 जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया हो, के अनुसार किया जाएगा;

(ञ) कोयले के परिवहन हेतु रेलवे अधोसंरचना और उसके संवर्धन पर किया गया पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन स्टेशन के प्राप्ति बिंदु तक कोयले के परिवहन के लिए आवश्यक है, परंतु इसमें रेलवे को दिया गया परिवहन व्यय और अन्य सहायक लागत शामिल नहीं होंगे;

(ट) सह–दहन (co-firing) के लिए बायोमास संचालन उपकरण और सुविधाओं पर किया गया पूंजीगत व्यय;

(ठ) संशोधित उत्सर्जन मानकों और अपजल उपचार संयंत्र का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली पर किया गया पूंजीगत व्यय;

(ड) परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु किसी भी शर्त को पूरा करने के संबंध में किया गया व्यय;

(ढ) कानून में परिवर्तन और अप्रत्याशित घटनाओं के कारण किया गया व्यय;

(ण) ग्रिड कोड के अनुसार उत्पादन स्टेशन के लचीले संचालन को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक व्यय;

(त) तापीय विद्युत गृह के संदर्भ में भारत सरकार के निष्पादन, प्राप्ति तथा व्यापार (पी.ए.टी.) योजना के अधीन स्थापित तापीय उत्पादन गृह पर व्यय की गई या व्यय किये जाने के लिए दिखाई गई पूंजीगत लागत के प्रत्येक मामले में विचार किया जाएगा बशर्ते और लाभार्थियों में पी ए टी योजना के अधीन प्राप्त लाभों को बांटा गया हैः

परंतु समझौता ज्ञापन के माध्यम से चलने वाली परियोजनाओं के लिए जो विद्युत क्रय अनुबंध के अधीन है, उत्पादन कंपनी और लाभार्थियों के मध्य सहमत हुई सीमांत पूँजीगत लागत आयोग के अनुमोदन के लिए उसके संज्ञान में लाई जाएगी और अनुमोदित लागत विद्युत क्रय अनुबंध का भाग होगी। वास्तविक पूंजीगत लागत, यदि यह अनुमोदित सीमांत लागत के बराबर है, विवेकपूर्ण जाँच के आधार पर होगी और आयोग द्वारा प्रशुल्क का निर्धारण इसी आधार पर किया जायेगा। यदि वास्तविक लागत कम है तो विवेकपूर्ण जांच के अधीन कम लागत पर विचार किया जाएगा और यदि यह अधिक है तो अतिरिक्त लागत की पहले पुष्टि की जाएगी और उत्पादन कंपनी और लाभार्थी के मध्य सहमति बनाई जाएगी, तत्पश्चात् विवेक पूर्ण जाँच करते हुए आयोग उस पर विचार करेगा और उसका अनुमोदन करेगा।

(3) स्वीकृत पूँजीगत लागत के आधार पर विद्यमान परियोजना के अंतिम प्रशुल्क का निर्धारण किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगें:–

(क) दिनांक 1–04–2024 के पूर्व आयोग द्वारा स्वीकृत लागत जिसका देयताओं को यदि कोई हों, सम्मिलित न करते हुए, दिनांक 01–04–2024 को सम्यक रूप से सत्यापन किया जायेगा;

(ख) प्रशुल्क के सुसंगत वर्ष के लिए अतिरिक्त पूँजीकरण और अपूँजीकरण इस विनियमावली के अनुसार निर्धारित की जाएगी;

(ग) इस विनियमावली के अनुसार आयोग द्वारा यथा स्वीकृत पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण पर व्यय;

(घ) राख निस्तारण और उपयोग के कारण पूँजीगत व्यय जिसमें रखरखाव और परिवहन सुविधा सम्मिलित हैः

(ङ) कोयले के परिवहन हेतु रेलवे अधोसंरचना और उसके संवर्धन पर किया गया पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन स्टेशन के प्राप्ति बिंदु तक कोयले के परिवहन के लिए आवश्यक है, परंतु इसमें रेलवे को दिया गया परिवहन व्यय और अन्य सहायक लागत शामिल नहीं होगी।

(च) सह–दहन (Co-firing) के लिए बायोमास संचालन उपकरण और सुविधाओं पर किया गया पूंजीगत व्यय;

(छ) संशोधित उत्सर्जन मानकों और अपजल उपचार संयंत्र का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली पर किया गया पूंजीगत व्यय;

(ज) ग्रिड कोड के अनुसार उत्पादन स्टेशन के लचीले संचालन को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक व्यय;

(झ) कानून में परिवर्तन और अप्रत्याशित घटनाओं के कारण किया गया व्यय;

(ञ) तापीय विद्युत गृह के संदर्भ में भारत सरकार के निष्पादन, प्राप्ति तथा व्यापार (पी0ए0टी0) योजना के अधीन स्थापित तापीय उत्पादन गृह पर व्यय की गई या व्यय किए जाने के लिए दिखाई गई पूँजीगत लागत के प्रत्येक मामले में अलग–अलग आधार पर विचार किया जाएगा बशर्ते लाभार्थियों में पी0ए0टी0 योजना के अधीन प्राप्त लाभों को बाँटा गया है;

(4) मौजूदा समर्पित पारेषण लाइन के संबंध में आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजीगत लागत पर आधारित प्रशुल्क का निर्धारण संबंधित नियंत्रण अवधि के लागू पारेषण विनियमों की शर्तों, मापदंडों और मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

(5) विद्यमान या नवीन जलीय उत्पादन गृह की दशा में पूँजीगत लागत में यथा–अनुमोदित राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनःस्थापन नीति और पुनर्वास और पुनःस्थापन पैकेज के अनुकूल परियोजना का अनुमोदित पुनर्वास और पुनःस्थापन योजना की लागत सम्मिलित होगी।

(6) विद्यमान और नई परियोजनाओं की पूंजीगत लागत से निम्नलिखित को निकाल दिया या हटा दिया जाएगाः–

(क) परिसंपत्तियाँ जो परियोजना का भाग हैं लेकिन प्रयोग में नहीं हैं;

(ख) अप्रयोजित रह जाने या एक परियोजना से दूसरी परियोजना को अंतरित किये जाने के कारण बदलाव या हटाने की वजह से वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के पश्चात अपूंजीकृत–बंद की गई परिसंपत्तियांः

परंतु यह कि जब तक परिसंपत्ति का एक परियोजना से दूसरी परियोजना में अंतरण स्थायी न हो, तब तक संबंधित परिसंपत्ति का अ–पूंजीकरण नहीं होगा।

(ग) जलीय उत्पादन गृहों के संबंध में राज्य सरकार से परियोजना स्थल का आवंटन प्राप्त करने के लिए परियोजना विकासकर्ता द्वारा उपगत कोई व्यय या उपगत किए जाने के लिए वचनबद्धता पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार;

(घ) भूमि की समानुपाती लागत जिसका प्रयोग नवीकरणीय ऊर्जा के आधार पर उत्पादन गृह से उत्पादित विद्युत के लिए किया जा रहा है;

(ङ) परियोजना के निष्पादन के लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी सांविधिक निकाय या प्राधिकरण से प्राप्त वापसी के दायित्व से मुक्त कोई अनुदान;

(7) पूंजीगत लागत की विवेकपूर्ण जांचः विद्यमान या नई परियोजना की पूंजी लागत की विवेकपूर्ण जाँच के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए जाएंगेः–

(क) पूंजीगत लागत का सत्यापन आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार किया जाएगा और आयोग समय–समय पर केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट/निर्धारित किए जाने वाले मानक मानदंडों पर विचार कर सकता हैः

परंतु विवेकपूर्ण जांच में पूंजी व्यय की संवीक्षा, वित्तीय योजना निर्माण के दौरान ब्याज, निर्माण के दौरान अनुषंगी तर्कसम्मत व्यय, दक्ष प्राविधिकी का प्रयोग, लागत का अतिक्रमण और समय का अतिक्रमण, उपार्जन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली और अन्य ऐसे मामले जिन्हें प्रशुल्क के निर्धारण के लिए आयोग द्वारा समुचित समझा जाए सम्मिलित होंगे। विवेकपूर्ण जांच के दौरान आयोग इस तथ्य को देखेगा कि क्या उत्पादन कम्पनी परियोजना के निष्पादन के लिए निर्णय लेने में सचेत रही है और परियोजना को निष्पादित करने में भी सतर्क रही हैः

परन्तुक यह भी कि यदि कोई पूंजीगत व्यय परियोजना पर सम्बन्धित पक्ष द्वारा प्राप्तकर्ता की पूर्व् अनुमति के बिना व्यय किया गया हो, जैसा कि कंपनी अधिनियम–2013 में वर्णित है, तो इसे पूँजीगत लागत में सम्मिलित नहीं माना जायेगाः

परंतुक यह भी कि उत्पादन कंपनी संदर्भित मानकों से अधिक लागत की अनुमति देने के लिए आयोग की संतुष्टि के अनुसार पूंजीगत लागत से अधिक लागत के कारण प्रस्तुत करेगी।

(ख) परियोजना की पूंजीगत लागत को निर्धारित करने के लिए आयोग नए दिशानिर्देश जारी कर सकता है या केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निहित दिशा निर्देशों को अपना सकता है। यह कार्य किसी स्वतंत्र अभिकरण के माध्यम से किया जाएगा और ऐसी स्थिति में ऐसे अभिकरण या विशेषज्ञ द्वारा विधीक्षित पूंजीगत लागत पर आयोग द्वारा उत्पादन–गृह के लिए प्रशुल्क निर्धारित करते समय ध्यान दिया जाएगा।

(ग) परियोजनाओं की अनुसूची को लागू करने तथा उनके अनुमोदन के लिये आयोग नए दिशा निर्देश जारी कर सकता है या संवीक्षा और अनुमोदन के लिए केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विहित दिशा निर्देश अपना सकता है जिन पर विवेकपूर्ण जांच किया जायेगा।

(घ) जहां उत्पादन कंपनी और लाभार्थियों के मध्य हुए विद्युत क्रय अनुबंध में वास्तविक पूंजीगत लागत की सीमा की व्यवस्था है, आयोग पूंजीगत लागत की विवेकपूर्ण जाँच करते समय प्रशुल्क के निर्धारण में ऐसी सीमा पर विचार करेगा।

(ङ) उत्पादन कंपनी इस विनियमावली के परिशिष्ट–II के अनुसार विद्यमान और नई परियोजनों के निष्पादन के लिए पूंजीगत लागत प्रस्तुत करेगा। इसमें विभिन्न घटकों की संदर्भित पूंजीगत लागत का डाटा बेस सृजित करने के प्रयोजन के लिए प्रशुल्क याचिका साथ रहेगी।

18–निर्माण के दौरान ब्याज (आई0डी0सी0), निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्ययः–

(1) निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (आई0डी0सी0) की गणना वास्तविक ऋण और मानक ऋण को ध्यान में रखते हुए की जाएगी, जिसमें वास्तविक वाणिज्यिक संचालन तिथि (COD) तक निधियों के उचित चरणबद्ध उपयोग को शामिल किया जाएगाः

परंतुक यह कि निधियों के कुल प्रवाह में 30% से अधिक लाभांश के मामले में, मानक ऋण पर IDC की अनुमति तभी दी जाएगी जब वास्तविक रूप से लाभांश का प्रवाह समान स्तर आधार पर कुल प्रवाहित निधियों का 30% से अधिक हो, और इसकी गणना त्रैमासिक आधार पर की जाएगीः

परंतुक यह भी कि यदि वास्तविक ऋण के प्रवाह से पहले मानक ऋण पर आई0डी0सी0 की अनुमति दी जानी है, तो ऐसे आई0डी0सी0 की गणना के लिए ब्याज दर उस वर्ष की 1 अप्रैल को प्रचलित 1–वर्षीय SBI MCLR के बराबर होगीः

परंतुक यह भी कि वास्तविक ऋण के प्रवाह के बाद मानक ऋण पर आई0डी0सी0 की गणना संबंधित तिमाही के लिए भारित औसत ब्याज दर (WAROI) के आधार पर की जाएगी।

(2) निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय की गणना शून्य दिन से और वाणिज्यिक परिचालन के दिन तक परिचालन के दिन पूर्व व्यय को ध्यान में रखने के पश्चात् की जाएगीः

परंतुक निर्माण अवधि से वाणिज्यिक परिचालन के दिन के दौरान निक्षेपों या अग्रिमों पर ब्याज के कारण प्राप्त कोई राजस्व या किन्हीं अन्य प्राप्तियों पर, जो निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय के रूप में हों, विचार किया जाएगा।

(3) अनुसूचित वाणिज्यिक परिचालन के दिन तक पहुंचने में विलंब के कारण आई0डी0सी0 और आई0ई0डी0सी0 में हुई अतिरिक्त लागत की दशा में, उत्पादन कपंनी से यह अपेक्षा होगी कि वह इस विलंब के लिए पुष्टि करने वाले दस्तावेजों के साथ विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करें। इसमें आई0डी0सी0 के मामले में निधि का विवेकपूर्ण बंटवारा और विलंब की अवधि के दौरान आई0डी0सी0 का विवरण और विलंब के संबंध में उन्मोचित हानियां जो पूरी की गईं या पूरी करने योग्य हैंः

परंतु यदि परिचालन दिन तक पहुंचने में विलंब उत्पादन कंपनी के कारण नहीं है अपितु इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट अनियंत्रित कारकों की वजह से है, तो आई0डी0सी और आई0ई0डी0सी को एस0सी0ओ0डी के परे विवेकपूर्ण जाँच के पश्चात् छूट अनुमन्य की जा सकती है और संविदाकार या आपूर्तिकर्ता या अभिकरण से वसूल की गई या वसूलने योग्य उन्मोचित हानियाँ, यदि कोई हों, को उत्पादन–गृह की पूंजीगत लागत में समायोजित की जाएंगीः

परंतु यह और कि केवल आई0डी0सी को ही एस0सी0ओ0डी के परे वृद्धि के कारण वास्तविक ऋण पर अनुमन्य किया जाएगा और वह भी उस स्थिति में जब सम्यक विवेक और निधि के विवेकपूर्ण बंटवारे पर विचार करने के पश्चात् यह पाया जाए कि विलंब उत्पादन कंपनी के नियंत्रण से परे है और इस विलंब की सीमा तक आई0डी0सी0 में छूट अनुमन्य है।

(4) यदि सी0ओ0डी तक पहुंचने में विलंब उत्पादन कंपनी की ओर से है या उसके संविदाकार या आपूर्तिकर्ता या अभिकरण के कारण, तो ऐसी दशा में, एस0सी0ओ0डी की सीमा के बाहर आई0डी0सी0 और आई0ई0डी0सी में छूट को विवेकपूर्ण जाँच के बाद आनुपातिक आधार पर अनुमन्य करने से मना किया जा सकेगा और यह विलंब की उस अवधि के लिए होगी जिसे क्षम्य नहीं माना गया है और संविदाकार या आपूर्तिकर्ता या अभिकरण से वसूल की गई या वसूलने योग्य उन्मोचित हानियां, यदि कोई हों, पूंजीगत लागत की गणना के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

(5) इस विनियम के खंड (3) और (4) के उद्देश्यों के लिए, वास्तविक और मानक ऋण पर IDC को इन विनियमों के विनियम 23 के खंड (1) के तहत निर्दिष्ट मानक ऋण–लाभांश अनुपात के अनुसार माना जाएगा।

19–नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय कारकः

निम्नलिखित नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय कारक माने जायेंगे जिसके कारण परियोजना में अधिक समय लगना, परियोजना की अनुबंधित लागत में वृद्धि, आई0डी0सी0 के एवं आई0ई0डी0सी0 पर प्रभाव पड़ता है,

(1) 'नियंत्रणीय कारकों' में सम्मिलित किन्तु यहीं तक सीमित नहीं, होंगे,–

(क) परियोजना के निष्पादन में दक्षता जो परियोजना के क्षेत्र के अनुमोदन में परिवर्तन सांविधिक कराधान में परिवर्तन या विधि में परिवर्तन अपरिहार्य घटनाओं से अंतर्निहित न हो, और

(ख) उत्पादन कम्पनी के नियुक्त ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता या संस्था के कारण परियोजना के निष्पादन में विलम्ब।

(2) 'अनियंत्रणीय कारकों' में सम्मिलित किन्तु यहीं तक सीमित नहीं, होंगे किन्तु निम्न सीमा तक ही सीमित नहीं होंगे,

(क) अप्रत्याशित घटनायें

(ख) कानून में परिवर्तन

(ग) भूमि अधिग्रहण, जब तक कि विलंब उत्पादन कंपनी पर आरोपणीय न होः

परंतुक कि यदि उत्पादन स्टेशन और संबंधित पारेषण प्रणाली के बीच SCOD (निर्धारित वाणिज्यिक संचालन तिथि) में असमानता होती है, तो इस मामले को यू0पी0ई0आर0सी0 (पारेषण हेतु बहुवर्षीय प्रशुल्क) विनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया हो, निपटाया जाएगा।

20–प्रारंभिक कल–पूर्जेः प्रारंभिक कल–पूर्जों को संयंत्र और मशीनरी लागत के एक प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित अधिकतम सीमा मानदंडों के अधीन पूंजीकृत किया जा सकता हैः

क	कोयला आधारित/लिग्नाइट आधारित तापीय उत्पादन स्टेशन	4.0%
ख	गैस टर्बाइन/कंबाइंड साइकिल तापीय उत्पादन स्टेशन	4.0%
ग	हाइड्रो उत्पादन स्टेशन, जिसमें पंप स्टोरेज हाइड्रो उत्पादन स्टेशन शामिल हैं।	4.0%

परंतुक किः

संयंत्र और मशीनरी लागत को मूल परियोजना लागत के रूप में माना जाएगा, जिसमें IDC, IEDC, भूमि लागत और सिविल कार्यों की लागत शामिल नहीं होंगी। संयंत्र और मशीनरी लागत के अनुमान के लिए, उत्पादन कंपनी को अपनी प्रशुल्क याचिका में मुख्य मदवार IDC और IEDC का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

जहां उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई है, वहां कोयला आधारित तापीय उत्पादन स्टेशनों के लिए इस विनियम में निर्दिष्ट प्रारंभिक कल–पूर्जों के मानदंड लागू होंगे।

21–अतिरिक्त पूंजीकरणः

(A) अन्तिम तारोख तक मूल दायरे में अतिरिक्त पूंजीकरणः

(1) नयी परियोजना या विद्यमान परियोजना के सम्बंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् तथा विवेकपूर्ण जांच के शर्ताधीन आयोग द्वारा स्वीकृत सीमांत तिथि तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मूल कार्यक्षेत्र के

अन्तर्गत किये गये वास्तविक कार्यों के निम्नलिखित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय आयोग द्वारा स्वीकार किये जा सकते हैं:–

(क) आस्थगित देनदारियाँ,

(ख) निष्पादन के लिए आस्थगित निर्माण कार्य, कार्य की मौलिक प्रगति में, इस विनियमावली में निर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रारंभिक पूंजीगत कलपुर्जों का क्रय।

(ग) विवाचन के निर्णय के पश्चात अथवा किसी न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री को पूरा करने के लिए भुगतान;

(घ) कानून में परिवर्तन या किसी ऐसे मौजूदा कानून का अनुपालन, जो मूल कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं था, के कारण होने वाला व्यय;

(ङ) अप्रत्याशित घटनायें:

परंतुक यह कि अनन्तिम और अंतिम प्रशुल्क के लिए आवेदन के साथ–साथ व्यय के अनुमानों सहित निर्माण कार्य के मौलिक कार्यक्षेत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की जायेगी:

परंतुक यह भी कि परिसंपत्तियों के किसी प्रतिस्थापन की दशा में, सकल नियत परिसंपत्तियों का समायोजन और अ–पूंजीकरण पूंजी–बंदी के कारण प्रतिस्थापित परिसंपंत्तियों के संचयी मूल्य ह्रास के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण का आकलन होगा:

परंतुक यह भी कि भविष्य में भुगतान की जाने वाली आस्थगित दायित्वों और निष्पादन के लिए आस्थगित कार्यों की सूची प्रस्तुत की जाएगी जिसके साथ उत्पादन–गृह के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि के पश्चात अंतिम प्रशुल्क के लिए आवेदन सम्मिलित होगा।

(B) कट ऑफ तारीख के पष्चात मूल दायरे में अतिरिक्त पूंजीकरण:

(2) किसी नयी परियोजना या विद्यमान परियोजना के बारे में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात और अन्तिम तारीख तक कार्य के मूल दायरे के अन्तर्गत वास्तव में किया गया निम्नलिखित प्रकृति के पूंजीगत व्यय को आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अध्यधीन स्वीकार किया जायेगा:–

(i) विवाचक के निर्णय के पश्चात् अथवा किसी सांविधिक प्राधिकारी के आदेश अथवा किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री को पूरा करने के लिए भुगतान;

(ii) कानून में परिवर्तन या किसी ऐसे मौजूदा कानून का अनुपालन, जो मूल कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं था;

(iii) अप्रत्याशित घटनायें:

(iv) कार्य के मौलिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्यों/सेवाओं में राख–जलाशय या राख संचालन राख निस्तारण प्रणाली के भाग के रूप में राख के चारों ओर भित्ति बनाना से सम्बंधित आस्थगित देनदारियां;

(v) निर्दिष्ट तिथि से पहले मूल कार्यक्षेत्र के तहत निष्पादित कार्यों के लिए स्वीकृत देनदारियों का भुगतान;

(vi) निर्दिष्ट तिथि के बाद मूल कार्यक्षेत्र के तहत निष्पादित कार्य, जिसे आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया हो, वास्तविक भुगतान की सीमा तक;

(3) निर्दिष्ट तिथि के बाद विद्यमान परियोजना के तहत मूल कार्यक्षेत्र में प्रसरित परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन की स्थिति में, निम्नलिखित आधारों पर सकल स्थिर परिसंपत्तियों और संचयी मूल्यह्रास में आवश्यक समायोजन करने के बाद, आयोग द्वारा अतिरिक्त पूंजीकरण को विवेकपूर्ण जांच के बाद स्वीकृत किया जा सकता है:–

(क) ऐसी परिसंपत्तियां जिनका उपयोगी जीवन परियोजना के उपयोगी जीवन के अनुरूप नहीं है और ऐसी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण हो चुका है;

(ख) परिसंपत्ति या उपकरण का प्रतिस्थापन किसी विधिक परिवर्तन या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण आवश्यक हों; या

(ग) प्रौद्योगिकी की अप्रचलनता के कारण ऐसी परिसंपत्तियों या उपकरणों का प्रतिस्थापन आवश्यक हों; या

(घ) ऐसी परिसंपत्तियों या उपकरणों का प्रतिस्थापन आयोग द्वारा अन्यथा अनुमोदित हो:

परंतुक यह कि यदि मूल कार्यक्षेत्र के तहत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के संबंध में 50 लाख रुपये से कम का कोई दावा किया जाता है, तो इसे पूंजी लागत का हिस्सा नहीं माना जाएगा और इसे मानक ओएण्डएम व्यय (O&M Expenses) के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

(C) मूल कार्यक्षेत्र से परे अतिरिक्त पूंजीकरणः

(4) विद्यमान उत्पादन संयंत्र में मूल कार्यक्षेत्र से परे निम्नलिखित मामलों में किए गए पूंजी व्यय को, विवेकपूर्ण जांच के बाद आयोग द्वारा स्वीकृत किया जा सकता हैः—

(क) विवाचन के निर्णय के अनुपालन में या किसी वैधानिक प्राधिकरण के आदेश या निर्देश या किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन में भुगतान किया गया व्यय;

(ख) कानून में परिवर्तन या किसी विद्यमान कानून के अनुपालन हेतु किया गया व्यय;

(ग) अप्रत्याशित घटनाओं के कारण किया गया व्यय;

(घ) समुचित सरकारी अभिकरणों, सांविधिक निकायों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा के लिये सुझाव दिए गए या यथा निर्देशित संयंत्र की उच्चतर सुरक्षा की जरूरत के कारण किया जाने वाला कोई व्यय;

(ङ) केस दर केस आधार पर मूल कार्यक्षेत्र से परे राख तालाब या राख प्रबंधन प्रणाली या राख बांध (ash dyke) के उन्नयन से संबंधित कार्यः

परंतुक यह कि यदि किसी व्यय का पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण या संचालन एवं अनुरक्षण व्यय के अंतर्गत दावा किया गया है, तो उसी व्यय का दावा इस विनियम के अंतर्गत नहीं किया जाएगा।

(च) थर्मल उत्पादन संयंत्र में अपजल सोधन संयंत्र से पानी के उपयोग से संबंधित व्यय;

(छ) बायोमास सह—दहन (biomass co-firing) को सक्षम करने और संयंत्र के लचीले संचालन के लिए आवश्यक प्रणाली से संबंधित कार्य;

(ज) उत्पादन—गृह के प्राप्ति बिन्दु तक कोयले के परिवहन के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके उन्नयन से संबंधित कार्य (परिवहन व्यय तथा रेलवे को दिये गये किसी संलग्न व्यय को छोड़कर जिनसे इंधन प्रबन्धन होगा और जो ऑपरेशन लागत को कम कर सकते हैं या अन्य ठोस लाभ प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते कि ये कार्य विनियमन 21(1), 21(2) और 21(7) के अंतर्गत आच्छादित न होंः

परन्तुक कि उत्पादन कंपनी को ऐसी योजनाओं के विस्तृत लागत—लाभ विश्लेषण के आधार पर ऐसे कार्यों को कार्यान्वित करने से पहले आयोग का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से लेना होगा;

(5) यदि किसी अतिरिक्त पूंजीकरण का दावा 50 लाख रुपये से कम है, तो उपरोक्त विनियम की धारा 5 के तहत विचारित नहीं किया जाएगा और इसे मानक ओएण्डएम व्यय (O&M) के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

(6) यदि किसी उत्पादन कंपनी की परिसंपत्तियों का अ—पूंजीकरण किया जाता है, तो अ—पूंजीकरण की तिथि पर उस परिसंपत्ति की मूल लागत को सकल स्थिर परिसंपत्तियों से घटाया जाएगा और संबंधित ऋण और लाभांष को संचयी मूल्यह्रास और ऋण पुनर्भुगतान में आवश्यक समायोजन के उस वर्ष में समायोजित किया जाएगा जिसमें अ—पूंजीकरण हुआ होः

परंतुक यह कि यदि किसी परिसंपत्ति के अ—पूंजीकरण की स्थिति में उसकी ऐतिहासिक लागत उपलब्ध नहीं है, तो अ—पूंजीकरण का मूल्यांकन नए परिसंपत्ति के मूल्य को अपक्षय दर से घटाकर किया जाएगा, जो कि परिशिष्ट—III में निर्दिष्ट दर के अनुसार होगा या यदि अपक्षय दर निर्दिष्ट नहीं है तो 5% प्रति वर्ष की दर से, मूल परिसंपत्ति के पूंजीकरण वर्ष तक, लेकिन परिसम्पत्ति के न्यूनतम 10% प्रतिस्थापन लागत के अधीन होगाः

परंतुक यह कि विनियम 21(1), 21(2), 21(4), 21(5) के तहत विस्तृत कार्यों के कार्यान्वयन के लिए किए गए अतिरिक्त पूंजी व्यय को सत्यापन के समय आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच की जायेगी और उत्पादन कंपनी को ऐसी योजनाओं की विस्तृत व्याख्या, प्रासंगिक नियामक प्रावधान और लागत—लाभ विश्लेषण प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी 1—कार्य के मूलक्षेत्र और व्यय के संबंध में प्रतिबद्ध देयताओं आश्वस्त देनदारियों के कारण स्वीकृत किसी व्यय को जिसे तकनीकी आर्थिक आधार पर आस्थगित कर दिया गया लेकिन कार्य के मूल क्षेत्र के भीतर आता हो, इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट मानकीय ऋण—लाभांष में जोड़ा जाएगा।

टिप्पणी 2—नए कार्यों के कारण जो कार्य के मूलक्षेत्र में न हों, प्रशुल्क के निर्धारण के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत किसी व्यय को इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट मानकीय ऋण— लाभांश में जोड़ा जाएगा।

(7) नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर0 एवं एम0) के कारण अतिरिक्त पूंजीकरणः—

(क) विद्युत गृह या उसकी इकाई की अवधि विस्तार के लिए कराये जाने वाले नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए जल विद्युत उत्पादन कम्पनी, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, उसकी व्यापकता, औचित्य, लागत लाभ, विवेचना, सन्दर्भ तिथि से अनुमानित अवधि विस्तार, वित्तीय पैकेज, व्यय की चरणबद्धता, पूर्णता की अनुसूची, संदर्भित लागत स्तर, अनुमानित पूर्ण होने की लागत, विदेशी विनिमय अवयव, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगीः

परंतुक यह कि नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिये आवेदन करने वाली उत्पादन कम्पनी इन विनियमों के विनियम 21(8) के अधीन विषेश भत्ते के लिये पात्र नहीं होगीः

परंतुक यह कि यदि कोई उत्पादन कंपनी पुनर्वास और आधुनिकीकरण करने का इरादा रखती है, तो उसे ऐसे पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए लाभार्थियों की सहमति प्राप्त करनी होगी और याचिका के साथ लाभार्थियों की प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी होगी;

(ख) जब उत्पादन कंपनी पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए आवेदन करती है तो प्रस्तावित पूंजी अनुमानों, वित्तीय योजना, पूर्ण होने की अनुसूची, निर्माण के दौरान ब्याज, दक्ष तकनीक का प्रयोग, लागत लाभ विश्लेषण, जीवन विस्तार की अपेक्षित अवधि, लाभार्थियों की सहमति, यदि प्राप्त की गई है, और ऐसे अन्य घटकों पर विचार किया जाएगा जिनकी उपयुक्तता पर सम्यक विचार करने और सुसंगत समझने के पश्चात अनुमोदित कर दे।

(ग) पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण कार्य पूरा होने के बाद, उत्पादन कंपनी को प्रशुल्क निर्धारण के लिए याचिका दायर करनी होगी। पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण पर किए गए या अनुमानित व्यय को, जो आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के बाद स्वीकृत होगा, और मूल परियोजना लागत से पहले ही वसूली गई संचयी मूल्यह्रास को घटाने के पश्चात, प्रशुल्क निर्धारण का आधार माना जाएगा।

(घ) खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रावधान लागू होंगे, जबकि उत्पादन कंपनी प्रत्येक उत्पादन केन्द्र की कम से कम एक इकाई के जीवन विस्तार और निष्पादन में सुधार के लिए हर वर्ष आर0एण्ड0एम0 की योजना बनाना सुनिश्चित करे, जहाँ भी आवश्यक हो, आर0एण्ड0एम0 को सुगम बनाने या चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए उचित तकनीकी आर्थिक अध्ययन और आयोग से अनुमोदन के बाद।

(ङ) आर0एण्ड0एम0 और जीवन विस्तार पर प्रशुल्क के निर्धारण के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत कोई भी व्यय, मूल परियोजना लागत से प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों की मूल राशि को बट्टे खाते में डालने के बाद इन विनियमों में निर्दिष्ट मानक ऋण—लाभांश अनुपात पर चुकाया जाएगा। संयंत्र के आर0एण्ड0एम0 और जीवन विस्तार के उद्देश्य से उत्पादन कंपनी, समय—समय पर आयोग द्वारा जारी दिशा—निर्देशों द्वारा निर्देशित होगी।

(च) प्रशुल्क संशोधन में अतिरिक्त पूंजीकरण के प्रभाव पर आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रशुल्क अवधि में विचार किया जा सकता है, जिसमें कट ऑफ तिथि के बाद प्रशुल्क संशोधन भी शामिल है।

(8) कोयला आधारित थर्मल उत्पादन—गृह के लिये विशेष भत्ता—

(क) कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन के मामले में, उत्पादन कंपनी, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आर0एंड0एम0) का लाभ उठाने के बजाय, इस विनियमन में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार विशेष भत्ते का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकती है, जो कि कानून में परिवर्तन, मध्यस्थता के पुरस्कार या किसी वैधानिक प्राधिकरण के निर्देशों या आदेश, या किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन के लिए उत्पन्न पूंजीगत व्यय को छोड़कर विनियम 21(1), 21(2), 21(4), 21(7) में किसी भी अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए खर्चों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुआवजे के रूप में है, और उत्पादन—गृह या उसकी एक इकाई के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 25 वर्ष पूरे होने के बाद अप्रत्याशित घटना और ऐसी स्थिति में, पूंजीगत लागत में ऊपर की ओर संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी और लागू परिचालन मानदंडों में छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन विशेष भत्ता वार्षिक निर्धारित लागत में शामिल किया जाएगाः

परंतुक कि ऐसा विकल्प ऐसे उत्पादन केंद्र या इकाई के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जिसका नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया जा चुका है और इन विनियमों के लागू होने से पहले आयोग द्वारा व्यय स्वीकार कर

लिया गया है, या ऐसे उत्पादन केंद्र या इकाई के लिए जो क्षीण स्थिति में है और शिथिल परिचालन और प्रदर्शन मानदंडों के तहत परिचालन कर रहा हैः

परंतुक यह भी प्रावधान है कि विशेष भत्ता ऐसे उत्पादन केंद्र के लिए भी उपलब्ध होगा, जिसने पिछले नियंत्रण अवधि के दौरान विशेष भत्ते का लाभ उठाया है, जैसा भी लागू हो।

(ख) कोयला आधारित तापीय विद्युत गृह के लिए उत्पादन कंपनी को प्रशुल्क अवधि 2024–29 के लिए @ 10.75 लाख रुपये / मेगावाट / वर्ष की विशेष अनुमति दी जाएगीः

परंतुक यह कि 01.04.2024 को 25 वर्षों से अधिक समय से वाणिज्यिक संचालन में रही इकाई के संबंध में यह अनुमति वर्ष 2024–25 से भी स्वीकार्य होगी।

(ग) आयोग द्वारा विशेष भत्ता स्वीकृत किये जाने के मामले में उपगत व्यय या विशेष भत्ते के उपयोग का उत्पादन–गृह द्वारा प्रथक से अनुरक्षण किया जाएगा और उसका विवरण आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा जब कभी भी ऐसा निर्देषित हो।

(घ) इस विनियमन के अंतर्गत स्वीकृत विशेष भत्ते को उप–खण्ड (ख) के अनुसार नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए उपयोग हेतु एक पृथक निधि में स्थानांतरित किया जाएगा तथा विशेष भत्ते से किए गए या उपयोग किए गए व्यय को निर्देश मिलने पर आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा।

(9) संशोधित उत्सर्जन मानकों के अनुपालन हेतु अतिरिक्त पूंजीकरणः–

(क) यदि किसी उत्पादन कंपनी को संशोधित उत्सर्जन मानकों के अनुपालन हेतु किसी विद्यमान उत्पादन स्टेशन में अतिरिक्त पूंजी व्यय करने की आवश्यकता हो तो वह इस प्रस्ताव को उपभोक्ताओं के साथ साझा करेगी और इस पूंजीकरण को लागू करने हेतु याचिका दायर करेगी।

(ख) उपखंड (क) के अंतर्गत प्रस्ताव में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रस्तावित तकनीक, कार्यक्षेत्र, व्यय का चरणबद्ध विवरण, पूर्णता का समय–निर्धारण, अनुमानित लागत (विदेशी मुद्रा घटक सहित यदि हो), उपभोक्ताओं पर प्रषुल्क के संभावित प्रभाव की विस्तृत गणना और उत्पादन कंपनी द्वारा प्रासंगिक मानी जाने वाली अन्य जानकारी शामिल होगी।

(ग) जब उत्पादन कंपनी संशोधित उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त पूंजी व्यय की स्वीकृति के लिए आवेदन करती है, तो आयोग लागत अनुमान का औचित्य, वित्तीय योजना, समय–निर्धारण, निर्माण अवधि में ब्याज, कुशल तकनीक का उपयोग, लागत–लाभ विश्लेषण और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

(घ) संशोधित उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन की पूर्णता के बाद, उत्पादन कंपनी प्रशुल्क निर्धारण के लिए याचिका दायर करेगी। लागत का औचित्य और परिचालन मापदंडों पर प्रभाव के आधार पर आयोग द्वारा स्वीकृत और विवेकपूर्ण जांच के बाद किए गए या प्रस्तावित व्यय को प्रशुल्क निर्धारण का आधार माना जाएगा।

(ङ) यदि उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के कारण कोई अप्रदत्त देयता शेष रहती है, तो इसे विवेकपूर्ण जांच के अधीन, उस वर्ष के दौरान, जिसमें यह देयता समाप्त हो, अतिरिक्त पूंजी व्यय के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

22–अदृढ़ विद्युत की बिक्रीः

अदृढ़ विद्युत की बिक्री पर विचलन के संबंध में विचार, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (विचलन, निपटान प्रणाली ढंग और संबंधित विषय) विनियमावली 2024, समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार जब तक आयोग डी0एस0एम0 विनियमावली को अधिसूचित न कर दे, संबंधित विषय विनियमावली–2024 के अनुसार किया जाएगाः

परंतु ईंधन व्यय के लेखा–जोखा के पश्चात अदृढ़ विद्युत की आपूर्ति से उत्पादन कंपनी द्वारा अर्जित किसी राजस्व का पूंजीगत लागत के समायोजन में तदनुसार उपयोग किया जाएगाः

परंतु यह भी कि ग्रिड से उत्पादन–गृह द्वारा ली गई प्रारंभिक विद्युत के महासंवाहक तारों की ऊर्जा का समायोजन किया जाएगा और ऐसी ऊर्जा का बिल संविदाकृत क्षमताओं के अनुपात में लाभार्थी से लिया जाएगा।

23—ऋण अंशपूँजी अनुपातः

उत्पादन संयंत्रों के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से, प्रशुल्क निर्धारण के समय ऋण लाभांश का अनुपात 70:30 होगा। जहाँ लाभांश 30 प्रतिशत से अधिक प्रयुक्त की गयी है, प्रशुल्क निर्धारण में लाभांश 30 प्रतिशत तक ही सीमित मानी जाएगी तथा अवशेष धनराशि को मानकी ऋण समझा जाएगाः

परन्तुक :

(क) उत्पादन—गृह की पूंजीगत लागत को पूरा करने के लिए किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित उपभोग के समर्थन में आंतिरक संसाधन से निधि के विनियोजन के संबंध में कंपनी के बोर्ड के प्रस्ताव को उत्पादन कंपनी प्रस्तुत करेगी।

(ख) विद्युत—गृह के मामले में जहाँ वास्तविक विनियोजित लाभांश 30% से कम हो, तो वास्तविक ऋण और लाभांश को प्रशुल्क निर्धारण के लिए विचार में लिया जायेगा।

(ग) लाभांश विदेशी मुद्रा विनिमय में विनियोजित लाभांश को प्रत्येक विनियोजन की तिथि को भारतीय रूपये में दर्शाया जाएगा।

(घ) परियोजना के निष्पादन के लिए प्राप्त किये गये अनुदान को ऋण लाभांश अनुपात के अभिप्राय से पूंजीगत संरचना के भाग के रूप में विचारित नहीं किया जाएगा।

(ङ) उपरोक्तानुसार प्राप्त ऋण और अंशपूंजी की धनराशि का उपयोग ऋण पर ब्याज की गणना करने, अंशपूंजी पर लाभ के लिए किया जाएगा।

(च) टैरिफ अवधि के दौरान उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिए किया गया कोई भी व्यय, जिसे आयोग द्वारा अतिरिक्त पूंजी व्यय के रूप में स्वीकार किया गया हो और अनुपूरक प्रशुल्क निर्धारण के लिए स्वीकार किया गया हो, को इस विनियम में निर्दिष्ट तरीके से शोधित होगा।

(छ) दिनांक 01.04.2024 को या उसके पश्चात किये गए व्यय जैसे कि अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में आयोग द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क निर्धारण तथा जीवन विस्तार के लिए नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण व्यय उपरोक्तानुसार निर्दिष्ट विधि से शोधित होगा।

अध्याय 5

प्रशुल्क ढांचा

24—प्रशुल्क के अवयवः

(1) उत्पादन—गृह से विद्युत आपूर्ति के लिए प्रशुल्क में दो भाग शामिल होंगे, अर्थात् क्षमता प्रभार [विनियमन (24) (3) में निर्दिष्ट घटकों से युक्त वार्षिक स्थिर लागत की वसूली के लिए] और विनियमन (30) में निर्दिष्ट ऊर्जा प्रभार।

(2) संशोधित उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन के कारण वर्तमान उत्पादन स्टेशनों या नए उत्पादन स्टेशनों (जो भी लागू हो) में पूरक क्षमता शुल्क और पूरक ऊर्जा शुल्क सहित पूरक प्रशुल्क को आयोग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा।

(3) क्षमता प्रभार वार्षिक नियत लागत के आधार पर आगणित किये जायेंगे। उत्पादन गृह की वार्षिक नियत लागत में निम्नलिखित अवयव होंगेः—

(क) लाभांश पर वापसी;

(ख) ऋण पूंजी पर ब्याज;

(ग) मूल्यह्रास;

(घ) कार्यशील पूंजी पर ब्याज; और

(ङ) परिचालन और अनुरक्षण व्ययः

परंतु पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण के स्थान पर विशेष भत्ते की वसूली पृथक से की जाएगी जहां इस विनियमावली के अनुसार और वह जहां कहीं लागू हो, विकल्पित हो और कार्यशील पूंजी की गणना के लिये विचारित नहीं होगी।

(4) सहायक क्षमता शुल्कः सहायक क्षमता शुल्क का निर्धारण उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के वार्षिक निश्चित लागत (AFCe) के आधार पर किया जाएगा। उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के वार्षिक निश्चित लागत में इस विनियमन की धारा 3 के उप–धारा (क) से (ङ) तक में सूचीबद्ध घटक शामिल होंगे।

(5) तापीय विद्युत उत्पादन गृह के ऊर्जा (परिवर्तनशील) प्रभारों को प्राप्ति लागत के आधार पर आगणित किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित लागत होगी :

(क) प्राथमिक ईंधन की प्राप्ति समेत लागत; और

(ख) माध्यमिक ईंधन तेल की लागत;

(ग) संशोधित उत्सर्जन मानकों के कार्यान्वयन के कारण अभिकर्मकों की लागतः

परंतु ईंधन आपूर्तिकर्ता से शास्तियों के रूप में प्राप्त किसी धनराशि के साथ किसी कर या शुल्क की वापसी को ईंधन लागत में समायोजित किया जाएगाः

परंतु यह भी कि यदि कोई अतिरिक्त ऊर्जा शुल्क, जो थर्मल जनरेटिंग स्टेशन में संशोधित उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के कारण लागू होते हैं, तो उन्हें आयोग द्वारा इन नियमों के विनियमन 30(1)(इ) के अनुसार अलग से निर्धारित किया जाएगा।

(6) प्राथमिक ईंधन की प्राप्ति समेत लागत :

(क) प्राथमिक ईंधन की प्राप्ति लागत ईंधन की श्रेणी और गुणवत्ता के अनुरूप ईंधन का आधारभूत मूल्य समाविष्ट होंगे और इसमें यथा प्रयोज्य सांविधिक प्रभार, प्रक्षालन प्रभार, रेल, रोड या किसी अन्य साधन से परिवहन मूल्य और चढ़ाना, उतारना और रख–रखाव प्रभार सम्मिलित है :

परंतुक सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्य के अलावा किसी अन्य मूल्य पर ईंधन की खरीद पर विचार किया जा सकता है, यदि यह पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली पर आधारित है या ब्रिज लिंकेज के साथ सीआईएल व्यवस्था के माध्यम से आपूर्ति की जाती है जिसमें अधिसूचित मूल्य पर प्रीमियम शामिल हैः

परंतुक यह भी कि उत्पादन संयंत्रों द्वारा प्राथमिक ईंधन की प्राप्ति लागत वास्तविक बीजक के भुगतान के आधार पर होगी जिसका समायोजन परिमाण एवं गुणवात्मकता को सम्मिलित करते हुए किया जाएगाः

परंतुक यह भी कि कोयले पर आधारित तापीय उत्पादन गृह की दशा में, सकल कैलोरिफ़िक मूल्य का मापन तृतीय पक्ष नमूनेकरण से किया जाएगा और तृतीय पक्ष नमूनेकरण की सुविधा में हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति लाभार्थियों द्वारा की जाएगी।

(ख) प्रशुल्क के निर्धारण के लिए, वर्तमान विद्युत उत्पादन स्टेशन के लिए, प्राथमिक और माध्यमिक ईंधन की प्राप्ति पश्चात् ईंधन लागत तीन पूर्ववर्ती महीनों के प्राथमिक और माध्यमिक ईंधन, और अभिकर्मकों की वास्तविक भारित औसत मूल्य पर आधारित होगी और तीन पूर्ववर्ती महीनों की ईंधन प्राप्ति लागत के अभाव में, उत्पादन–गृह के लिए प्राथमिक और माध्यमिक ईंधन और अभिकर्मकों का नवीनतम अर्जन मूल्य पर, विद्यमान गृहों की प्रशुल्क अवधि के प्रारंभ के पूर्व और नए उत्पादन गृहों की दशा में ठीक पूर्ववर्ती तीन महीनों पर विचार किया जाएगा।

(7) प्राथमिक ईंधन का सकल ऊष्मीय मानः

(क) ऊर्जा शुल्क की गणना के लिए सकल ऊष्मीय मान यथा–प्राप्त GCV के अनुसार होगा।

(ख) घरेलू कोयले के GCV (ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू) का माप तीसरे पक्ष द्वारा नमूनाकरण के आधार पर किया जाएगा, जो उत्पादन कंपनी द्वारा नियुक्त एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा, और यह नमूनाकरण केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किसी मार्गदर्शिका के अनुसार होगा, यदि कोई हो। उत्पादन कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ईंधन आपूर्ति समझौते (Fuel Supply Agreement) के अनुसार मुआवजे की वसूली की जाए और इसके लाभों को उत्पादन स्टेशन के लाभार्थियों तक पहुँचाया जाएः

परंतुक है कि यदि तीसरे पक्ष द्वारा नमूनाकरण नहीं किया जाता है, तो इन विनियमों के विनियमन 30 के अनुसार ऊर्जा शुल्क की गणना 'बिल किए गए GCV के आधार पर की जाएगी' :

परंतुक यह भी कि आयोग एक विस्तृत अध्ययन करने के बाद उत्पादन स्टेशन पर घरेलू कोयले के कुल कैलोरीफिक मान के आकलन के लिए तंत्र को औचित्यपूर्ण बना सकता है, जिसमें कोयले के वितरण से लेकर उत्पादन स्टेशन पर प्राप्ति तक के पूरे मूल्य श्रृंखला में कैलोरीफिक मान पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) 'बिल किए गए GCV और 'यथा–प्राप्त का GCV के बीच ऊष्मीय मान में कोई हानि स्वीकार्य नहीं होगी, यदि कोयला आयात के माध्यम से प्राप्त किया गया हो।

(घ) उत्पादन कंपनी को उत्पादन स्टेशन के लाभार्थियों को GCV और ईंधन की कीमत (जैसे घरेलू कोयला, आयातित कोयला, ई–नीलामी कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, RLNG, तरल ईंधन आदि) के संबंध में विवरण प्रदान करना होगा, इन विनियमों के परिशिष्ट–II में निर्धारित प्रपत्र 15 के अनुसारः

परंतु उस अवधि के दौरान उत्पादन के लिए उपयोग किए गए प्राथमिक ईंधन के प्राप्त आधार पर औसत GCV, आयातित कोयले के साथ घरेलू कोयले का मिश्रण अनुपात, और ई–नीलामी कोयले का अनुपात का अतिरिक्त विवरण, संबंधित महीने के बिलों के साथ प्रदान किया जाएगा :

परंतु यह भी कि बिलों की प्रतियाँ और GCV और ईंधन की कीमत के मापदंडों जैसे घरेलू कोयला, आयातित कोयला, ई–नीलामी कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, RLNG, तरल ईंधन, आयातित कोयले और घरेलू कोयले के मिश्रण अनुपात, और ई–नीलामी कोयले का अनुपात का विवरण उत्पादन कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

(8) अभिकर्मक की प्राप्ति लागत :

(क) जहाँ विशेष अभिकर्मक जैसे लाइमस्टोन, सोडियम बाइ–कार्बोनेट, यूरिया या ऐनहाइड्रस अमोनिया का उपयोग उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संचालन के दौरान संशोधित उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए किया जाता है, वहाँ ऐसे अभिकर्मक की प्राप्ति लागत का निर्धारण सामान्य उपभोग और प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अभिकर्मक की खरीद मूल्य, लागू वैधानिक शुल्क और परिवहन लागत के आधार पर किया जाएगा।

(ख) संशोधित उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए स्थापित विभिन्न तकनीकों के लिए विशेष अभिकर्मकों का सामान्य उपभोग इन विनियमों के विनियमन 29(7) में निर्दिष्ट किया गया है।

25–क्षमता (नियत) प्रभारः

(क) तापीय उत्पादन गृहों के क्षमता प्रभार की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी और उनकी वसूली सभी विद्यमान और नए उत्पादन गृहों की दशा में लक्ष्य उपलब्धता से संबंधित होगीः

परंतु यदि इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट लक्ष्य उपलब्धता पर पूर्ण क्षमता प्रभार वसूलीय होंगे तो लक्ष्य उपलब्धता के स्तर से नीचे क्षमता (नियत) प्रभारों की वसूली अनुपात के आधार पर होगी। शून्य उपलब्धता पर कोई भी क्षमता प्रभार देय नहीं होंगेः

परंतु यह भी कि क्षमता प्रभारों का भुगतान आवंटित क्षमता के अनुपात में मासिक आधार पर होगा।

(ख) जलीय उत्पादन गृह की नियत लागत की गणना वार्षिक आधार पर होगी, यह इस विनियमावली में विनिर्दिष्ट मानकों पर आधारित होगी, और क्षमता प्रभार के अधीन (प्रोत्साहन को सम्मिलित करते हुए) मासिक आधार पर वसूल की जाएगी जिसका भुगतान लाभार्थियों द्वारा उत्पादन गृह की विक्रय योग्य क्षमता में उनके संबंधित आवंटन के अनुपात में होगा अर्थात गृह राज्य की निशुल्क विद्युत को हटाने के पश्चात् की क्षमता।

(ग) निश्चित शुल्कों के घटक।

1–लाभांष पर वापसी

विद्यमान परियोजनाओं के लिए लाभांष पर वापसी की गणना इस विनियमावली के अनुसार 15% कर पश्चात प्रतिवर्ष (न्यूनतम दर/Base Rate) की दर से लाभांश आधार पर रुपयों में की जाएगी;

परंतु अतिरिक्त पूंजीकरण पर, जो कि मूल दायरे से परे हो, जिसमें उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली, कानून में परिवर्तन, और अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण शामिल हैं, पर लाभांश पर वापसी की गणना 1 अप्रैल को वर्ष के आधार दर, जो कि एक वर्ष की SBI MCLR+350 आधार अंकों के बराबर होगी, से की जाएगी, और इसकी अधिकतम सीमा 14% होगी :

परंतु यह भी कि नई परियोजना की वापसी की दर ऐसी अवधि के लिए 1% तक घटायी जाएगी जैसा आयोग द्वारा निश्चित किया जाए, यदि उत्पादन गृह को वाणिज्यिक परिचालन के अधीन घोषित किया जाए और निम्नलिखित किसी :–

(क) प्रतिबंधित गति–अधिनियंत्रक प्रणाली परिचालन (आरजीएमओ) की स्थापना के बिना हो;

(ख) स्वतंत्र अधिनियंत्रक प्रणाली (एफजीएमओ) परिचालन हो;

(ग) डाटा टेलीमीटरी;

(घ) भार प्रेषण केन्द्र तक संचार प्रणाली;

(ङ) राज्य भार प्रेषण केंद्र की रिपोर्ट पर आधारित सुरक्षा प्रणाली के प्रवर्तन के बिना होः

परंतु यह भी कि जैसे ही और जब ऊपर वर्णित किसी आवश्यकता का विद्यमान उत्पादन गृह में अभाव पाया जाए, जिसका आधार राज्य भार प्रेषण केंद्र की रिपोर्ट होगी, तो आरओई में ऐसी अवधि के लिए, जिसे आयोग द्वारा निश्चित किया जायेगा, 1% तक कमी की जा सकती है।

स्पष्टीकरण : परियोजना का धन जुटाने के लिए, उत्पादन कंपनी के फ्री रिजर्व से यदि कोई हो, सृजित अंशपूंजी जारी करने, आंतरिक संसाधनों से विनिधान करने के लिये उत्पादन कंपनी द्वारा प्राप्त प्रतिफल की भी अंशपूंजी पर वापसी की गणना के प्रयोजन के लिए पेड अप पूंजी के रूप में गणना की जाएगी, परंतु ऐसी प्रतिफल धनराशि और आंतरिक संसाधनों का प्रयोग वास्तव में उत्पादन कंपनी के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए किया जाए और अनुमोदित वित्तीय पैकेज का भाग रहे।

2–ऋण पूंजी पर ब्याजः

(क) ऋण पूंजी पर ब्याज की गणना इस विनियमावली में इंगित प्रणाली से प्राप्त ऋणों पर ऋण–वार की जाएगी।

(ख) 1 अप्रैल, 2024 को बकाया ऋण को इस विनियमावली के अनुसार सकल ऋण माना जाएगा, इसमें से 31 मार्च, 2024 तक आयोग द्वारा स्वीकृत संचयी पुनर्भुगतान को घटाया जाएगा। प्रशुल्क अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष के पुनर्भुगतान को उस वित्तीय वर्ष के लिए अनुमन्य मूल्यह्रास के बराबर समझा जाएगा।

परिसंपत्तियों के अ–पूंजीकरण की दशा में, पुनर्भुगतान को अनुपात के आधार पर संचयी पुनर्भुगतान में समायोजित किया जाएगा और समायोजन ऐसी परिसंपत्ति के अ–पूंजीकरण की तिथि तक वसूल किये गये संचयी मूल्यह्रास से अधिक नहीं होंगे।

(ग) ब्याज की दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वास्तविक ऋण के आधार पर गणना किये गए ब्याज की भारित औसत दर होगी और तदनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वास्तविक ऋण संविभाग के आधार पर समायोजित की जाएगी।

(घ) यदि किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए कोई वास्तविक ऋण नहीं है, लेकिन मानक ऋण अभी भी बकाया है, तो अंतिम नियंत्रण अवधि के वास्तविक ऋण संविभाग की भारित औसत ब्याज दर पर विचार किया जाएगाः

परंतु है कि यदि उत्पादन स्टेशन के पास कोई वास्तविक ऋण नहीं है, यहां तक कि अंतिम नियंत्रण अवधि में भी उत्पादन कंपनी के ऋण पोर्टफोलियो की भारित औसत ब्याज दर पर विचार किया :

परंतु यह भी कि उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के लिए ऋण पर ब्याज दर, जो उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई की वाणिज्यिक संचालन तिथि के बाद कमीशन की गई हो, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो की भारित औसत ब्याजदर होगी, और यदि वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो नहीं है, तो उत्पादन कंपनी के ऋण पोर्टफोलियो की भारित औसत ब्याजदर पर विचार किया जाएगा, और इसकी अधिकतम सीमा 14% होगीः

परंतु यह भी कि दोनों परिदृश्यों में अर्थात् उत्पादन स्टेशन और उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिए यदि वास्तविक ऋण संविभाग की भारित औसत ब्याज दर विद्यमान नहीं है और यदि उत्पादन कंपनी के पास भी कोई वास्तविक ऋण नहीं है, तो ऋण के लिए ब्याज दर को SBI के 1 वर्ष के MCLR के रूप में माना जाएगा, जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को लागू है।

(ङ) उत्पादन कंपनी पुनः वित्त प्रबंध का प्रत्येक प्रयास करेगी जब तक कि इसका परिणाम लाभार्थियों के शुद्ध लाभ में न हो। ऐसे पुनः वित्त प्रबंध की सहयुक्त लागत का वहन लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा और शुद्ध बचत को लाभार्थियों और उत्पादन कंपनी में 50:50 के अनुपात में बांटा जाएगा। उक्त तथ्यों को सांविधिक संपरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(च) ऋण के निबंधन और शर्तों में परिवर्तन को ऐसे पुनः वित्त–प्रबंधन की तिथि से प्रदर्शित किया जाएगा और लाभ को लाभार्थियों में वितरित किया जाएगा।

(छ) यदि उत्पादन कंपनी द्वारा किसी ऋण–स्थगन अवधि का उपयोग किया जाए, तो ऋण–स्थगन के वर्षों के दौरान प्रशुल्क में दिए गए मूल्यह्रास को उन वर्षों के दौरान पुनर्भुगतान के रूप में माना जाएगा और तदनुसार ऋण पूंजी पर ब्याज की गणना की जाएगी।

(ज) यदि उत्पादन कंपनी ने समय के कुछ अंतराल के लिए ऋण के पूर्णव्यवस्थापन पर ब्याज की प्रचलित/परिवर्तनशील दर की संविदा की है तो ब्याज की दर में परिवर्तन के परिणाम को उत्पादन कंपनी द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा और यह, पूर्णव्यवस्थापन सांविधिक संपरीक्षक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किया जायेगा और सुसंगत वित्तीय वर्ष के क्षमता प्रभार का ऐसे परिणाम के लिए समायोजित किया जाएगा और इस कारण प्रशुल्क में परिवर्तन के लिए आयोग से संपर्क किये बिना ही लाभार्थी को लाभ दिया जाएगा :

परंतु यह कि किसी विवाद की स्थिति में, ऐसे विवाद का कोई भी पक्षकार समुचित आवेदन के साथ आयोग जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उत्पादन कंपनी के भुगतान को विवाद के लंबित रहने की अवधि में रोका न जाए :

परंतुक यह भी कि बैंक और वित्तीय शुल्क को अलग से अनुमत किया जाएगा, सत्यापन (True&up) के समय, विवेकपूर्ण जांच के बाद।

3–मूल्यह्रासः

प्रशुल्क के प्रयोजन के लिए, मूल्यह्रास की गणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी, अर्थातः–

(क) मूल्यह्रास की गणना उत्पादन कंपनी या उसकी इकाई के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से की जाएगी। यदि उत्पादन कंपनी की सभी इकाइयों के प्रशुल्क के लिए एक ही प्रशुल्क को निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है तो उत्पादन कंपनी के वाणिज्यिक परिचालन के प्रभावी दिन से मूल्यह्रास की गणना की जाएगी और इसमें अलग-अलग इकाइयों या उसके तत्वों के मूल्यह्रास पर विचार किया जाएगा :

परंतुक वाणिज्यिक परिचालन का प्रभावी दिन वाणिज्यिक परिचालन के वास्तविक दिन और उत्पादन गृह की, जिसके लिए एक ही प्रशुल्क को निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है, सभी इकाइयों की स्थापित क्षमता पर विचार करके निकाला जाएगा।

(ख) आयोग द्वारा यथास्वीकृत पूंजीगत लागत ही मूल्यह्रास के प्रयोजन के लिए मूल्य आधार होगी। उत्पादन गृह की बहुत सी इकाइयों की दशा में उत्पादन–गृह की भारित औसत आयु लागू की जाएगी। परिचालन के प्रथम वर्ष से ही मूल्यह्रास प्रभार्य योग्य होगा। वर्ष के कुछ भाग के लिए परिसंपत्तियों के परिचालन की दशा में, मुल्यह्रास को आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाएगा।

(ग) परिसंपत्तियों की निस्तारण मूल्य को 10% समझा जाएगा और मूल्यह्रास परिसंपत्तियों की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90% तक अनुमन्य होगा। पट्टे पर धारित भूमि से भिन्न भूमि और किसी जलविद्युत उत्पादन स्टेशन के मामले में, जलाशय के लिए भूमि, मूल्यह्रास के योग्य परिसंपत्ति नहीं होगी और परिसंपत्ति की मूल्यह्रास योग्य मूल्य की गणना करते समय पूंजीगत लागत से उसकी लागत को निकाल दिया जाएगा :

परंतुक जलीय उत्पादन–गृह की दशा में, बचे–खुचे निस्तारण मूल्य संयंत्र के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ विकासकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध में यथा व्यवस्थित होगाः

परंतुक यह भी कि ह्रास हुई कीमत की संगणना के प्रयोजन के लिए जलीय उत्पादन गृह की परिसंपत्तियों की पूंजीगत लागत, नियमित प्रशुल्क के दीर्घ अवधि के विद्युत क्रय अनुबंध के अधीन, विद्युत की बिक्री के प्रतिशत के समान होगीः

परंतुक यह भी कि आईटी उपकरण, सॉफ्टवेयर और भूमिगत केबल के निस्तारण मूल्य को शून्य माना जायेगा और मूल्यह्रास के लिये परिसंपत्तियों के 100% मूल्य पर विचार किया जायेगा।

(घ) नई परियोजना की स्थिति में, मूल्यह्रास की गणना वार्षिक आधार पर की जाएगी, जो इस विनियमावली के परिशिष्ट–3 में विहित दरों पर परिसंपत्ति की उपयोगी जीवन अवधि पर ऋजु रेखा प्रणाली आधारित होगी :

परंतु गृह को वाणिज्यिक परिचालन के प्रभावी दिनांक से 15 वर्ष की अवधि के पश्चात् बंद होने वाले वर्ष की 31 मार्च को बची हुई मूल्यह्रास योग्य कीमत को परिसंपत्तियों की अवशेष उपयोगी आयु में बराबर–बराबर बांट दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उत्पादन गृह की कम क्षमता के कारण किसी ह्रास को अननुमत कर दिया गया हो तो पश्चातवर्ती प्रक्रम पर उपयोगी आयु और वृद्धिकृत आयु के दौरान अनुमन्य नहीं किया जाएगाः

परंतु यह भी कि विद्यमान जलविद्युत उत्पादन स्टेशन के मामले में, उत्पादन कंपनी, लाभार्थियों की सहमति से, प्रशुल्क के अग्रतः प्रभार को कम करने के लिए परिशिष्ट–III में निर्धारित दर से कम दर पर मूल्यह्रास (डेप्रिसिएशन) चार्ज कर सकती है।

(ङ) विद्यमान परियोजनाओं के मामले में, दिनांक 01.04.2024 को अवशेष ह्रास योग्य कीमत की परिसंपत्तियों की सकल ह्रास योग्य कीमत से 31.03.2024 तक आयोग द्वारा यथा स्वीकृत संचयी ह्रास को घटाकर निकाली जाएगी। ह्रास की दर को संचयी ह्रास के 70% पहुंचने तक परिशिष्ट–III में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभार्य योग्य बनाए रखा जाएगा। तत्पश्चात् अवशेष ह्रास योग्य कीमत परिसंपत्तियों की अवशेष आयु में बराबर-बराबर इस प्रकार बाँट दिया जाएगा कि अधिकतम ह्रास 90% से अधिक न हो :

परंतु यह कि उत्पादन–गृह की कम क्षमता के कारण किसी अनुमत ह्रास को पश्चातवर्ती प्रक्रम पर उपयोगी आयु और वृद्धिकृत आयु के दौरान अनुमत नहीं किया जायेगा :

परंतु यह भी कि विद्यमान जलविद्युत उत्पादन स्टेशन के मामले में, उत्पादन कंपनी, लाभार्थियों की सहमति से, प्रषुल्क के अग्रतः प्रभार को कम करने के लिए इन विनियमों के परिशिष्ट–III में निर्धारित दर से कम दर पर मूल्यह्रास (डेप्रिसिएशन) चार्ज कर सकती है।

(च) उत्पादन कंपनी परियोजना के अंतिम चरण के दौरान (उपयोगी आयु के पूर्ण होने के पाँच वर्ष) पूर्व प्रस्तावित पूंजीगत व्यय का विवरण औचित्य और प्रस्तावित आयु विस्तार के साथ प्रस्तुत करेगी। आयोग ऐसे प्रस्तावों की विवेकपूर्ण जांच के आधार पर परियोजना के अंतिम चरण के दौरान पूंजीगत व्यय पर मूल्यह्रास अनुमोदित करेगा।

(छ) उत्पादन गृह या उसकी किसी इकाई के संबंध में परिसंपत्तियों की अ–पूंजीकरण की दशा में संचयी मूल्यह्रास की उपयोगी सेवाओं के दौरान अ–पूंजीकृत परिसंपत्तियों द्वारा प्रशुल्क में वसूले गए मूल्यह्रास पर विचार करते हुए समायोजित किया जाएगा।

(ज) जहाँ उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली उत्पादन स्टेशन के मूल क्षेत्र के भीतर लागू की जाती है और उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई के वाणिज्यिक संचालन की तिथि और उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संचालन की तिथि समान है, वहाँ उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई सहित उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली का मूल्यह्रास इस विनियम के उप–धारा (क) से (छ) तक के अनुसार आगणित किया जाएगा।

(झ) विद्यमान उत्पादन स्टेशन के उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली का मूल्यह्रास, जो अभी अपनी उपयोगी जीवन अवधि पूरी नहीं कर चुका है, या एक नया उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई, जहाँ उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली का संचालन उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई के वाणिज्यिक संचालन की तिथि के बाद होता है, ऐसे उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संचालन की तिथि से वार्षिक मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि (Straight Line Method) के आधार पर परिशिष्ट–III में निर्दिष्ट दरों पर किया जाएगाः

परंतु 12 वर्षों की अवधि के बाद, ऐसे उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संचालन की तिथि से संबंधित वर्ष की 31 मार्च तक का शेष मूल्यह्रास मूल्य अगले तेरह वर्षों की अवधि या उत्पादन स्टेशन के शेष कार्यात्मक जीवन के भीतर, जो भी कम हो; वितरित किया जायेगा :

परंतु यह भी कि यदि उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली का संचालन उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई के वाणिज्यिक संचालन के 20वें वर्ष के बाद होता है, लेकिन उत्पादन स्टेशन के उपयोगी जीवन की समाप्ति से पहले, तो उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली (ECS) पर मूल्यह्रास उस ECS के संचालन की तिथि से वार्षिक रूप से सीधी रेखा विधि के आधार पर, 10% के बचत मूल्य के साथ किया जाएगा, और मूल्यह्रास मूल्य उत्पादन स्टेशन के कार्यात्मक जीवन तक वसूला जाएगा।

4–परिचालन और अनुरक्षण व्ययः

ताप विद्युत उत्पादन स्टेशनों के मानक संचालन और रखरखाव व्यय निम्नानुसार होंगेः

(क) खंड (ख) के अधीन आच्छादित के सिवाय कोयले पर आधारित उत्पादन गृहः

(रुपये लाख / मेगावाट)

वित्तीय वर्ष	200 / 210 / 250 मेगावाट के सेट तक	300 / 330 / 350 मेगावाट के सेट	500 मेगावाट सेट	600 / 660 मेगावाट के सेट	800 मेगावाट और उससे ऊपर के सेट
2024–25	40.92	34.04	27.17	25.78	23.20
2025–26	43.07	35.83	28.60	27.13	24.42
2026–27	45.33	37.71	30.10	28.56	25.70
2027–28	47.71	39.69	31.68	30.06	27.05
2028–29	50.21	41.78	33.34	31.64	28.47

(ख)

वित्तीय वर्ष	हरदुआगंज (इकाई – 7)
2024–25	77.00
2025–26	79.71
2026–27	82.51
2027–28	85.40
2028–29	88.40

परंतु यदि व्यय का आंशिक उपयोग किया गया हो, तो अव्ययित राशि को आगामी वर्षों में संचालन और रखरखाव के खर्च की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) 200/210/250/300/330/500/600/660 मेगावाट और उससे ऊपर के सेटों का संयोजन वाले उत्पादन गृहों के लिए, परिचालन और अनुरक्षण व्ययों की भारित औसत कीमत को अपनाया जाएगा।

(घ) परिचालन और अनुरक्षण व्यय के मानकीय मूल्य, जिसमें विद्यमान जलीय उत्पादन गृहों के लिए बीमा सम्मिलित है, प्रशुल्क आदेश आयोग द्वारा यथा अनुमोदित होंगे जो पूर्ववर्ती नियंत्रण अवधि में अनुमोदित व्यय पर आधारित हो। इनमें 4.47% प्रति वर्ष की वृद्धि दर या कोई अन्य घटक जिसे आयोग द्वारा समुचित समझा जाए, भी सम्मिलित है।

(ङ) तापीय उत्पादन गृहों के जल प्रभारों, सुरक्षा खर्च, राख परिवहन खर्च और पूंजीगत कल–पुर्जों को विवेकपूर्ण जांच के बाद पृथक से अनुमन्य किया जाएगा :

परंतु जल प्रभार संयंत्र की श्रेणी के आधार पर और शीतल जल प्रणाली की श्रेणी, या राज्य सरकार/उपयोगिताओं के साथ जल समझौता, और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंड, के आधार पर उपयुक्त जल पर विवेकपूर्ण जांच के अधीन अनुमन्य किया जाएगा :

परंतु यह भी कि उत्पादन स्टेशन को सत्यापन के समय वर्षवार वास्तविक पूंजीगत कल–पुर्जों का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिनकी लागत 10 लाख रुपये से अधिक हो साथ ही उचित तर्क प्रस्तुत करना होगा कि इन्हें खर्च क्यों किया गया और यह सिद्ध करना होगा कि इन्हें विशेष भत्ता के माध्यम से वित्त पोषित नहीं किया गया है या अतिरिक्त पूंजीकरण या भण्डार और कल–पुर्जों की खपत या नवीकरण और आधुनिकीकरण के रूप में दावा नहीं किया गया है।

(च) कोई भी अतिरिक्त O&M खर्च जो उत्पादन कंपनी द्वारा कानून में किसी परिवर्तन के कारण किया गया हो, उस पर प्रशुल्क के सत्यापन के ट्रू–अप के समय विचार किया जाएगा :

परंतु ऐसे प्रभाव को केवल तब अनुमति दी जाएगी जब किसी वर्ष में कानून में परिवर्तन का कुल प्रभाव 5% से अधिक हो, जो परियोजना के लिए अनुमोदित सामान्य O&M खर्चों का हो।

(छ) राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनी के मामले में, वेतन या वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के कारण होने वाला प्रभाव की प्रषुल्क के सत्यापन के समय अनुमति दी जाएगी।

(ज) कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय उत्पादन स्टेशनों में उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों के संचालन और रखरखाव खर्चों को स्वीकृत पूंजीगत व्यय (IDC और IEDC को छोड़कर) का 2% माना जाएगा, जो इसके संचालन की तिथि पर आधारित होगा, और इसे प्रशुल्क अवधि के दौरान 31 मार्च, 2029 तक वार्षिक रूप से 5.25% की दर से बढ़ाया जाएगा :

परंतु जिप्सम या अन्य उपोत्पादों की बिक्री से उत्पन्न आय को संचालन और रखरखाव खर्चों से घटा दिया जाएगा।

(झ) इस विनियमावली के प्रारंभ की तिथि को या उसके पश्चात वाणिज्यिक परिचालन के अधीन घोषित जलीय उत्पादन–गृहों की दशा में, आधारभूत परिचालन और अनुरक्षण व्ययों को मूल परियोजना लागत के 3.50% और 5.0% पर नियत किया जाएगा (इसमें पुनरुद्धार और पुनर्स्थापन कार्यों की लागत सम्मिलित नहीं है) यह 200 मेगावाट से कम की परियोजनाओं के गृहों के वाणिज्यिक परिचालन के प्रथम वर्ष और क्रमशः 200 मेगावाट से अधिक क्षमता के गृहों के लिए होगी और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 6.64% प्रति वर्ष की वार्षिक वृद्धि के अधीन होगी।

(ञ) उत्पादन–गृह समुचित औचित्य के साथ सत्यापन के समय उपयुक्त वास्तविक कल पुर्जों का वर्ष–वार विवरण प्रस्तुत करेगा और इस दावे की अभिपुष्टि करेगा कि यह विशेष भत्ते से वित्त पोषित नहीं है और अतिरिक्त पूंजीकरण के भाग या भण्डार और कलपुर्जों के उपभोग और पुनरुद्धार या आधुनिकीकरण के लिये दावा नहीं किया गया है।

5–कार्यशील पूँजी पर ब्याजः

(क) कार्यशील पूँजी, मानक आधार पर अनुमन्य की जायेगी। कोयला आधारित विद्युत गृह के लिए निम्नलिखित सम्मिलित किये जायेंगे–

(i) समीपवर्ती (पिट हेड) विद्युत गृहों के लिए 10 दिनों के लिए कोयले की लागत तथा सुदूरवर्ती (नान पिट हेड) विद्युत उत्पादन गृहों के लिए 20 दिनों के कोयले की लागत, जो उपलब्धता लक्ष्य के अनुरूप हो या अधिकतम कोयला स्टॉक भण्डारण क्षमता जो भी कम हो।

(ii) लक्ष्य उपलब्धता के अनुरूप उत्पादन के लिए 30 दिनों के कोयले का अग्रिम भुगतान।

(iii) लक्ष्य उपलब्धता के अनुरूप दो महीनों के लिए द्वितीयक ईंधन तेल की लागत और एक से अधिक द्वितीय ईंधन तेल के प्रयोग के मामले में मुख्य अनुषंगी ईंधन तेल के लिए, ईंधन तेल भण्डार की लागत।

(iv) एक माह के लिए परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय,विनियम 25(3)(d) के अनुसार;

(v) परिचालन और अनुरक्षण व्यय के 20% की दर से अनुरक्षण कलपुर्जे;

(vi) क्षमता प्रभारों के 45 दिनों के बराबर प्राप्यों तथा लक्ष्य उपलब्धता पर आगणित विद्युत की बिक्री के लिए ऊर्जा प्रभार।

(ख) इस विनियमावली की मद (क) के उप प्रस्तर (i) एवं (ii) के अंतर्गत आवरित ईंधन लागत उत्पादन कम्पनी द्वारा किये गये प्राप्ति लागत (मानक, पारगमन एवं संचालन हानियों को विचार में लेते हुए) तथा ईंधन की सकल कैरोरिफिक वैल्यू 'प्राप्ति आधार पर' पर आधारित अवधि, जिसके लिए प्रशुल्क निर्धारित किया जाना है, के प्रथम माह के पूर्व तीन महीनों के लिए होगी और प्रशुल्क अवधि में कोई ईंधन मूल्य अमृविद्धि नहीं दी जायेगी।

(ग) कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय उत्पादन स्टेशनों के उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिए;

(i) लाइमस्टोन या अभिकर्मकों की लागत, जो 20 दिनों के स्टॉक के लिए हो, जो सामान्य वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के अनुरूप हो;

(ii) अभिकर्मकों की लागत के लिए 30 दिनों का अग्रिम भुगतान, जो सामान्य वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के अनुरूप हो;

(iii) प्राप्तियाँ जो 45 दिनों के अतिरिक्त क्षमता शुल्क और अतिरिक्त ऊर्जा शुल्क के बराबर हों, जो सामान्य वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के आधार पर विद्युत बिक्री के लिए आगणित की जाती हैं;

(iv) उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिए एक महीने का संचालन और रखरखाव खर्च;

(v) उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के संबंध में संचालन और रखरखाव खर्च का 20% रखरखाव कलपुर्जों के लिये।

(घ) जल विद्युत गृहों (पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन सहित) के लिए कार्यशील पूंजी में निम्नलिखित होंगे;

(i) एक मास के लिए परिचालन और अनुरक्षण व्यय;

(ii) परिचालन और अनुरक्षण व्यय का 15% की दर से कल पुर्जों का अनुरक्षण; और

(iii) वार्षिक नियत लागत का 45 दिन के बराबर प्राप्य।

(ङ) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर मानक पर आधारित होगी तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को या प्रशुल्क अवधि 2024–29 के मध्य वर्ष की पहली अप्रैल को बैंक दर के रूप में विचारित की जाएगी, जिस अवधी में विद्युत–गृह या उसकी इकाई के वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित की जाती है, इसमें से जो भी बाद में होः

परंतु सत्यापन की दशा में, कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर पर प्रशुल्क अवधि 2024–29 के दौरान वित्तीय वर्ष की प्रत्येक 1 अप्रैल को बैंक दर पर विचार किया जायेगा।

(च) कार्यशील पूंजी पर ब्याज मानक आधार पर देय होगा, इस पर विचार किये बिना कि उत्पादन कम्पनी ने किसी वाह्य संस्था से कार्यशील पूंजी के लिए ऋण नहीं लिया है।

12 RPH 2025 (urja-2020-folder)- data 8e

26–डिकमीशनिंगः

यदि किसी उत्पादन स्टेशन या उसकी यूनिट को, सीईए या किसी अन्य कानूनी प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद, यह कहा जाता है कि कोई संपत्ति संचालन योग्य नहीं है या पर्यावरणीय चिंताओं, सुरक्षा मुद्दों, प्रणाली उन्नयन, या इन कारकों के संयोजन के कारण, इसे बदलने की आवश्यकता है, जो उत्पादन कंपनी पर आरोपणीय नहीं हैं, तो पुनः अप्राप्त मूल्यह्रास राशि को केस–दर–केस आधार पर पुनः प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु ऐसे प्रोजेक्ट के निष्पादन के बाद बचत मूल्य या प्राप्ति मूल्य, जो भी उच्च हो, को सही ढंग से समायोजित किया गया हो :

परंतु वसूली का तरीका, जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि कितनी किस्तों में ऐसी पुनः अप्राप्त वाली मूल्यह्रास राशि की अनुमति दी जाएगी, आयोग द्वारा केस–दर–केस आधार पर निर्धारित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसी वसूली में किसी भी विलंब पर कोई भी पूंजीकरण लागत की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्याय–6

क्षमता और ऊर्जा प्रभारों की गणना

27–क्षमता प्रभारों की बिलिंग एवं भुगतानः

क्षमता प्रभारों के बिल बनाना और भुगतान का कार्य निम्नलिखित रीति से मासिक आधार पर किया जाएगा;

1–तापीय उत्पादन गृह के लिए, प्रत्येक लाभार्थी उत्पादन–गृह में स्थापित क्षमता में अपने प्रतिशित अंश के अनुपात में ऊर्जा प्रभारों का भुगतान करेगा।

2–उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की निश्चित लागत की इन नियमों के तहत निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर वार्षिक रूप से गणना की जाएगी और अतिरिक्त क्षमता शुल्क के तहत मासिक आधार पर वसूली जाएगी। किसी उत्पादन स्टेशन के लिए कुल अतिरिक्त क्षमता शुल्क उसके लाभार्थियों द्वारा उनके संबंधित प्रतिशत हिस्से या उत्पादन स्टेशन की क्षमता में आवंटन के अनुसार साझा किया जाएगाः

परंतुक यदि उत्पादन स्टेशन या उसका कोई यूनिट नवीनीकरण और आधुनिकीकरण या उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के कारण बंद है, तो उस स्थिति में उत्पादन कंपनी को केवल संचालन और रखरखाव ओएंडएम खर्च और ऋण पर ब्याज की वसूली की अनुमति दी जाएगी।

3–जलीय उत्पादन गृह के लिए, प्रत्येक लाभार्थी उत्पादन गृह की कुल विक्रय योग्य क्षमता में अपने प्रतिशत के अनुपात में ऊर्जा प्रभारों का भुगतान करेगा। विक्रय योग्य क्षमता का आशय कुल क्षमता में से (आईपीपी) की दशा में, यदि कोई, गृहराज्य (राज्यों) की मुक्त क्षमता को घटाने से है।

टिप्पणी–1 राज्य क्षेत्र उत्पादन गृहों की कुल क्षमता का आवंटन समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

टिप्पणी–2 लाभार्थी अपने आवंटित अंश के किसी भाग को समर्पित करने का प्रस्ताव कर सकता है। ऐसी स्थिति में विद्युत अंतरण और विशिष्ट अनुबंधों की तकनीकी संभाव्यता पर निर्भर रहते हुए उत्पादन कंपनी का अन्य राज्यों के साथ ऐसे अंतरण के लिए हुई व्यवस्था के आधार पर और राज्य सरकार द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिए लाभार्थियों के अंशों को पुनः आवंटित किया जा सकता है। जब ऐसा पुनः आवंटन किया जाता है तो वे लाभार्थी जो अपने अंशों को समर्पित करते हैं, अभ्यर्पित अंश के लिए क्षमता प्रभारों का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होंगे। अभ्यर्पित अंश और पुनः आवंटन के लिए क्षमता प्रभारों का भुगतान उस लाभार्थी द्वारा किया जाएगा जिसे अभ्यर्पित क्षमता आवंटित हुई है। उपर्युक्त के अनुसार क्षमता के पुनः आवंटन की अवधि को छोड़कर उत्पादन गृह के लाभार्थी आवंटित क्षमता अंशों के अनुसार पूरे नियत प्रभारों का भुगतान करना जारी रखेंगे।

4–लाभार्थियों को अपनी क्षमता अंशों के उपयोग करने के लिए किसी संव्यवहार का पराक्रमण करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। ऐसे मामलों में, लाभार्थी, जिनका उत्पादन गृह की क्षमता में आवंटन है, क्षमता प्रभारों और ऊर्जा प्रभारों का पूर्ण भुगतान का दायी होगा। (इसमें विद्युत की बिक्री के लिए संव्यवहार के पराक्रमण सम्मिलित है) जो क्रमशः उसके कुल आवंटन और अनुसूची के समान हो।

5–यदि दिन प्रतिदिन परिचालन के दौरान कोई क्षमता रह जाती है, तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्य के सभी लाभार्थियों और अन्य राज्यों/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों को इस प्रकार परामर्श देगा कि ऐसी क्षमता की द्विपक्षीय व्यवस्था के माध्यम से प्रयुक्त हो सके। यह व्यवस्था संबंधित उत्पादन कंपनी या संबंधित लाभार्थी (लाभार्थियों) के साथ राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचित करके की जाएगी।

6–(क) थर्मल जनरेटिंग स्टेशन के लिए कुल क्षमता/अतिरिक्त शुल्क और जलविद्युत जनरेटिंग स्टेशन के लिए कुल शुल्क उसके लाभार्थियों द्वारा उनके संबंधित प्रतिशत हिस्से/उत्पादन स्टेशन की क्षमता में आवंटन के अनुसार साझा किया जाएगा। किसी थर्मल जनरेटिंग स्टेशन के लिए एक कैलेंडर माह के लिए देय क्षमता शुल्क निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना किया जाएगाः

CC1= (AFC/12) (PAF1 /NAPAF), (AFC/12) की सीमा के अधीन

CC2 = [(AFC/6)(PAF2 /NAPAF), (AFC/6)] – CC1 की सीमा के अधीन

CC3 = [(AFC/4) (PAF3 /NAPAF), (AFC/4)] –(CC1+CC2) की सीमा के अधीन

CC4 = [(AFC/3) (PAF4 /NAPAF), (AFC/3)] – (CC1+CC2+CC3) की सीमा के अधीन

CC5 = [(AFC X 5/12) (PAF5 / NAPAF), (AFC X 5/12)] – (CC1+CC2 +CC3 +CC4) की सीमा के अधीन

CC6 = [(AFC/2) (PAF6 /NAPAF), (AFC/2)] – (CC1+CC2+CC3+CC4 + CC5) की सीमा के अधीन

CC7= [(AFC X7/12) (PAF7 /NAPAF), (AFC X 7/12)] –(CC1+CC2 +CC3 +CC4 + CC5 + CC6) की सीमा के अधीन

CC8 = [(AFC X 2/3) (PAF8 /NAPAF), (AFC X 2/3)]–(CC1+CC2 +CC3 +CC4 + CC5 + CC6+ CC7) की सीमा के अधीन

CC9 = [(AFC X 3/4) (PAF9 /NAPAF), (AFC X 3/4)] – (CC1+CC2 +CC3 +CC4 + CC5 + CC6 + CC7+ CC8) की सीमा के अधीन

CC10= [(AFC X 5/6) (PAF10 /NAPAF), (AFC X 5/6)] –(CC1+CC2 +CC3 +CC4 + CC5 + CC6 + CC7 + CC8 + CC9) की सीमा के अधीन

CC11= [(AFC X11/12) (PAF11 /NAPAF), (AFC X 11/12)] –(CC1+CC2+CC3 +CC4 + CC5 + CC6 + CC7 + CC8 + CC9 + CC10) की सीमा के अधीन

CC12= [(AFC) (PAFY /NAPAF), (AFC)] – (CC1+CC2 +CC3+ CC4 + CC5 + CC6 + CC7 + CC8 + CC9 + CC10 + CC11) की सीमा के अधीन

जहां,

एएफसी– वर्ष के लिए थर्मल जनरेटिंग स्टेशन या इसके उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिए निर्दिष्ट वार्षिक निश्चित लागत, जो रुपए में होगी, जैसा कि मामला हो।

एनएपीएएफ–मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता घटक प्रतिशत में

पीएएफएम–मास के आखिर तक प्राप्त प्रतिशत संयंत्र उपलब्धता घटक

पीएएफवाई–वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिशत संयंत्र उपलब्धता घटक (क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, नवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें मास के लिए क्षमता के प्रभार)

सीसी–1– सीसी –12 (क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, नवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें मास के लिए क्षमता प्रभार)

(ख) विशिष्ट मास के अंत तक पीएएफएम या पीएएफवाई निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निकाला जाएगाः

$$\text{पीएएफएम या पीएएफवाई} = 10000 \times \sum_{i=1}^{N} DCi / \{N \times CC \times (100 - AUX)\} \,\%$$

जहाँ,

AUX = मानकीय सहायिकीय ऊर्जा उपभोग प्रतिशत में।

DCi = औसत घोषित क्षमता (महा संवाहक तारों की मेगावाट में) मास के विशिष्ट दिनों के लिए अर्थात यथास्थिति, मास या वर्ष दिन के अवसान पर संबंधित भार प्रेषण केंद्र द्वारा यथा प्रमाणित।

CC = उत्पादन स्टेशन की संविदात्मक क्षमता

N = अवधि के दौरान दिनों की संख्या

टिप्पणी– डी सी आई और सी सी में उत्पादन इकाइयों की, जो वाणिज्यिक परिचालन के अधीन घोषित नहीं हैं, क्षमता सम्मिलित नहीं होगी। यदि संबंधित अवधि के दौरान सी सी में परिवर्तन हो तो उसका औसत लिया जाएगा।

7–(क) जलीय उत्पादन के क्षमता प्रभारों का भुगतान (प्रोत्साहन को सम्मिलित करते हुए) लाभार्थी (लाभार्थियों) द्वारा किया जाएगा, इसमें उत्पादन कंपनी के राज्य/क्षेत्र से बाहर वाले लाभार्थी भी सम्मिलित हैं। यह भुगतान निम्नलिखित के अनुसार प्रत्येक माह और संबंधित उत्पादक गृह में अपने अंशों के अनुपात में कलेण्डर मास में किया जाएगा और निम्नलिखित के बराबर होगाय

AFC X 0.5 X NDM/NDY X (PAFM/NAPAF) रूपयों में,

जहाँ,

AFC= वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक नियत लागत (रूपयों में)

NAPAF= मानकीय संयंत्र उपलब्धता घटक (प्रतिशत में)

NDM= माह में दिनों की संख्या

NDY= वर्ष में दिनों की संख्या

PAFM= माह के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता घटक (प्रतिशत में)

(ख) विशिष्ट मास के अंत तक च्।थ्ड की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगीय

N

पीएएफएम = 10000 X Σ DCi / {N X CC X (100 – AUX)} ः

i=1

जहां,

AUX = मानकीय सहाकीय ऊर्जा उपभोग (%) में

DCi = मास के विशिष्ट दिन के लिए घोषित क्षमता (महा संवाहक तारों पर मेगावाट में) जिसे विद्युत गृह कम से कम तीन घंटे बनाये रखे, जैसा दिन के अवसान पर नोडल भार प्रेषण केंद्र द्वारा प्रमाणित हो।

CC = उत्पादन स्टेशन की संविदात्मक क्षमता

N = माह में दिनों की संख्या

8–उत्पादन कंपनी प्रत्येक सितंबर और मार्च के माह में इस विनियमावली के परिशिष्ट–1 में यथा विनिर्दिष्ट लागत, व्यय और परिचालन का डाटा प्रस्तुत करेगी।

28–तापीय उत्पादन गृहों के परिचालन के मानकः

(एक) पूर्ण क्षमता (नियत) प्रभारों की वसूली के लिए लक्ष्य उपलब्धता (एन पी ए एफ)

(क) उप खंड (ख) के अधीन आच्छादित को छोडकर सभी तापीय विद्युत उत्पादन गृह – 85% ः

परंतु उन उत्पादन स्टेशनों के लिए, जिन्होंने 31.03.2024 तक (वाणिज्यिक परिचालन तिथि) सीओडी 30 साल पूरे कर लिए हैं, निर्धारित शुल्क की वसूली के लिए लक्ष्य उपलब्धता 83ः कर दी जाएगी।

(ख)

क्र.सं.	संयंत्र का नाम	लक्ष्य उपलब्धता
1.	ओबरा– बी, टी पी एस	80%
2.	हरदुआगंज (ईकाई – 7)	65%

टिप्पणी–1–लक्ष्य उपलब्धता के स्तर के नीचे क्षमता (नियत) प्रभारों की वसूली अनुपात के आधार पर होगी। शून्य उपलब्धता पर कोई भी क्षमता प्रभार देय नहीं होंगे।

टिप्पणी–2–पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण या क्षमता के लुप्त होने या उसकी दर में कमी होने के कारण इकाई (इकाइयों) की अनुपलब्धता की दशा में, ऐसी इकाइयों की अवशिष्ट प्रभावी क्षमता को संयंत्र उपलब्धता की गणना के प्रयोजन के लिए विचार किया जायेगा।

टिप्पणी–3 तापीय समर्थित अनुदेश की दशा में, क्षमता (नियत) प्रभार उपलब्धता के आधार पर देय होंगे।

(दो) प्रोत्साहन के लिए लक्ष्य संयंत्र भार घटक

(क) समय–समय पर विभिन्न आदेशों के माध्यम से आयोग द्वारा परिभाषित शीर्ष दिन के समय के घंटों के दौरान 15 मिनट के ब्लॉक के आधार पर प्रोत्साहन, नीचे दिए गए खंड (ख) के अनुसार को छोड़कर, उस 15 मिनट के ब्लॉक के दौरान मासिक रूप से देय होगा :

(ख)

क्र.सं.	संयंत्र का नाम	लक्ष्य पी एल एफ
1	ओबरा– बी, टी पी एस	80%
2	हरदुआगंज (ईकाई – 7)	65%

परंतु उन उत्पादन स्टेशनों के लिए, जिन्होंने 31.03.2024 तक सी ओ डी (वाणिज्यिक परिचालन तिथि) 30 साल पूरे कर लिए हैं, प्रोत्साहन के लिए लक्ष्य संयंत्र उद्भार गुणक 83% कर दिया जाएगा।

(तीन) सकल गृह उष्मा दर (जी एस एच आर)

(क) उप खंड (ख) के अधीन आच्छादित के सिवाय उन कोयलों पर आधारित तापीय विद्युत उत्पादन गृह के मामले में जिन्होंने दिनांक 01.04.24 के पूर्व सी ओ डी प्राप्त कर ली हैः

200 मेगावाट के सेट के नीचे	**200/210/250/300/330/350** मेगावाट के सेट	500 मेगावाट	500 मेगावाट के सेट के ऊपर
2840 किलो कैलोरी/किलो वाट घंटा	2430 किलो कैलोरी/किलो वाट घंटा	2390 किलो कैलोरी/किलो वाट घंटा	2270 किलो कैलोरी/किलो वाट घंटा

टिप्पणी –1–500 मेगावाट और उससे ऊपर की इकाइयों के संबंध में जहां बॉयलर फीड पंपों को विद्युत से परिचालित किया जाता है, सकल गृह उष्मा दर ऊपर इंगित की तुलना में 40 किलो कैलोरी/किलो वाट घंटा होगी,

टिप्पणी –2–जिन उत्पादन गृहों में 200/210/250/300/330/350 मेगावाट के सेटों और 500 मेगावाट और ऊपर के सेट का संयोजन है, मानकीय सकल गृह उष्मा दर संयोजनों का भारित औसत सकल गृह उष्मा दर होगी।

(ख)

क्र.सं.	संयंत्र का नाम	जी एस एच आर
1	ओबरा– बी, टी पी एस	2755
2	हरदुआगंज (ईकाई – 7)	2625

(ग) कोयले पर आधारित नये तापीय विद्युत उत्पादन गृह जिनका सी0ओ0डी0 दिनांक 01.04.2024 या उसके पश्चात है,

सकल गृह उष्मा दर=1.045 **X** डिजाइन उष्मा दर (किलो कैलोरी/किलो वाट घंटा)

जहाँ, उत्पादन इकाई के डिजाइन उष्मा दर का तात्पर्य 100% एम सी आर शर्तों पर आपूर्तिकर्ता द्वारा गारंटी दी गई इकाई उष्मा दर से है, वहां शून्य प्रतिशत कमी पूर्ति, डिजाइन कोयला और डिजाइन शीतल जल का तापमान/– पृष्ठ दबाव पर ध्यान दिया जाएगा :

परंतु डिजाइन उष्मा दर निम्नलिखित अधिकतम डिजाइन से अधिक नहीं होगी। इकाई की उष्मा दरें इकाई के दबाव और तापमान रेटिंग्स पर आधारित होते हैं।

किलोग्राम/ सीएम2)	150	170	170	247	247	270	270
एस एच टी/ आर एच टी (सी)°	535/535	537/537	537/565	537/565	565/593	593/593	600/600
बी एफ पी का प्रकार	विद्युत चालित	टरबाइन चालित	टरबाइन चालित	टरबाइन चालित	टरबाइन चालित	टरबाइन चालित	टरबाइन चालित
अधिकतम टरबाइन उष्मा दर (किलो कैलोरी/ किलो वाट घंटा)	1955	1950	1935	1900	1850	1810	1800

दबाव रेटिंग (किलो ग्राम/ सीएम2)	150	170	170	247	247	270	270
नीचे का राल वाला भारतीय कोयला	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.865	0.865
राल युक्त आयातित भारतीय कोयला	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.895	0.895

अधिकतम बनावट इकाई उष्मा दर (किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा)

नीचे का राल वाला भारतीय कोयला	2273	2267	2250	2222	2151	2105	2081
राल युक्त आयातित कोयला	2197	2191	2174	2135	2078	2034	2022

परंतुक यह भी कि यदि इकाई का दबाव और तापमान के मानक ऊपर की रेटिंग्स से भिन्न हैं, तो उस वर्ग की निकटतम अधिकतम डिजाइन इकाई उष्मा दर पर विचार किया जाएगा;

परंतुक यह भी कि जहाँ इकाई उष्मा दर की प्रतिभूति नहीं दी गई है लेकिन टरबाइन साइकिल उष्मा दर और बायलर दक्षता पृथक से उसी आपूर्तिकर्ता या भिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रतिभूति दी गई है, तो इकाई डिजाइन उष्मा दर को प्रतिभूत्य टरबाइन साइकिल उष्मा दर और बायलर दक्षता का प्रयोग करके प्राप्त किया जाएगाः

परंतुक यह भी कि जहां बायलर दक्षता नीचे का राल वाला भारतीय कोयला के लिए 86% से नीचे है और रालयुक्त आयातित कोयले के लिए 89% है, तो उसे ही क्रमशः नीचे के राल वाले भारतीय कोयला और रालयुक्त आयातित कोयला से गृह उष्मा दर की गणना के लिए समझा जाएगाः

परंतुक यह भी कि अधिकतम टरबाइन साइकिल उष्मा दर का शुष्क शीतन प्रणाली की श्रेणी के लिए समायोजन किया जाएगाः

परंतुक यह भी कि यदि एक या अधिक उत्पादन इकाइयों को दिनांक 01.04.2024 के पूर्व वाणिज्यिक परिचालन के अधीन घोषित किया गया हो तो उन उत्पादन इकाइयों और दिनांक 01.04.2024 को या उसके पश्चात वाणिज्यिक परिचालन के अधीन घोषित उत्पादन इकाइयों की उष्मा दर की मानक प्रशुल्क अवधि 2019–24 के दौरान आयोग द्वारा विचारित उष्मा दर मानकों के न्यूनतम होंगे या वे होंगे जो इस विनियमावली के अनुसार उक्त सिद्धांत या मानकों से प्राप्त हों।

टिप्पणी–

उन उत्पादन इकाइयों के संबंध में जहां बॉयलर पोषित पंपों को विद्युत द्वारा परिचालित किया जाता है, अधिकतम डिजाइन इकाई ऊष्मा दर 40 किलो कैलोरी/किलो वाट घंटा से कम होगी जैसा कि टरबाइन द्वारा चालित बॉयलर पोषित पंपों के संबंध में अधिकतम डिजाइन ऊष्मा दर ऊपर विनिर्दिष्ट है।

(चार) द्वितीयक ईंधन तेल उपभोग (एसएफओसी)

(क) कोयले पर आधारित सभी उत्पादन गृह सिवाय उनके जो उप खंड (ख) के अधीन आच्छादित हैं– 0.5 ml / kwh

क्रम-संख्या	संयंत्र का नाम	**SFOC**
1	ओबरा–बी, टी पी एस	2.1
2	हरदुआगंज (ईकाई – 7)	2.5

(पाँच) सहायिकी ऊर्जा उपभोग

(क) कोयले पर आधारित उत्पादन गृह सिवाय उनके जो उप खंड (ख) के अधीन आच्छादित हैं:

क्रम-संख्या	उत्पादन गृह	प्राकृतिक वायु शीतन टावर के साथ या शीतन टावर से रहित
1	200 मेगावाट तक और उसकी श्रृंखला इसमें सम्मिलित है	
	वाष्प चालित बॉयलर पोषित पंप	8.5%
	विद्युत चालित बॉयलर पोषित पंप	
2	300/330/350 मेगावाट श्रृंखला	
	वाष्प चालित बॉयलर पोषित पंप	5.75%
	विद्युत चालित बॉयलर पोषित पंप	8.0%
3	500 मेगावाट और उसके उपर की श्रृंखला	
	वाष्प चालित बॉयलर पोषित पंप	5.75%
	विद्युत चालित बॉयलर पोषित पंप	8.0%

परंतुक यह कि उन तापीय उत्पादन गृहों के लिए जिनमें वायु शीतन टॉवर्स लगे हुए हैं और जहां ट्यूब टाइप कोल मिल का प्रयोग होता है, मानकों को क्रमशः 0.5% और 0.8% की दर से बढ़ा दिया जाएगा :

परंतुक यह भी कि सीएफबीसी प्रौद्योगिकी पर आधारित 50 मेगावाट तक के उत्पादन गृहों के लिए मानकों में 1% की और वृद्धि की जाएगी :

परंतुक यह भी कि अतिरिक्त सहायिकी ऊर्जा उपभोग को शुष्क शीतन प्रणाली वाले संयंत्रों के लिए अनुमन्य किया जाएगा :

शुष्क शीतन प्रणाली का प्रकार	(सकल उत्पादन का प्रतिशत)
यांत्रिकी वायु पंखों के साथ सीधे वायु से शीतन करने वाले संघनित्र युक्त	1%
अपरोक्ष शीतन प्रणाली जिसमें जेट संघनित्र लगे हों और दबाव को पूर्ण करने वाली टरबाइन हो और स्वाभाविक वायु टावर हो	0.5%

(ख)

क्रम-संख्या	संयंत्र का नाम	सहायिकी
1	ओबरा– बी, टी पी एस	9.7
2	हरदुआगंज (ईकाई – 7)	9.5

(छः) आंशिक भार परिचालन के लिए प्रतिकर–

उद्भार संचालन को ग्रिड कोड के अनुसार संचालन मानदंडों में परिवर्तन के लिए मुआवजा दिया जा सकता है।

(सात) थर्मल उत्पादन स्टेशनों के उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली (AUXen) के लिए सहायक ऊर्जा खपत के मानदंडः

प्रौद्योगिकी का नाम	**AUXen** (सकल उत्पादन का प्रतिशत के रूप में)
1. सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी के लिएः	
(a) गीला चूना आधारित एफजीडी प्रणाली (गैस–टू–गैस हीटर के बिना)	1.00%
(b) चूना स्प्रे सोखक या अर्द्ध–शुष्क एफजीडी प्रणाली	1.00%
(c) ड्राई सोर्बेंट इंजेक्शन प्रणाली (सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हुए)	कुछ नहीं या शून्य
(d) सीएफबीसी पावर प्लांट के लिए (भट्टी इंजेक्शन)	कुछ नहीं या शून्य
(e) समुद्री जल आधारित एफजीडी प्रणाली (गैस–टू–गैस हीटर के बिना)	कुछ नहीं या शून्य
2. नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी के लिएः	
(a) चयनात्मक गैर–उत्प्रेरक पराभव	1.00%
(b) चयनात्मक उत्प्रेरक पराभव	कुछ नहीं या शून्य

परंतु जहाँ तकनीकी प्रणाली ''गैस–टू–गैस'' हीटर के साथ स्थापित की जाती है, वहां ऊपर निर्दिष्ट AUXen को सकल उत्पादन के 0.20% तक बढ़ा दिया जाएगा।

a- अभिकर्मकों की खपत के मानदंड :

(i) सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लिए विशिष्ट अभिकर्मको की सामान्य खपत निम्नलिखित के अनुसार होगी :

(a) गीला चूना आधारित फ्लू गैस डीसल्फ्यूरिजेशन (एफजीडी) प्रणाली के लिए : विशिष्ट चूना खपत की (g/kWh) निम्नलिखित सूत्र द्वारा गणना की जाएगी :

[K×मानक ऊष्मा दर (kcal/kWh)×कोयले का सल्फर प्रतिशत / CVPF (kcal/Kg) में, × [85LP] g/kWh

जहां,

CVPF =

(A) कोयले आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों के लिए किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम में कोयले का भारित औसत सकल ऊष्माशक्ति, जिसकी इन नियमों के तहत नियम 25(7) के अनुसार गणना की गई है;

(B) लिग्नाइट आधारित थर्मल जनरेटिंग स्टेशनों के लिए लिग्नाइट का भारित औसत सकल ऊष्माशक्ति, जो प्राप्त लिग्नाइट के लिए किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम में है, जैसा लागू हो।

LP = चूना पत्थर प्रतिषत में,

परंतु K का मान (35.2 X डिजाइन SO2 हटाने की दक्षता / 96%) के बराबर होगा, ताकि SO2 उत्सर्जन मानक 100/200 मिलीग्राम / Nm^3 का पालन किया जा सके, या (26.8 XfMtkbu SO2 हटाने की दक्षता / 73%) उन इकाइयों के लिए होगा जो SO2 उत्सर्जन मानक 600 मिलीग्राम / Nm^3 का पालन करती हैं;

परंतु यह भी कि चूने की शुद्धता 85ः से कम नहीं होनी चाहिए।

(इ) चूना स्प्रे सोखक या अर्धशष्क फ्लू गैस डीसल्फ्यूरिजेशन (एफजीडी) प्रणाली के लिएः विशिष्ट चूने की खपत को चूने की न्यूनतम शुद्धता (एलपी) के आधार पर [6 X 90 / LP] g/kWh के सूत्र से आगणित किया जाएगा।

(ब) ड्राई सोर्बेंट इंजेक्शन प्रणाली (सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हुए)ः सोडियम बाइकार्बोनेट की विशिष्ट खपत 100ः शुद्धता पर 12 g/kWh होगी।

(क) सीएफबीसी प्रौद्योगिकी (भट्टी इंजेक्शन) आधारित उत्पादन स्टेशन के लिएः सीएफबीसी आधारित उत्पादन स्टेशन (भट्टी इंजेक्शन) के लिए विशिष्ट चूने की खपत की निम्नलिखित सूत्र से गणना की जाएगीः

[62.9 × S × SHR/CVPF] × [85/LP]]

जहां,

S = सल्फर का प्रतिशत,

LP = चूने की शुद्धता प्रतिशत में,

SHR = सकल स्टेशन हीट रेट, ाबंसधीं में,

CVPF =(a) लिग्नाइट आधारित थर्मल जनरेटिंग स्टेशनों के लिए प्राप्त लिग्नाइट का भारित औसत सकल ऊष्माशक्ति, kcal/kg में,

(e) समुद्री जल आधारित फ्लू गैस डीसल्फ्यूरिजेशन (एफजीडी) प्रणाली के लिएः समुद्री जल आधारित फ्लू गैस डीसल्फ्यूरिजेशन (थ्ळक) प्रणाली में प्रयुक्त प्रतिक्रियाशील पदार्थ शुन्य होगा।

(ii) नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लिए अभिकर्मकों की मानक खपत निम्नलिखित होगीः

(a) चयनात्मक गैर–उत्प्रेरक पराभव (एसएनसीआर) प्रणाली के लिएः एसएनसीआर प्रणाली की विशिष्ट यूरिया खपत 100ः यूरिया की शुद्धता पर 1.2 ह प्रति ॅी होगी।

(b) चयनात्मक उत्प्रेरक पराभव (एससीआर) प्रणाली के लिएः एससीआर प्रणाली की विशिष्ट अमोनिया खपत 100ः अमोनिया की शुद्धता पर 0.6 ह प्रति ॅी होगी।

29–जल विद्युत उत्पादन गृहों के लिए मानकः

(एक) पूर्ण क्षमता प्रभारों की वसूली के लिए वार्षिक मानक संयंत्र उपलब्धता गुणक

(क) 8% तक के पूर्ण जलाशय स्तर और न्यूनतम जल सिंचित स्तर के मध्य भिन्नता वाले जल संग्रह और सरोवर युक्त संयंत्र और जहां संयंत्र उपलब्धता तलछट के कारण प्रभावित नहीं होती हैः 90%

(ख) जल संग्रह और सरोवर युक्त संयंत्रों की स्थिति में जहां पूर्ण जलाशय स्तर और न्यूनतम जल स्तर के मध्य अंतर 8% से अधिक है और जब संयंत्र की उपलब्धता तलछट से प्रभावित न होती हो, तो मासिक आधार पर उच्चतम क्षमता वाले गृहों के लिए जैसा कि परियोजना प्राधिकारियों द्वारा बीपीआर में दिया गया है (सीईए या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित) एनएपीएएफ के निर्धारण के लिए आधार होगा :

(ग) सरोवर युक्त संयंत्रों के लिए जहां संयंत्र उपलब्धता तलछट से अत्यधिक प्रभावित होती है : 85%

(घ) सरोवर रहित संयंत्रों की स्थिति में एनएपीएएफ का निर्धारण संयंत्र के आधार पर किया जाएगा जो 10–दिवस डिजाइन ऊर्जा डाटा पर आधारित होगा और पिछले अनुभव के आधार पर उपान्तरण किया जाएगा जहां कहीं यह उपलब्ध या सुसंगत हो:

टिप्पणी–1–क्षमता प्रभारों की वसूली आनुपातिक रूप से नहीं होगी यदि उत्पादन गृह विहित मानकीय स्तरों के नीचे एनएपीएएफ पर पहुँचता है। शून्य एनएपीएएफ पर, किसी भी क्षमता प्रभार का भुगतान उत्पादन गृह को देय नहीं होगा।

टिप्पणी–2–पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण के कारण इकाई (इकाइयों) की अनुपलब्धता की दशा में, ऐसी क्षमता को घटाकर शेष प्रभावी क्षमता पर एनएपीएएफ की गणना के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा

(ङ) पंप–संचालित भंडारण जलीय उत्पादन स्टेशनों के मामले में, निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पानी पंप करने के लिए आवश्यक बिजली की मात्रा को लाभार्थियों द्वारा इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि वह उत्पादन स्टेशन के बस–बार तक के पारेषण और वितरण हानियों को ध्यान में रखते हुए शीर्ष स्तर घंटों के दौरान हो। इसके बदले, लाभार्थियों को ऊपरी जलाशय से निचले जलाशय में पानी पंप करने में उपयोग की गई ऊर्जा का 75ः के बराबर ऊर्जा प्राप्त करने का अधिकार होगा, और उत्पादन स्टेशन को इस प्रकार की ऊर्जा आपूर्ति करने की जिम्मेदारी होगी, जो शीर्ष घंटों के दौरान उत्पादन स्टेशन से दी जाएगी।

(दो) सहायिकी ऊर्जा उपभोग (एयूएक्स)

गृह की श्रेणी	**एयूएक्स (उत्पादित ऊर्जा का :)**
	बाह्य रूप
घूर्णन अर्जन	0.7ः
स्थैतिक अर्जन	1.0ः
	आंतरिक रूप

30–ऊर्जा प्रभारः

(एक) कोयला चालित तापीय उत्पादन गृह

(a) ऊर्जा प्रभार दर रूपये में प्रतिकिलो वाट घंटा एक्स–पावर संयंत्र के आधार पर दशमलव के तीन स्थान तक निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाएगी :

ECR = {(GSHR – SFC x CVSF) x LPPF / GCVPF + SFC x LPSFi + LC x LPL} x 100 / (100& AUX)}

(b) कोयला और लिग्नाइट आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों के लिए अतिरिक्त ईसीआर (ऊर्जा प्रभार दर)ः

upplementary ECR = (Δ ECR). [(SRC X LPR / 10) / (100–(AUX + AUXe)),

जहां,

AUX	मानकीय सहायिकी ऊर्जा उपभोग (प्रतिशत में)
AUXe	उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिए सामान्य सहायक ऊर्जा खपत (प्रतिशत में)ः
GCVPF	(क) यथाप्राप्त कोयले की भारित औसत सकल कैलोरिफिक वैल्यू, 85 किलो कैलोरीध् किलो ग्राम से कम कोयले पर आधारित गृहों के लिए किलो कैलोरी प्रतिग्राम जो उत्पादन गृह में संग्रह के दौरान भिन्नता के कारण से है य
	(ख) यथाप्राप्त प्राथमिक ईंधन की भारित औसत सकल कैलोरीफिक वैल्यु, किलो कैलोरी प्रतिग्राम में, जैसा भूरे कोयले पर आधारित गृहों के लिए लागू है ।
	(ग) विभिन्न स्रोतों से ईंधन के मिश्रण की स्थिति में, प्राथमिक ईंधन की भारित औसत सकल कैलोरिफिक मुल्य को मिश्रण के अनुपात के समानुपात में प्राप्त किया जाएगा।
CVSF	द्वितीयक ईंधन का कैलोरिफिक मुल्य, किलो ग्राम कैलोरी प्रति एम एल में
ECR	ऊर्जा प्रभार दर, रूपये में प्रेषित ऊर्जा किलो वाट घंटा
GSHR	मानकीय सकल गृह ऊष्मा दर, किलो कैलोरी प्रति किलो वाट घंटा में

LC	मानकीय चूने का उपभोग किलो ग्राम प्रति किलो वाट घंटा में
LPL	आवतरित चूने सहित भारित औसत मूल्य रूपये प्रति किलो ग्राम में
LPPF	प्राथमिक ईंधन का उतरायी सहित भारित औसत मूल्य, माह के दौरान प्रति किलो ग्राम रूपये में। (विभिन्न स्रोतों से ईंधन के मिश्रण की स्थिति में प्राथमिक ईंधन के उतरायी सहित भारित औसत मूल्य को मिश्रण के अनुपात के समानुपात में प्राप्त किया जाएगा)।
SFC	मानकीय विशिष्ट ईंधन तेल उपभोग, एम एल प्रति किलोवाट घंटा में
LPSFi	दवितीय ईंधन का उतरायी सहित भारित औसत मूल्य, मास के दौरान रूपये /एम एल में ।
(Δ ECR)	यह इसीआर उस सहायिकी ऊर्जा खपत (।न्. ।न्म) के आधार पर होता है, जिसमें उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली की ऊर्जा खपत को ध्यान में रखा जाता है। इसमें अतिरिक्त ऊर्जा खपत (।न्म) को भी शामिल किया जाता है, जो उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के कारण होती है।
SRC	संशोधित उत्सर्जन मानकों के कारण अभिकर्मको की खपत (हर्धी में):
LPR	उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिए अभिकर्मक की भारित औसत उतरायी मूल्य (रू/किलो में):

(दो) मूल्यों में भिन्नता या ईंधन की ऊष्मा क्षमता के कारण ऊर्जा प्रभार की दर का समायोजन (ई सी आर)

(क) प्रारंभ में, पिछले तीन माह की कोयले का सकल कैलोरिफिक मूल्य (प्राप्ति के आधार पर) पर विचार किया जाएगा। प्राप्त कोयले का सकल कैलोरिफिक मूल्य और जैसा मामला हो, कोयले या तेल के अर्जन के लिए उत्पादन कंपनी द्वारा उपगत कोयला उतारने के मूल्य के आधार पर माह–प्रतिमाह आधार पर किसी भी भिन्नता का समायोजन किया जाएगा। ईंधन के मूल्य समायोजन के लिए आयोग को कोई पृथक याचिका देने की आवश्यकता नहीं है। किसी विवाद की स्थिति में समय समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियमावली 2019 या उसकी किसी सांविधिक पुनः अधिनियमिति के अनुसार आयोग को समुचित आवेदन किया जाएगा।

(ख) उत्पादन कंपनी उत्पादन गृह के लाभार्थियों के लिए जीसीवी के मानकों का विवरण और ईंधन का मूल्य, अर्थात घरेलू कोयला, आयातित कोयला, ई–नीलामी से प्राप्त कोयला, उन्हें बताएगा, जिसे इस विनियमावली के परिशिष्ट–II में विहित फार्म में सूचित किया जाएगा।

परंतु आयातित कोयले के साथ घरेलू कोयले के मिलाने के अनुपात का विवरण, ई–बोली से प्राप्त कोयले का अनुपात और प्राप्त ईंधन के भारित औसत जीसीवी भी पृथक से संबंधित मास के बिलों के साथ दिया जाएगाय

परंतुक यह और कि बिल की प्रतियों और जीसीवी मानकों का विवरण और ईंधन का मूल्य अर्थात घरेलू कोयला, आयातित कोयला, ई–बोली से प्राप्त कोयला, भूरा कोयला आदि, आयातित कोयले के साथ घरेलू कोयला मिलाने के अनुपात और ई–बोली से प्राप्त कोयला के अनुपात का विवरण भी उत्पादन कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। तीन माह की अवधि के लिए मासिक आधार पर ये विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध रहने चाहिए।

(तीन) कोयले की उतरायी समेत लागत–

(क) कोयले की उतरायी समेत लागत इस विनिमावली में यथा परिभाषित तथा ऊर्जा प्रभार की संगणना के प्रयोजनार्थ, महीने के अन्दर कोयला आपूर्ति कंपनी द्वारा प्रेषित कोयले की मात्रा के प्रतिशत के रूप में मानकीय पारगमन तथा उठायी–धरायी हानियों पर विचार करने के पश्चात कोयले का परिमाण निकाला जाएगा, जो कि निम्न प्रकार से होगाः

कोयला खदान निकटस्थ विद्युत गृहः	0.2%
कोयला खदान दूरस्थ विद्युत गृहः	0.8%
आरसीआर साधन या गैर–गर्त मुहाना बहु–बिंध परिवहन (दो या दो से	1.00%

अधिक परिवहन साधन का उपयोग करते हुए, जिसमें कई पुनर्वाहन शामिल हैं):	

उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत गृह पर कोयले की उठाई–धराई में उपगत कोई प्रभार, प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों में सम्मिलित माना जाएगाः

परंतु गर्त–मुहाना स्टेशनों के मामले में, यदि कोयला गर्त–मुहाना खदानों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, जो रेल के माध्यम से स्टेशन तक पहुँचाया जाता है, तो गैर गर्त–मुहाना स्टेशनों के लिए लागू पारगमन और संचालन हानियाँ लागू होंगी;

परंतूक यह भी कि गैर–तटीय उत्पादन स्टेशनों के मामले में, जो आयातित कोयला का उपयोग करते हैं, गैर– गर्त मुहाना स्टेशनों के लिए लागू पारगमन और संचालन हानियाँ लागू होंगी।

(ख) जहां बायोमास ईंधन का उपयोग कोयले के साथ मिश्रण के लिए किया जाता है, वहां बायोमास ईंधन की उतराई लागत को उत्पादन ग्रह के उतराई स्थान पर बायोमास के वितरण लागत के आधार पर निकाला जाएगा, जिसमें लागू कर और शुल्क शामिल होंगे। मिश्रित ईंधन की ऊर्जा शुल्क दर 0.2ः होगी, जिसकी बायोमास की खपत को ध्यान में रखते हुए मिश्रण अनुपात के आधार पर अथवा वास्तविक बायोमास खपत के आधार पर, जो भी कम हो, गणना की जाएगी।

(चार) वैकल्पिक कोयला आपूर्ति की लागत–

कोयला आधारित तापीय विद्युत गृहों द्वारा ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों के आंशिक या पूर्ण उपयोग के मामले में विद्युत गृह तथा लाभार्थियों द्वारा ईंधन की कमी या मिश्रित मितव्ययी प्रचालन के अनुकूलन के कारण अनुबंधित विद्युत की आपूर्ति के लिए उनके विद्युत क्रय अनुबंध में, जैसी सहमति हो, को छोडकर, ईंधन आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग की अनुमति विद्युत–गृह को दी जाएगीः

परंतुक यह कि ईंधन के वैकल्पिक स्रोत के प्रयोग का भारित औसत मूल्य, इस विनियमावली के उपबंध (5) के अनुसार संगणित ईंधन के आधार मूल्य के 30% से अधिक नहीं होगा, याः

परंतुक यह भी कि जहाँ ईंधन के वैकल्पिक स्रोत को सम्मिलित करते हुए ईंधन के प्रयोग के भारित औसत मूल्य के आधार पर ऊर्जा प्रभार दर, उस वर्ष के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित आधार ऊर्जा प्रभार दर से 30ः से अधिक हो गयी हो या ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों सहित, ईंधन के प्रयोग के भारित औसत मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर, पिछले महीने के भारित औसत ईंधन मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभार दर से 20ः से बढ़ गई हो तो, इनमें से जो भी कम हो, पर विचार किया जाएगा और दोनों ही दशाओं में उत्पादक द्वारा लिखित रूप से लाभार्थी को अग्रिम सूचना, जो सात कार्य दिवसों से कम न हो, भेजकर लाभार्थी की पूर्व सहमति प्राप्त की जाएगीः

यदि उत्पादक द्वारा भेजे गये लिखित नोटिस का उपर्युक्त इंगित अवधि के अंदर लाभार्थी प्रत्युत्तर नहीं देता है, तो लाभार्थी उत्पादक को स्थायी प्रभारों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

टिप्पणी–एफ0एस0ए0 को अतिरिक्त कोल इण्डिया लि0 से वैकल्पिक कोयला आपूर्ति ई–नीलामी के माध्यम से की जानी चाहिए तथा घरेलू खुले बाजार के कोयले की व्यवस्था तथा आयातित कोयले के लिए उत्पादन कंपनियाँ पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करेंगी, ताकि उचित बाजार मूल्य चिन्हित किया जा सके।

(पाँच) तापीय उत्पादन गृहों के लिए आधार ऊर्जा प्रभार दर :

आयोग, प्रत्येक विद्युत गृह के लिए जारी किये जाने वाले विशेष प्रशुल्क आदेशों के माध्यम से, प्रशुल्क अवधि के प्रारंभ में ऊर्जा प्रभार दर अनुमोदित करेगा। इस प्रकार अनुमोदित ऊर्जा प्रभार प्रशुल्क अवधि के प्रारम्भ में मूल ऊर्जा प्रभार दर होगी। आगामी वर्षों के लिए मूल ऊर्जा प्रभार दर भुगतान के उद्देश्य से बढ़ी दरें, प्रशुल्क अवधि के प्रारंभ में अनुमोदित मूल ऊर्जा प्रभार दर की बढ़ोतरी के उपरान्त संगणित ऊर्जा प्रभार, जैसे कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर स्पर्धात्मक निविदा दिशा निर्देशों के लिए अधिसूचित है, मानी जायेंगी।

(छः) जलीय उत्पादन–गृहों के लिए ऊर्जा प्रभार–

(क) ऊर्जा प्रभारों का भुगतान प्रत्येक लाभार्थी द्वारा उसे आपूर्ति की जाने वाली कुल अनुसूचित ऊर्जा के लिए कलैण्डर माह के दौरान किया जाएगा। इसमें शुल्क रहित ऊर्जा को, यदि कोई हो, निकाल दिया जाएगा। यह एक्स–विद्युत संयंत्र आधार पर संगणित ऊर्जा प्रभार दर पर होगा। एक माह के लिए देय कुल ऊर्जा प्रभार निम्न प्रकार होंगे :

= (ऊर्जा प्रभार दर रूपये में ६ किलोवाट घंटा) ग अनुसूचित ऊर्जा (महासंवाहक तारों पर ६ माह के लिए किलोवाट घंटा में) ग (100–एफईएचएस)६100

FEHS= गृह राज्य के लिए मुफ्त ऊर्जा प्रतिशत में, और यह 12ः या वास्तविक, जो भी कम हो, होगी।

(ख) एक्स–विद्युत संयंत्र आधार पर ऊर्जा प्रभार दर (इसीआर) रूपये में प्रति किलोवाट घंटा का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दशमलव के तीन अंक तक उप खंड (ग) के उपबंधों के अधीन किया जाएगा।

ECR= AFC x 0.5 x 10 / {DE x 100 – AUX) x (100 – FEHS)}

जहाँ,

DE= नीचे उप खंड (घ) में उपबंध के अधीन रहते हुए, जलीय उत्पादन गृह के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक डिजाइन ऊर्जा।

FEHS= गृह राज्य के लिए मुफ्त ऊर्जा प्रतिशत में, और यह 12ः या वास्तविक, जो भी कम हो, होगी :

परंतुक उन मामलों में जहाँ जलीय परियोजना का स्थल राज्य सरकार द्वारा विकासकर्ता को दिया जाए जिसके लिए प्रतिस्पर्धी बोली की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए, वहाँ मुफ्त ऊर्जा 12% होगी।

(ग) यदि जलीय उत्पादन–गृह द्वारा वर्ष के दौरान उत्पादित वास्तविक कुल ऊर्जा उन कारणों से डिजाइन ऊर्जा से कम हैं जो उत्पादन गृह के नियंत्रण से परे हैं, तो उत्पादन कंपनी द्वारा दाखिल आवेदन पर आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी;

यदि उत्पादन–गृह के वाणिज्यिक परिचालन के दिन से 10 वर्ष के भीतर ऊर्जा में कमी प्रारंभ हो जाती है, तो ऊर्जा कमी के वर्ष से अगले वर्ष के लिए ई सी आर की गणना उप खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सूत्र के आधार पर इस उपांतर के साथ की जाएगी कि वर्ष के लिए डी ई कमी के वर्ष के दौरान उत्पादित वास्तविक ऊर्जा के बराबर समझी जाएगी, ऐसा तब तक होगा जब तक पिछले वर्ष के ऊर्जा प्रभार की कमी को पूरा न कर दिया जाए, तत्पश्चात सामान्य ई सी आर लागू होगाय

परंतुक यदि जलीय उत्पादन–गृह से वास्तविक उत्पादन जल विज्ञान गुणक के कारण 4 वर्ष की अनवरत अवधि के लिए डिजाइन ऊर्जा से कम है, तो उत्पादन–गृह सुसंगत जल विज्ञान डाटा के साथ सी ई ए से स्टेशन की डिजाइन ऊर्जा के पुनरीक्षण के लिए सम्पर्क करेगा।

(घ) यदि उप खंड (ख) के अनुसार संगणित किसी जलीय उत्पादन गृह की ऊर्जा प्रभार दर (आईसीआर) एक सौ तीस पैसा (130) किलोवाट घंटा से अधिक है, और वर्ष में वास्तविक विक्रय योग्य ऊर्जा (DEX (100–AUX) X (100–FEHS) / 1000} MWH से अधिक है तो उपर्युक्त से अधिक ऊर्जा का बिल एक सौ तीस (130) पैसा प्रति किलोवाट की दर से ही होगा।

31–पंप पोषित जलीय उत्पादन स्टेशनों के लिए क्षमता शुल्क और ऊर्जा शुल्क की गणना और भुगतानः

पंप पोषित जलीय उत्पादन स्टेशन को कैलेंडर महीने के लिए देय क्षमता शुल्क होगाः (AFC X NDM / NDY) (रुपये में),

यदि महीने के दौरान वास्तविक उत्पादन पंपिंग ऊर्जा के 75ः या उससे अधिक है, जो स्टेशन ने महीने के दौरान खपत की है, और

{(AFC X NDM / NDY) X (महीने के दौरान शीर्ष घंटों में वास्तविक उत्पादन / महीने के दौरान स्टेशन द्वारा खपत की गई पंपिंग ऊर्जा का 75%) (रुपये में)},

यदि महीने के दौरान वास्तविक उत्पादन पंपिंग ऊर्जा के 75% से कम है, जो स्टेशन ने महीने के दौरान खपत की है।

जहाँ,

AFC = वर्ष के लिए निर्धारित वार्षिक निश्चित लागत, रुपये में

NDM = महीने में दिनों की संख्याः

NDY = वर्ष में दिनों की संख्याः

परंतु वर्ष के अंत में वास्तविक उत्पादन और स्टेशन द्वारा वर्ष के दौरान खपत की गई पंपिंग ऊर्जा के आधार पर समायोजन किया जाएगा।

(1) ऊर्जा शुल्क हर लाभार्थी द्वारा उस कुल ऊर्जा के लिए देय होगा जो लाभार्थी को आपूर्ति की जानी है, डिजाइन ऊर्जा के अतिरिक्त और पंपिंग द्वारा निचले जलाशय से उच्च जलाशय में पानी पंप करने में खपत की गई ऊर्जा का 75%, उस महीने के दौरान, 20 पैसे प्रति kWh की औसत ऊर्जा शुल्क दर पर, यदि कोई हो, कैलेंडर महीने में, एक्स–ऊर्जा संयंत्र आधार पर।

(2) महीने के लिए उत्पादन कंपनी को देय ऊर्जा शुल्क होगाः = 0.20 X {(महीने के लिए निर्धारित ऊर्जा (ex-bus) kWh में – महीने के लिए डिजाइन ऊर्जा (DEm)). पंपिंग द्वारा महीने के दौरान निचले जलाशय से उच्च जलाशय में पानी पंप करने में खपत की गई ऊर्जा का 75%}/100। जहाँ, DEm = जलीय उत्पादन स्टेशन के लिए महीने के लिए निर्धारित ऊर्जा, MWh में:

परंतु यदि किसी महीने में निर्धारित ऊर्जा डिजाइन ऊर्जा से कम है, और पंपिंग द्वारा निचले जलाशय से उच्च जलाशय में पानी पंप करने में खपत की गई ऊर्जा का 75%, तो लाभार्थियों द्वारा देय ऊर्जा शुल्क शून्य होगा।

परंत यह भी यदि पानी को निचले जलाशय से उच्च जलाशय में पंप करने के लिए ऊर्जा उत्पादन कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है, तो पंपिंग ऊर्जा के लिए शुल्क, उत्पादन स्टेशन के बिक्री योग्य क्षमता में उनके संबंधित आवंटन के अनुपात में, लाभार्थियों द्वारा देय होगा।

(3) उत्पादन कंपनी को ऊपरी जलाशय में प्राकृतिक जल का दैनिक प्रवाह और ऊपरी और निचले जलाशयों के जलाशय स्तर का रिकॉर्ड प्रति घंटा रखना होगा। जनरेटर को उपलब्ध पानी के साथ शीर्ष घंटे की आपूर्ति को अधिकतम करना आवश्यक होगा, जिसमें पानी का प्राकृतिक प्रवाह भी शामिल है। यदि यह सिद्ध होता है कि उत्पादक जानबूझकर या अन्यथा, बिना किसी वैध कारण के, शीर्ष –इतर अवधि के दौरान निचले जलाशय से उच्च जलाशय में पानी पंप नहीं कर रहा है, या अपनी क्षमता के अनुसार बिजली उत्पन्न नहीं कर रहा है, या पानी के प्राकृतिक प्रवाह का अपक्षय कर रहा है, तो उस दिन के लिए क्षमता शुल्क लाभार्थी द्वारा देय नहीं होगा। इस उद्देश्य के लिए, यूनिटध्स्टेशन के अनुपयेाग, जिसमें योजनाबद्ध और बलात् अनुपयेाग काल शामिल हैं, जो साल में 15% तक होते हैं, को शीर्ष–इतर अवधि के दौरान निचले जलाशय से उच्च जलाशय में पानी पंप न करने या पंप किए गए पानी या प्राकृतिक जल प्रवाह का उपयोग करके बिजली उत्पन्न न करने के लिए वैध कारण माना जाएगाः

परंतु वर्ष के दौरान कुल मशीन अनुपयोग काल 15: से अधिक होने पर वर्ष के लिए प्राप्त कुल क्षमता शुल्क को यथानुपात आधार पर इस प्रकार समायोजित किया जाएगाः

(ACC)adj = (ACC) R x (100 – ATO)/85

जहाँ,

(ACC)कर – समायोजित वार्षिक क्षमता शुल्क

(ACC) R – प्राप्त वार्षिक क्षमता शुल्क

ATO – वर्ष के लिए कुल अनुपयोग काल प्रतिशत, जिसमें बलात् और योजनाबद्ध अनुपयोग काल शामिल हैं:

परंतु उत्पादन स्टेशन को ग्रिड कोड की शेड्यूलिंग प्रक्रिया के अनुसार अपने मशीन उपलब्धता की दैनिक घोषणा करनी होगी दिन के सभी समय ब्लॉकों के लिए

(4) यूपीएसएलडीसी को जलीय उत्पादन स्टेशनों के लिए समय–सारिणी को अंतिम रूप देना होगा, लाभार्थियों के साथ परामर्श करके, ताकि समस्त उपलब्ध घोषित ऊर्जा का बेहतर उपयोग हो सके, जिसे उत्पादन स्टेशन में उनके संबंधित आवंटन के अनुपात में सभी लाभार्थियों के लिए सारिणी–बद्ध किया जाएगा।

अध्याय–7

अनुसूचीकरण, लेखा, बिलिंग और भुगतान

32–अनुसूचीकरणः

1. अनुसूचीकरण और उपलब्धता का सिद्धांत समय–समय पर आयोग द्वारा यथा अधिसूचित उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में यथा विनिर्दिष्ट होगा। तथापि, 25 मेगावाट से नीचे की क्षमता के जल विद्युत संयंत्रों की अनुसूची नहीं बनाई जाएगी।

2. उपलब्धता क्षमता की घोषणा में विनिर्दिष्ट समय अवधि के दौरान उत्पादन की सीमा भी सम्मिलित होगी। इन प्रतिबंधों में सिंचाई के कारण, पेयजल के कारण, औद्योगिक, पर्यावरण संबंधी आदि रोक के कारण जल का अप्रयोग सम्मिलित है।

3. सरोवर रहित बहती नदी पर स्थित विद्युत–गृहों के लिए, चूँकि ऐसे विद्युत गृहों में उत्पादन की भिन्नता से जल का बिखराव होता है, इन्हें कार्यशील रखना बाध्यता होगी। अधिकतम उपलब्ध क्षमता, अधिभार क्षमता पर

सम्यक विचार करके, या तो उपलब्ध जल के पूर्ण प्रयोग करने के लिए अपेक्षित के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिये।

4. सरोवर सहित बहती नदी पर स्थित विद्युत–गृहों और जल संग्रह की सुविधा संपन्न विद्युत–गृहों के लिए, चूँकि इन जल विद्युत–गृहों को इस प्रकार निर्मित किया जाता है कि ये सर्वाधिक मांग के समय प्रणाली की शीर्ष मांग को पूरा करें, प्रत्येक दिन के लिए घोषित विद्युत–गृह की अधिकतम उपलब्ध क्षमता स्थापित क्षमता के बराबर होगी, इसमें अधिभार क्षमता, सहायिकी उपभोग और प्रेषण हानियां को घटाकर जलाशय स्तर के अनुसार निर्धारण सम्मिलित है। राज्य भार प्रेषण केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि इस श्रेणी के विद्युत–गृहों की अनुसूची इस प्रकार तैयार की जाए कि विशिष्ट प्रणाली आवश्यकताओं बाध्यताओं के अपवाद को छोड़कर उपलब्ध जल ऊर्जा के प्रयोग में इन गृहों का पूर्ण योगदान रहे।

33–घोषित क्षमता का प्रदर्शनः

1 राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा यथा समय और सथावश्यक, विद्युत उत्पादन कंपनी से अपने विद्युत–गृह की घोषित क्षमता का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाएगी। घोषित क्षमता का प्रदर्शन करने में उत्पादक कंपनी के विफल रहने की दशा में विद्युत उत्पादक को देय क्षमता प्रभार उप–खंड (2) के अनुसार नीचे दिए अनुसार घटा दिए जाएंग।

2. दिन में किसी अवधि / खंड के लिए, एक महीने में, प्रथम बार की गलत घोषणा के लिए, उत्पादन कंपनी दो दिनों के स्थिर प्रभारों के अनुरूप प्रभारों को छोड़ देगी, जो कि दूसरी गलत घोषणा के लिए चार दिनों के स्थिर प्रभारों के बराबर होगा और बाद की गलत घोषणाओं के लिए, छोड़े गए हिस्से को ज्यामितीय प्रगति में गुणा किया जाएगा।

3. विद्युत–गृहों की प्रचालन लाग–पुस्तक, राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा पुनरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगी। इन पुस्तकों में मशीनों के प्रचालन एवं रख–रखाव, के अभिलेख शामिल होंगे। जल उत्पादन गृहों के मामले में जलाशय का स्तर और जल बिखराव द्वारा परिचालन।

34–मीटरिंग तथा लेखा–जोखाः

मीटरों की स्थापना, जांच एवं परिचालन तथा मीटरों के रख–रखाव को सम्मिलित करते हुए मीटरों की व्यवस्था तथा संग्रहण, परिवहन तथा ऊर्जा विनियम और 15 मिनट के समय समूह का लेखा–जोखा (एकाउंटिंग) के लिए आंकड़ों का संग्रहण तथा प्रसंस्करण कार्य का आयोजन राज्य पारेषण सेवा प्रदाता द्वारा राज्य भार प्रेषण केंद्र के परामर्श से किया जाएगा। सभी संबंधित संस्थाएं (जिनके परिसरों में विशेष ऊर्जा मीटर स्थापित है) राज्य पारेषण सेवा प्रदाता/राज्य भार प्रेषण केंद्र को पूर्ण सहयोग करने और साप्ताहिक मीटर रीडिंग लेकर राज्य भार प्रेषण केंद्र को प्रेषित करते हुए पूर्ण सहायता प्रदान करेंगी। घोषित क्षमता एवं अनुसूचियों आदि से संबंधित आंकड़ों के साथ मीटर के प्रसंस्कृत आंकड़ों के आधार पर राज्य भार प्रेषण केंद्र, विद्युत के लिए मासिक आधार पर तथा विचलन व्यवस्थापन प्रभारों हेतु साप्ताहिक आधार पर ऊर्जा के लिए राज्य लेखा जारी करेगा। विचलन व्यवस्थापन की लेखा प्रक्रिया केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशों द्वारा नियंत्रित होगी, जब तक कि उत्तर प्रदेश विनियामक आयोग (डी एस एम) विनियमावली अधिसूचित न हो जाये।

35–बिलिंग एवं प्रभारों का भुगतानः

क्षमता प्रभार की बिलिंग और भुगतान मासिक आधार पर इस विनियमावली के अनुसार उत्पादन कंपनी द्वारा किया जाएगा और लाभार्थियों द्वारा भुगतान सीधे उत्पादन कंपनी को किया जाएगाः

परंतु बिल की मूल भौतिक प्रति लाभार्थी के अधिकृत व्यक्ति के कार्यालय में या उत्पादन कंपनी के अधिकृ त हस्ताक्षरकर्ता के आधिकारिक ईमेल आईडी के माध्यम से मूल बिल की स्कैन की गई प्रति, या ईएएसएस में उपलब्ध कराई गई बिल की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, जो संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि/नोडल अधिकारी को सूचित की गई हो, को बिल प्रस्तुत करने के वैध तरीके के रूप में माना जाएगाः

परंतुक यह और कि कंपनी के प्रबंध निर्देशक या सीईओ को पहले से ही प्राधिकृत हस्ताक्षरी (केवल कार्यालयीन पर) को अधिसूचित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी की सूची में किसी परिवर्तन को उसी रीति से संसूचित किया जाएगा।

36–आवेदन फीस और सांविधिक प्रभारों की वसूलीः

उत्पादन कंपनी को राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित विद्युत शुल्क, जल उपकर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भुगतान जैसे सांविधिक प्रभारों की वसूली आवेदन फीस के अलावा अनुमन्य की जायेगी। यह आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जाँच के पश्चात् संभव होगा। इसे संबंधित विवरण याचिका के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि विद्युत शुल्क सहायक ऊर्जा खपत पर लागू किया जाता है, तो विद्युत शुल्क की ऐसी राशि उत्पादन स्टेशन की मानक सहायक ऊर्जा खपत (कॉलोनी खपत को छोड़कर) पर लागू होगी और प्रत्येक लाभार्थी को माह के दौरान उनके अनुसूचित प्रेषण के अनुपात में विभाजित की जाएगी।

अध्याय–8

विविध प्रावधान

37– लाभों का सहभाजन

(1) उत्पादन कंपनी निम्नलिखित नियंत्रण योग्य मानकों के यथार्थ निष्पादन के आधार पर लाभों का अनुमान करेगी :

(क) स्टेशन की सकल ऊष्मा दर,

(ख) द्वितीयक ईंधन तेल उपभोग;

(ग) सहायिकी ऊर्जा उपभोग; और

(घ) ऋण का पुनः वित्तीयकरण।

(2) उत्पादन–गृह के मामले में (जल उत्पादन–गृह से भिन्न) निम्न सूत्र के अनुसार संगणित वित्तीय लाभों को, खंड (1) (क) से (1) (ग) में निहित परिचालन संबंधी मानकों के फलस्वरूप उत्पादन कंपनी और लाभार्थियों में 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा :

शुद्ध लाभ = (ECRN – ECRA)x अनुसूचित उत्पादन;

जहाँ,

स्टेशन की सकल ऊष्मा दर, सहायिकी उपभोग और द्वितीयक ईंधन तेल उपभोग के लिए विनिर्दिष्ट/अनुमोदित मानकों के आधार पर संगणित ECRN मानकीय ऊर्जा प्रभार दर है।

सम्बद्ध माह के लिए स्टेशन की यथार्थ सकल ऊष्मा दर, सहायिकी उपभोग और द्वितीयक ईंधन तेल उपभोग के आधार पर संगणित ईसीआरए यथार्थ ऊर्जा प्रभार दर है :

(3) परंतुक जल उत्पादन–गृहों के मामले में मानकीय सहायिकी ऊर्जा उपभोग की तुलना में शुद्ध सहायिकी ऊर्जा उपभोग के फलस्वरूप शुद्ध लाभ निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा बशर्ते बिक्री योग्य अनुसूचित उत्पादन बिक्री योग्य डिजाइन उत्पादन से कम है और उत्पादन गृह और लाभार्थियों के मध्य 50:50 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा :

(अ) जब बिक्री योग्य निर्धारित उत्पादन :

सामान्य सहायक ऊर्जा खपत के आधार पर बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से अधिक हो और

वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत के आधार पर बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा के बराबर या उससे कम हो:

शुद्ध लाभ (मिलियन रुपयों में) = [(बिक्री योग्य अनुसूचित उत्पादन मिलियन यूनिट में)–(मानकीय सहायिकी ऊर्जा उपभोग मिलियन यूनिट में) के आधार पर बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा] x [1-320 या ईसीआर], जो भी कम हो

(ब) जब यथार्थ सहायिकी ऊर्जा उपभोग के आधार पर बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा की तुलना में बिक्री योग्य अनुसूचित उत्पादन अधिक हैः

शुद्ध लाभ (मिलियन रुपये में) = {बिक्री योग्य अनुसूचित उत्पादन मिलियन यूनिट में -[(बिक्री योग्य अनुसूचित उत्पादन मिलियन यूनिट में x (100 मानकीय ए ई सी प्रतिशत में) / (100 – यथार्थ ए ई सी प्रतिशत में),} x/1.320 या ईसीआर, जो भी कम हो) :

परंतु ऊपर खंड (1) (घ) में निहित मानक के फलस्वरूप वित्तीय लाभों का इस विनियमावली के अनुसार सहभाजन किया जाएगा ;

(4) नियंत्रण योग्य मानकों के फलस्वरूप वित्तीय लाभों का लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की स्वीकृति के (30) दिन के भीतर वार्षिक आधार पर उत्पादन कंपनी और लाभार्थियों के मध्य सहभाजन किया जाएगा।

निहित समय के भीतर लाभों के सहभाजन में कोई मतभेद होने पर, अर्जनकर्ता या उत्पादनकर्ता लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को स्वीकृत करने के (60) दिन के भीतर प्रस्ताव करके आयोग से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। विशिष्ट मामलों में आयोग अवधि की इस सीमा को शिथिल कर सकता है।

(5) यदि आवश्यक हो, अनियंत्रणीय मानकों के फलस्वरूप उत्पादन कंपनी द्वारा वित्तीय लाभ और हानियों को उत्पादन कंपनी के लाभार्थियों में यथावश्यक विवेकपूर्ण जांच के उपरांत, सत्यापन के समय आयोग के अनुमोदन से प्रदत्त कर दिया जाएगा।

38–प्रोत्साहन :

(1) सभी थर्मल पावर स्टेशन को प्रोत्साहन राशि, शीर्ष घंटों के दौरान 15 मिनट के समय ब्लॉक के आधार पर एक्स–बस अनुसूचित ऊर्जा के लिए नीचे निर्धारित दर पर मासिक आधार पर देय होगी, जो ऐसे समय ब्लॉकों के दौरान लक्षित पीएलएफ से अधिक प्राप्त वृद्धिशील पीएलएफ के अनुरूप होगी :

(1) ओबरा–बी, टी पी एस के लिये

शीर्ष घंटों में 15 मिनट के समय ब्लॉक के दौरान प्राप्त पीएलएफ (%)	प्रोत्साहन दर (पैसे प्रति इकाई)
80 से अधिक तथा 85 से कम या बराबर	75
85 से ऊपर	85

(2) हरदुआगंज (इकाई-7) के लिये

शीर्ष घंटों में 15 मिनट के समय ब्लॉक के दौरान प्राप्त पीएलएफ (%)	प्रोत्साहन दर (पैसे प्रति इकाई)
65 से अधिक तथा 70 से कम या बराबर	75
70 से ऊपर	85

(3) उन उत्पादन स्टेशनों के लिये, जिन्होंने 31.03.2024 तक सी ओ डी से 30 वर्ष पूरे कर लिये हैं।

शीर्ष घंटों में 15 मिनट के समय ब्लॉक के दौरान प्राप्त पीएलएफ (%)	प्रोत्साहन दर (पैसे प्रति इकाई)
83 से अधिक तथा 88 से कम या बराबर	75
88 से ऊपर	85

(4) उपरोक्त (1), (2) और (3) स्टेशनों के अलावा अन्य उत्पादन स्टेशनों के लिए :

शीर्ष घंटों में 15 मिनट के समय ब्लॉक के दौरान प्राप्त पीएलएफ (%)	प्रोत्साहन दर (पैसे प्रति इकाई)
85 से अधिक तथा 90 से कम या बराबर	75
90 से ऊपर	85

39–विचलन प्रभार :

1–उत्पादन–गृहों के वास्तविक शुद्ध अन्तः क्षेपण और अनुसूचित शुद्ध अन्तः क्षेपण में भिन्नता को और लाभार्थियों के वास्तविक शुद्ध आहरण और अनुसूचित शुद्ध आहरण में भिन्नता को उनका अपना–अपना विचलन समझा जाएगा और ऐसे विचलनों को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (विचलन, निपटान, ढंग और संबंधित विषय) विनियमावली, 2024 द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जब तक कि आयोग की डीएसएम विनियमावली अधिसूचित न हो जाए।

2–प्रत्येक उत्पादन–गृह और लाभार्थी के वास्तविक शुद्ध विचलन को उसकी परिधि में राज्य पारेषण सेवा प्रदाता (एस टी यू) द्वारा स्थापित विशेष ऊर्जा मीटरों से नापा जाएगा और राज्य भार प्रेषण केंद्र प्रत्येक 15 मिनट के भाग के लिए मेगावाट घंटा में गणना करेगा।

40–छूट :

1– क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार के बिलों के उत्पादन कम्पनी द्वारा प्रस्तुत करने के 5 दिनों की अवधि के अन्दर साख–पत्र प्रस्तुति के माध्यम से या एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान के लिए 1.2550 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

2–यदि भुगतान किसी भी दिन उत्पादन कंपनी द्वारा बिल प्रस्तुत करने के 5 दिन बाद और 30 दिनों के भीतर किए जाते हैं, तो बिल प्रस्तुत करने के 6वें दिन 1% की छूट उपलब्ध होने के अधीन, और इसके बाद प्रत्येक दिन 0.04% की दर से घटती हुई छूट 30वें दिन तक दी जाएगी।

3–उत्पादन कंपनी द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने के 30 दिन के पश्चात कोई छूट देय नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : 5 दिनों की गणना करने में दिनों की संख्या को अवकाश के दिनों की गणना किये बिना लगातार गिना जाएगा। तथापि, यदि अंतिम दिन या पांचवां दिन कार्यालय के अवकाश का दिन है, तो छूट के प्रयोजन के लिए पश्चातवर्ती कार्य दिवस को पांचवां दिन समझा जाएगा (राज्य सरकार के कैलेण्डर के अनुसार, जहाँ लाभार्थी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी या प्रतिनिधि का कार्यालय स्थित है) यह बिल की प्राप्ति और पावती के प्रयोजन के लिए हैः

परंतु जब तक उत्पादन कंपनी की बकाया राशि, जिसे लाभार्थी(यों) द्वारा बिजली (विलंब से भुगतान अधिभार और संबंधित मामलों) नियम 2022 के नियम 5 के तहत किश्तों में स्वीकार और निपटाया गया हो, पूरी तरह से संबंधित लाभार्थी(यों) द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक उत्पादन कंपनी द्वारा कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उत्पादन कंपनी को किसी भी न्यायालय के आदेश या वैधानिक प्राधिकरण के आदेश के अनुसार देय किसी भी बकाया राशि का भुगतान भी आवश्यक होगा।

41– विलम्ब भुगतान अधिभार :

यदि लाभार्थी(यों) द्वारा क्षमता शुल्क और ऊर्जा शुल्क के बिलों का भुगतान बिल की तारीख से 45 दिनों से अधिक समय तक के विलंब से किया जाता है, तो उत्पादन कंपनी द्वारा मंत्रालय द्वारा जारी बिजली (विलंब से भुगतान अधिभार और संबंधित मामलों) नियम, 2022 समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसार 1.50% प्रति माह की दर से विलंब से भुगतान अधिभार लागू किया जाएगा,

जब तक सम्बद्ध पक्षों के बीच अन्यथा सहमति न हो, लाभार्थी द्वारा देय शुल्क पहले बकाया शुल्क पर विलंब से भुगतान अधिभार के रूप में समायोजित किए जाएंगे, और उसके बाद, उत्पादन कंपनी द्वारा बिल किए गए मासिक शुल्क पर समायोजन किया जाएगा, जो सबसे पुराने बकाया बिल से आरंभ होगा।

42–इस विनियमावली की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह आयोग की नैसर्गिक शक्तियों को सीमित करती है या अन्यथा प्रभावित करती है जिससे आयोग ऐसे आदेश दे सके जो न्याय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हो या आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो।

43–इस विनियमावली की कोई बात, जो अधिनियम के उपबंधों के अनुकूल हो, आयोग को ऐसी प्रक्रिया अपनाने से बाधित नहीं करेगी जो इस विनियम के किसी उपबंध के प्रतिकूल हो, यदि आयोग विषय की या विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों की दृष्टि से और लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसे विषय या विषयों के वर्ग का निदान करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

44–इस विनियमावली की कोई बात, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, आयोग को किसी विषय का निदान करने से या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगी जिसके लिए कोई विनियमावली नहीं बनाई गई है, आयोग ऐसे विषय का ऐसी रीति से निष्पादन कर सकता है, जैसा आयोग उचित समझे।

45–निरसन और बचत :

(1) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन शुल्क निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019 और संबंधित संशोधन, इन विनियमों की अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से निरस्त हो जाएंगे।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद, निरसित विनियमों के अन्तर्गत किया गया या किया जाने का प्रकल्पित कोई भी कार्य इन विनियमों के अन्तर्गत किया गया या किया जाने का प्रकल्पित माना जायेगा।

आयोग के आदेश से,

सुमीत कुमार अग्रवाल,

सचिव,

उ0प्र0वि0नि0आ0

12 RPH 2025 (urja-2020-folder)- data 8e